R.N.I. No. 56386/92

लघु उद्योग, स्वरोजगार व प्रबन्ध क्षेत्रों में मार्गदर्शक

उद्यमिता

ISSN : 0971-6211
वर्ष : 01 अंक : 05

जून 2022
मूल्य 25/- मात्र

पर्यटन उद्योग विशेषांक

पर्यटन उद्योग : नीति एवं योजनाऐं

पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योगः विकास का वाहक

पर्यटन उद्योग : रोजगार-स्वरोजगार के नए अवसरों का द्वार

A MONTHLY PUBLICATION ON SMALL INDUSTRY, SELF EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP

उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप)

(मध्य प्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन)

मध्यप्रदेश शासन केंद्रीय वित्तीय संस्थाओं एवं राज्य के अग्रणी बैंकों द्वारा प्रवर्तित द्वारा प्रस्तुत है

उद्यमिता के तकनीकी दक्ष मैनपॉवर की उपलब्धता विकसित करने के उद्देश्य से शुल्क आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत

उद्योग सलाहकार प्रशिक्षण कार्यक्रम

(ऑन लाईन एवं ऑफलाइन माध्यम से प्रशिक्षण)

उद्यमिता विकास केन्द्र मध्य प्रदेश 'सेडमैप' मध्य प्रदेश शासन के सूक्ष्म लघु एवं मध्ययम उद्यम विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी प्रशिक्षण संस्थान है। सेडमैप प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवाओं में विभिन्न तरह के कौशल का विकास कर उन्हें उद्यमी बनाने हेतु संकल्पित है। सेडमैप पिछले 33 वर्ष में 30 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार-स्वरोजगार से जोड़ चुका है। इसके लिए सेडमैप द्वारा विभिन्न तरह के तकनीकी व प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता शिविर, ओरीएन्टेशन, कपैसिटी बिल्डिंग, कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम व प्रोजेक्ट प्रेपरेशन, कन्सलटेंसी सर्विसेस, आउट सोर्सिंग सर्विसेस तथा विभिन्न ट्रेडों पर आधारित विभिन्न पुस्तकें व मासिक उद्यामिता समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है।

अवधि :

04 सप्ताह गैरआवासीय

समय :

प्रतिदिन 03 घंटे

प्रशिक्षण शुल्क :

6500 रू.

सेडमैप कर्मचारियों के लिए :

4500 रू.

आवेदन की अंतिम तिथि :

12 अगस्त 2022

आयोजन तिथि :

16.08.22 से 04 सप्ताह

स्थान :

सेडमैप जिला प्रशिक्षण केंद्र, ओल्ड एसबीआई के पास बेनीगंज मोहल्ला छतरपुर, मप्र।

पात्रता :

आयु न्यूनतम 20 वर्ष

शिक्षा :

किसी भी विषय में स्नातक

स्थान :

सीमित, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन

प्रशिक्षण पश्चात :

प्रमाण-पत्र, स्वरोजगार एवं रोजगार स्थापना हेतु सहयोग व शासन की विभिन्न योजनाओं में अनुदान हेतु ऋण प्रकरण प्रेषित किए जाने में सहायता

अधिक जानकारी एवं आवेदन हेतु सम्पर्क सूत्र :

एम. के. श्रीवास, जिला समन्वयक,

उद्यमिता विकास केन्द्र मध्य प्रदेश ''सेडमैप''

जिला प्रशिक्षण केंद्र, बेनीगंज मोहल्ला, छतरपुर मप्र एवं अपने जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पर **एम. के. श्रीवास** जिला समन्वयक सेडमैप 9826107353 से सम्पर्क करें एवं निर्धारित शुल्क जमा करके आवेदन कर सकते हैं।

R.N.I. No. 56386/92

वर्ष : 01 अंक : 05

विवरणिका

जून 2022

- विकास के वाहक के रूप में उभर रहा पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग — 08
- भारत में पर्यटन के नए आयाम तथा उनके प्रोत्साहन के लिए किए जा रहे प्रयास — 12
- उद्यमियों के लिए रोजगार-स्वरोजगार के नए अवसरों का द्वार : पर्यटन उद्योग — 17

- आय और रोजगार के नए मौके सृजित करने की ओर अग्रसर : पर्यटन का क्षेत्र — 20
- पर्यटकों को ठहरने के लिए घर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संचालित मध्यप्रदेश राज्य बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना योजना — 22

- पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का अनुभव कराने हेतु संचालित मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना योजना — 28
- मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना योजना — 34
- वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट स्थापित करने की नीति 2020 — 39
- मिडवे ट्रीट : मध्यप्रदेश में मार्ग सुविधा केंद्रों की स्थापना एवं संचालन नीति — 42
- होटल उद्योगों की रेटिंग प्रक्रिया एवं प्रोत्साहन हेतु किए जा रहे प्रयास — 48
- मध्यप्रदेश की पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 — 53
- मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति — 59
- सेडमैप समाचार — 64

प्रधान संपादक

अनुराधा सिंघई

कार्यकारी संचालक

संपादक एवं प्रकाशन प्रमुख

उमाशंकर दुबे

आकल्पन एवं अक्षर संयोजन

दिनेश कुमार मधुकर राव गावड़े

प्रकाशन सहायक

राधा शर्मा

वितरण सहायक

संतोष सिंह

उद्यमिता समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, सूचनाएं, विचार लेखकों के व्यक्तिगत विचार होते हैं तथा विभिन्न स्त्रोतों से लिये जाते हैं। इनमें किसी प्रकार की विसंगति अथवा त्रुटि हेतु उद्यमिता समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं हैं।

संपादकीय एवं व्यावसायिक संपर्क

उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अधीन)

16-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462 011 म.प्र.

फोन : 0755 - 4000914 **ई-मेल :** cedmapusp@rediffmail.com

वेबसाइट : www.cedmapindia.mp.gov.in

स्वरोजगार स्थापना में बनें सहभागी

वर्तमान समय में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या और स्वरोजगार उसका सर्वश्रेष्ठ समाधान है। लोगों को स्वरोजगार स्थापना से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मासिक पत्रिका **उद्यमिता समाचार पत्र** का प्रकाशन किया जाता है। ऐसे सभी विशेषज्ञ जो इस क्षेत्र में मार्गदर्शक जानकारियां प्रदान कर सकते हैं, उनके लेखों, जानकारियों का उद्यमिता समाचार पत्र में सादर स्वागत है। उद्यमिता समाचार पत्र में लेख, सूचना, समाचार, विज्ञापन एवं प्रकाशन योग्य अन्य सामग्रियां उपरोक्त पते पर प्रेषित की जा सकती हैं.

पत्रिका के आगामी विशेषांकों की सूची

जून 2022 अंक नवकरणीय ऊर्जा उद्योग विशेषांक

के रूप में प्रकाशित किया जाएगा

आगामी अंक निम्न विषयों पर प्रकाशित किए जाएंगे

- सूचना प्रौद्योगिकी
- प्लास्टिक उद्योग
- मत्स्योद्योग
- खादी एवं ग्रामोद्योग
- वस्त्रोद्योग
- भवन निर्माण उद्योग
- ज्वैलरी उद्योग
- ऑटोमोबाइल
- सेवा उद्योग
- लौह एवं इस्पात उद्योग
- हस्तशिल्प एवं हथकरघा उद्योग

सूचना : उद्यमिता समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री पर सर्वाधिकार प्रकाशित करने से पूर्व प्रकाशन की अनुमति लेना आवश्यक है तथा ऐसे लेखों के अंत में पत्रिका से संबंधित अंक का विवरण देते हुए उद्यमिता समाचार पत्र से साभार लिखना अनिवार्य होगा। ऐसा न किये जाने पर उद्यमिता समाचार पत्र द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

आर्थिक सशक्तिकरण का नया आधार बनने की ओर अग्रसर पर्यटन का क्षेत्र

देश एवं प्रदेश के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। मध्यप्रदेश अपनी भौगालिक स्थिति के कारण भारत का हृदय कहा जाता है। विस्तृत क्षेत्रफल के इस राज्य में पर्यटन आकर्षणों की विविधता व बहुलता है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रदेश को पर्यटकों के अनुकूल बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा अनेक उपाय किए जा रहे हैं। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, नैसर्गिक सौन्दर्य, कलात्मक मन्दिर, स्तूप वैभवशाली किले, राजप्रसाद एवं पुरातात्वीय महत्व के स्मारक स्थलों के भ्रमण के साथ ही उनकी यात्रा को रोमांचक, उपयोगी एवं अविस्मरणीय बनाने के लिए साहसिक एवं जलक्रीड़ा पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म आदि जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। प्रदेश में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैम्पिंग तथा साहसिक पर्यटन से संबंधित गतिविधियों हेतु निजी निवेशकों को लायसेंस देने की नीति लागू की गई है, जिसके माध्यम से निजी निवेशकों को इस क्षेत्र में पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में निजी क्षेत्र के माध्यम से पर्यटन अधोसंरचनाएं विकसित किए जाने के उद्देश्य से लैण्ड बैंक एवं हेरिटेज सम्पत्तियों का बैंक स्थापित किया गया है। पर्यटकों को होम स्टे के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति, परम्पराओं एवं भोजन के अनुभव सहित स्वच्छ एवं किफायती ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने एवं पर्यटन विकास में जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश में पर्यटकों को ग्रामीण संस्कृति एवं ग्राम्य जीवन के अनुभव प्रदान करने हेतु ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है तथा 60 ग्रामों का चयन कर पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। पर्यटन क्षेत्र की सेवाओं के लिए उपयुक्त प्रशिक्षित मानव संसाधन प्रदेश में उपलब्ध हो तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके, इसे दृष्टिगत रखते हुए भोपाल में मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी ट्रेवल एवं टूरिज्म स्टडीज संस्थान की स्थापना की गई है तथा केंद्र शासन की आर्थिक सहायता से होटल प्रबंध संस्थान इंदौर तथा फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा, जबलपुर एवं खजुराहो का निर्माण किया गया है वहीं शहडोल, बालाघाट एवं धार में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का निर्माण प्रक्रियाधीन है। पर्यटन के क्षेत्र में की जा रही इन पहलों से प्रदेश में न केवल रोजगार-स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं अपितु यह प्रदेश के आर्थिक सशक्तीकरण का भी नया आधार बनने की दिशा में अग्रसर है।

अनुराधा सिंघई

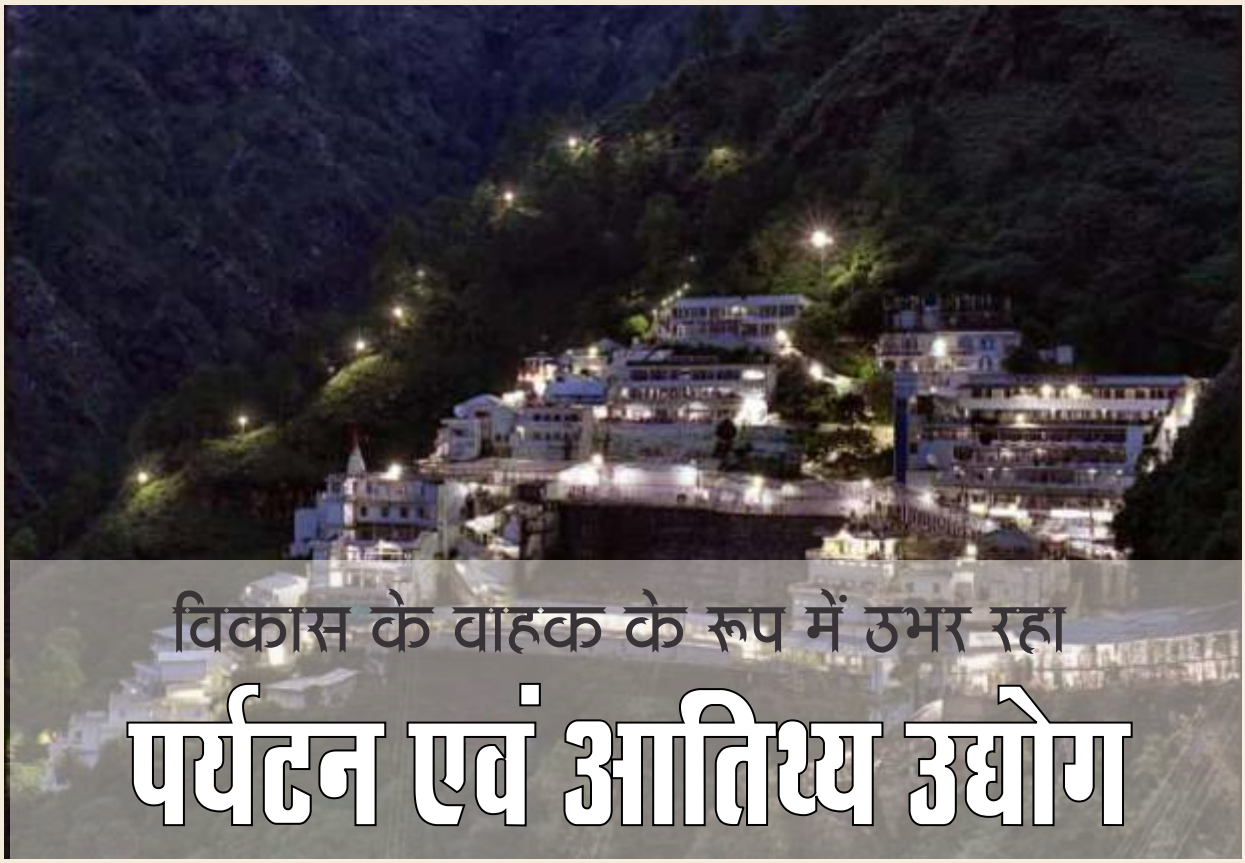

विकास के वाहक के रूप में उभर रहा

पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग

देश के सेवा क्षेत्र में भारतीय पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग विकास के एक महत्वपूर्ण वाहक के रूप में उभर रहा है। देश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत, पारिस्थितिकी की विविधता, चारों ओर फैले प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों के कारण पर्यटन क्षेत्र के विकास एवं विस्तार की प्रचुर संभावनाएं मौजूद हैं। अन्य देशों की ही तरह भारत में भी पर्यटन विदेशी आय का एक प्रमुख जरिया है। वर्ष 2016 से 2019 के बीच विदेशी विनिमय से आय में सीएजीआर का 7 प्रतिशत इजाफा हुआ लेकिन वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसमें गिरावट आई। वर्ष 2020 में भारतीय पर्यटन क्षेत्र में 3.9 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ जोकि देश में कुल सृजित रोजगार का 8 प्रतिशत था। विश्व भ्रमण एवं पर्यटन परिषद (डब्ल्यूटीटीसी) ने उम्मीद जाहिर की है कि वर्ष 2029 तक भ्रमण एवं पर्यटन के लिहाज से दुनिया के 185 देशों में भारत का दर्जा दसवें स्थान पर होगा। वर्ष 2019 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में भ्रमण एवं पर्यटन क्षेत्र का योगदान कुल अर्थव्यवस्था का 6.8 प्रतिशत था।

देश में पर्यटन का मार्केट साइज

पर्यटन की योजना बनाने, बुकिंग करने तथा यात्रा के अनुभव को लेकर डिजीटल टूल्स का इस्तेमाल करने के लिहाज से भारत डिजीटल रूप से सर्वाधिक अग्रणी पर्यटक देशों में शामिल है। भारत में बढ़ते मध्यम वर्ग एवं प्रयोज्य आय में वृद्धि ने घरेलू व देश के बाहर पर्यटन ने इस क्षेत्र के विकास को आधार प्रदान किया है। वर्ष 2028 तक भारतीय पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग से 50.9 अरब अमेरिकी डॉलर की आय होने की उम्मीद है, इसकी तुलना में वर्ष 2018 में यह आय 28.9 अरब अमेरिकी डॉलर थी। भारत में पर्यटन का बाजार वित्तीय वर्ष 2027 तक 125 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना अनुमानित है जबकि वित्तीय वर्ष 2020 के लिए यह अनुमान 75 अरब अमेरिकी डॉलर था। पासपोर्ट की सुलभता बढ़ने तथा विमानतलों की अधोसंरचना में सुधार के कारण भारतीय विमान पर्यटन का बाजार 20 अरब अमेरिकी डॉलर से वित्त वर्ष 2027 तक दोगुना होने का अनुमान है।

भ्रमण एवं पर्यटन क्षेत्र का जीडीपी में योगदान

पर्यटकों की बढ़ती मांग तथा ट्रैवल एजेंटों के सतत प्रयासों के चलते भारत के घरेलू, देशी तथा विदेशी होटलों का बाजार वित्त वर्ष 2020 के लिए 32 अरब अमेरिकी डॉलर अनुमानित था तथा वित्त वर्ष 2027 तक इसके 52 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के आसार हैं। वर्ष 2019 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन की संख्या 1.93 करोड़ रही, इस प्रकार इसमें वर्ष-दर-वर्ष 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर रही। वर्ष 2019 के दौरान पर्यटन से शुल्क के रूप में प्राप्त आय 1,94,881 करोड़ रूपए रही तथा इसमें वर्ष-दर-वर्ष 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। इस दौरान ई-टूरिस्ट वीजा पर आने वालों की संख्या 20.90 लाख रही और इसमें वर्ष-दर-वर्ष 23.6 प्रतिशत की वृद्धि रही। वर्ष 2020 में विदेशी यात्रियों के आगमन की संख्या 75.5 प्रतिशत गिरकर 20.68 लाख रही, इस दौरान जनवरी से नवंबर तक ई-टूरिस्ट वीजा से आने वालों की संख्या 67.2 प्रतिशत कम होकर 8.40 लाख रही। मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ई-टूरिस्ट वीजा की सुविधा 171 देशों के नागरिकों तक विस्तारित की गई थी। पर्यटन क्षेत्र को गति देने के लिए सरकार ने एक योजना पेश की है जिसके तहत 31 मार्च 2022 तक 5 लाख पर्यटकों को एक माह का फ्री पर्यटक वीजा प्रदान किया गया।

अप्रैल 2021 में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक अमेरिका (26.85 प्रतिशत) से आए, इसके पश्चात बांगलादेश (15.65 प्रतिशत), अफगानिस्तान (6.92 प्रतिशत), ब्रिटेन (5.87 प्रतिशत), नेपाल (4.59 प्रतिशत), कनाडा (4.27 प्रतिशत), इराक (2.99 प्रतिशत), पुर्तगाल (2.40 प्रतिशत), जर्मनी (1.42 प्रतिशत), रूस (1.41 प्रतिशत), मालदीव्स (1.39 प्रतिशत), फ्रांस (1.33 प्रतिशत), सूडान (1.21 प्रतिशत), कोरिया (1.18 प्रतिशत) एवं ऑस्ट्रेलिया (1.02 प्रतिशत) का स्थान रहा।

अप्रैल 2021 में भारत में विदेशी यात्रियों के आगमन का प्रतिशत शेयर सर्वाधिक बेगलुरू हवाई अड्डे (29.96 प्रतिशत) पर रहा, इसके बाद मुंबई विमान तल (17.48 प्रतिशत), अहमदाबाद विमानतल (15.72 प्रतिशत), दिल्ली विमानतल (9.21 प्रतिशत), कोचिन विमानतल (4.91 प्रतिशत), चेन्नई विमानतल (4.04 प्रतिशत), हैदराबाद विमानतल (3.34 प्रतिशत), लखनऊ विमानतल (2.40 प्रतिशत), भावनगर सीपोर्ट (2.37 प्रतिशत), कोलकाता विमानतल (2.11 प्रतिशत), कालीकट विमानतल (1.41 प्रतिशत), अमृतसर (1.35 प्रतिशत), कर्नाटक सीपोर्ट (1.32 प्रतिशत), गोवा (0.91 प्रतिशत), मेंगलोर (0.72 प्रतिशत) का स्थान रहा।

जनवरी 2021 एवं अप्रेल 2021 के बीच विदेशी पर्यटकों का आगमन 376,083 रहा इसकी तुलना में जनवरी-अप्रैल 2020 में

20.35 लाख विदेशी पर्यटक आए थे इस प्रकार इसमें -84.0 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि रही। वर्ष 2028 तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन की संख्या 30.5 अरब तक पहुंचने तथा इससे 59 अरब अमेरिकी डॉलर की आय सृजित होने की उम्मीद है। इसके अलावा ऐसी उम्मीद है कि महामारी से उबरने के बाद देशी पर्यटक भी विकास के वाहक बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखलाएं देश में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं तथा पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में इनकी हिस्सेदारी वर्ष 2022 तक 50 प्रतिशत होना अनुमानित है। होटल एवं रेस्तरां संगठनों के संघ (एफएचआरएआई) के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारतीय होटल उद्योग को कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण आय में 1.30 लाख करोड़ रूपए का नुकसान हुआ। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के पोचमपल्ली को नवंबर 2021 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया।

पर्यटन के क्षेत्र में निवेश

भ्रमण एवं पर्यटन उद्योग क्षेत्र में निवेश के लिहाज से भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2018 में देश में 45.7 अरब डॉलर का निवेश आया जोकि देश में हुए कुल निवेश का 5.9 प्रतिशत था। अप्रैल 2000 एवं जून 2021 के बीच होटल एवं पर्यटन क्षेत्र में संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 15.89 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ। भारत सरकार का अनुमान है कि वर्ष 2030-31 तक देश क्रूज पर्यटन के क्षेत्र में उभरेगा तथा क्रूज पर्यटन के बाजार का आकार 10.20 लाख क्रूज विजिटर्स तक पहुंचेगा। ड्रीम होटल समूह की भारत के क्रूज सेक्टर के विकास के लिए अगले 3-5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना है।

पर्यटन क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा की जा रही पहल

पर्यटन उद्योग में देश की संभावनाओं को भांपते हुए सरकार ने भारत को पर्यटन का वैश्विक हब बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो निम्नानुसार हैं :-

- 15 नवंबर 2021 से भारत ने पूर्णत: वैक्सीनेटेड विदेशी पर्यटकों को भारत आने की इजाजत दी है जोकि भारतीय भ्रमण एवं आतिथ्य क्षेत्र में जान फूंकने में मदद करेगा।
- केंद्रीय बजट 2022-23 में पर्यटन मंत्रालय के लिए 31.63 अरब डॉलर का अतिरिक्त बजट निश्चित किया गया है।
- नवंबर 2021 में पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम के साथ आतिथ्य एवं पर्यटन उद्योग को

मजबूती प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने इजी माई ट्रिप, क्लियरट्रिप, यात्रा डॉट कॉम, मेक माई ट्रिप एवं गोइबिबो के साथ भी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं।

- नवंबर 2021 में भारत सरकार ने देश में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक कांफ्रेंस की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य घरेलू स्थलों को फिल्म बनाने के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना था। इस कदम से देश में पर्यटन एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को लांच किया।
- कोविड-19 महामारी ने पर्यटन उद्योग को बुरी तरह बाधित किया है। सितंबर 2021 में पर्यटन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भारत में सामान्य शिष्टाचार के तहत प्रवेश करने की इजाजत देने की घोषणा की। इसके पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार इसके तहत आने वाले पहले पांच लाख पर्यटकों को मुफ्त में वीजा दिया जाएगा।
- सितंबर 2021 में सरकार ने निधि 2.0 (आतिथ्य उद्योग का एकीकृत राष्ट्रीय डाटाबेस) योजना लांच की जोकि आतिथ्य क्षेत्र के घटकों जैसे रहवासी इकाइयां, ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स एवं अन्य का डाटाबेस संधारित करेगी। निधि 2.0 सभी होटलों को इस प्लेटफॉर्म में खुद को पंजीकृत कराने का मौका देकर पर्यटन क्षेत्र के डिजिटलाइजेशन को सुविधा प्रदान करेगी।
- जुलाई 2021 में मंत्रालय ने चिकित्सा एवं सेहत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति एवं रोडमैप नाम का एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया तथा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्य एवं केंद्र शासित सरकारों तथा प्रशासनों सहित उद्योग सहभागियों से इस दस्तावेज को और व्यापक बनाने के लिए अनुशंसाएं एवं फीडबैक आमंत्रित कीं।
- मई 2021 में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटन व्यवसाय, रोजगार को बचाने तथा भ्रमण एवं पर्यटन उद्योग के स्थायित्व एवं उन्हें उबारने के लिए पॉलिसी गाइडलाइन बनाने की पहल करने हेतु सदस्य देशों के साथ भागीदारी करने हेतु जी 20 पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में भागीदारी की।
- सरकार देश में लाइटहाउसों को छूट प्रदान कर पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए 71 लाइटहाउस चिन्हित किए गए हैं।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई योजना अखिल भारतीय पर्यटक वाहन अनुज्ञप्ति एवं अनुमति नियम, 2021 जारी किए हैं, जिसके तहत कोई पर्यटक वाहन ऑपरेटर पूरे भारत में पर्यटन की अनुज्ञप्ति/अनुमति हासिल करने के लिए अपना पंजीकरण ऑनालाइन कर सकता है। इस आवेदन के जमा होने के तीस दिवस के भीतर परमिट जारी करने का प्रावधान है।
- पर्यटन मंत्रालय ने कारवां एवं कारवां कैंपिंग पार्क्स के विकास और प्रोत्साहन के लिए एक नीति तैयार की है। 25 जनवरी 2021 को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने साहसिक पर्यटन एवं शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए कारगिल (लद्दाख) में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचना विकसित करने की योजना का ऐलान किया है।
- भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) भारत दर्शन पर्यटक ट्रेनों की एक श्रृंखला संचालित करता है, जिसका उद्देश्य लागों के देश के विभिन्न तीर्थस्थलों की सैर कराना है।

भविष्य की संभावनाएं

देश में स्टेकेशन का चलन उभर रहा है, जिसके अंतर्गत लोग शांतिपूर्ण गंतव्यों के विलासितापूर्ण होटलों में ठहर कर तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं। इस प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी होटल श्रृंखलाएं जैसे मेरिएट इंटरनेशनल, आईएचजी होटल्स एवं रिसॉर्ट्स तथा ओबेरॉय होटलस स्टेकेशन सुविधाओं का ऑफर दे रहे हैं जहां अतिथि को अपने मनमुताबिक होटल चुनने की सुविधा है। भारत के भ्रमण एवं पर्यटन उद्योग में विकास की विशाल संभावनाएं विद्यमान हैं। यह उद्योग ई-वीजा योजना के विस्तार की भी बांट जोह रहा है, जिससे देश में पर्यटकों का अंतर्प्रवाह दोगुना होने के आसार हैं। एसोचैम एवं यस बैंक के द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन में यह सामने आया है कि उच्च बजट आवंटन तथा किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के चलते भारत के भ्रमण एवं पर्यटन उद्योग में 2.5 प्रतिशत तक विस्तारित होने की क्षमता है।

साभार / स्त्रोत : www.ibef.org

भारत में पर्यटन के नए आयाम

तथा उनके प्रोत्साहन के लिए किए जा रहे **प्रयास**

आर्थिक पॉवरहाउस के रूप में पर्यटन क्षेत्र का बढ़ता प्रभाव और विकास के उपकरण के रूप में इसकी क्षमता अकाट्य है। पर्यटन क्षेत्र न सिर्फ विकास की अगुवाई करता है, बल्कि बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के रोजगार सृजित करने की क्षमता के साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाता है। यह पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करता है, विविध सांस्कृतिक विरासत की हिमायत करता है और दुनिया में शांति को मजबूत करता है। भारत में पर्यटन के विविधिकरण, विकास और संवर्धन तथा भारत को साल भर पर्यटन गंतव्य के अनुकूल बनाने के लिए इसमें अनेक नए आयाम जोड़े गए हैं। इसके तहत पर्यटन मंत्रालय ने देश में गोल्फ, मेडिकल/वेलनेस, क्रूज और एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। देश पर्यटन के क्षेत्र में जो नए आयाम शुरू किए गए हैं, वे निम्नानुसार हैं :-

चिकित्सा पर्यटन

चिकित्सा पर्यटन (इसे चिकित्सा यात्रा, स्वास्थ्य पर्यटन या वैश्विक स्वास्थ्य देखरेख भी कहा जाता है) ऐसा शब्द है जिसे स्वास्थ्य देखरेख प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके यात्रा करने की तेजी से बढ़ती प्रथा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यात्रियों द्वारा विशेष रूप से मांगी जाने वाली सेवाओं में वरणात्मक प्रोसीजर तथा जटिल विशिष्ट सर्जरी जैसे कि जोड़ प्रतिस्थापन (घुटना/कूल्हा), कार्डियाक सर्जरी, डेंटल सर्जरी तथा कॉस्मेटिक सर्जरी शामिल हैं। इसके अलावा देश में मनोचिकित्सा, वैकल्पिक उपचार तथा अन्य प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। भारत के अलावा एशिया में सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड जैसे अनेक गंतव्य हैं जो चिकित्सा देखरेख की सुविधाओं की पेशकश कर रहे हैं और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन भारत निम्नलिखित कारणों से इस क्षेत्र में उपरोक्त देशों की तुलना में श्रेष्ठ है :-

(I) आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं (ii) स्वास्थ्य की देखरेख के लिए प्रतिष्ठित प्रोफेशनल की उपलब्धता (iii) नर्सिंग की अच्छी सुविधाएं (iv) चिकित्सा सेवाएं तत्काल सुलभ होती हैं, इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। (v) एलोपैथिक उपचार के साथ मिलाकर आयुर्वेद और योग जैसी भारत की परंपरागत स्वास्थ्य देखरेख थेरेपी पर्यटकों को विशेष लाभ पहुंचाती है।

चिकित्सा पर्यटन की गतिविधि मुख्य रूप से निजी क्षेत्र द्वारा चलाई जाती है। पर्यटन मंत्रालय इस क्षेत्र में बाजार विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है। मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र के प्रचार-प्रसार ब्रोशर, सीडी तथा अन्य प्रचार सामग्री तैयार कर उनका वितरण किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेलों जैसे कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट-लंदन, आईटीबी-बर्लिन, अरेबियन ट्रैवल मार्ट आदि में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन को विशेष रूप से प्रमोट किया जाता है।

इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मेडिकल वीजा शुरू किया गया है जो चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रदान किया जा सकता है। इस दिशा में 166 देशों के लिए ई-मेडिकल वीजा भी शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वस्थता पर्यटन बोर्ड

चिकित्सा पर्यटन, स्वस्थता पर्यटन और योग, आयुर्वेद पर्यटन तथा आयुर्वेद, योग, सिद्ध और होमियोपैथी (आयुष) द्वारा शामिल औषधि की भारतीय पद्धति के किसी अन्य प्रारूप का प्रचार-प्रसार करने के लिए समर्पित संस्थानिक रूपरेखा प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने माननीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय चिकित्सा एवं आरोग्यता पर्यटन बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड अंब्रेला संगठन के रूप में काम करता है जो संगठित ढंग से पर्यटन के इस सेगमेंट का प्रचार-प्रसार करता है।

चिकित्सा पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता

अनुमोदित चिकित्सा/पर्यटन मेलों/चिकित्सा सम्मेलनों/स्वस्थता सम्मेलनों/स्वस्थता मेलों एवं इससे संबद्ध रोड शो में भाग लेने के लिए पर्यटन मंत्रालय बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एमडीए योजना के अंतर्गत अनुमोदित चिकित्सा पर्यटन तथा प्रदाताओं अर्थात संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायित अस्पताल आयोग (जेसीआई) और राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) द्वारा प्रत्यायित अस्पतालों के प्रतिनिधियों तथा चिकित्सा पर्यटन में शामिल और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित चिकित्सा पर्यटन सुविधा प्रदाताओं (ट्रैवल एजेंट/टूर ऑपरेटर) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

आरोग्यता पर्यटन

आरोग्यता पर्यटन स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिकतम स्वास्थ्य प्राप्त करने, बढ़ावा देने या बनाए रखने के प्राथमिक प्रयोजन के लिए यात्रा करने के बारे में है। अधिकांश होटल/रिजॉर्ट आयुर्वेद सेंटर का निर्माण कर रहे हैं। अग्रणी टूर ऑपरेटरों ने अपने ब्रोशर में आयुर्वेद को शामिल किया है।

पर्यटन मंत्रालय बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के अंतर्गत अनुमोदित आरोग्यता केंद्रों अर्थात एनएबीएच या राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यायित आरोग्यता केंद्रों के प्रतिनिधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एमडीए सहायता चिकित्सा/पर्यटन मेलों, चिकित्सा सम्मेलनों, आरोग्यता सम्मेलनों, आरोग्यता मेलों तथा संबद्ध रोड शो में भाग लेने के लिए है। इसके अलावा चिकित्सा/स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में रोड शो, ट्रैवल मार्ट में भागीदारी और ब्रोशर, सीडी, फिल्म एवं अन्य प्रचार सामग्री के निर्माण के माध्यम से

विदेशी बाजारों में प्रचार-प्रसार शामिल है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट-लंदन, आईटीबी-बर्लिन में स्वास्थ्य पर्यटन को विशेष रूप से प्रमोट किया गया है।

मध्यप्रदेश की पर्यटन नीति के तहत प्रदेश में नवीन रिसॉर्ट एवं वेलनेस सेंटर (आयुर्वेद, योग, नेचरोपैथी चिकित्सा सुविधायुक्त रिसॉर्ट) की स्थापना हेतु न्यूनतम परियोजना व्यय 500 लाख रूपए पर 15 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है जिसकी अधिकतम सीमा 200 लाख रूपए तक होगी।

ईको तथा साहसिक पर्यटन

साहसिक या एडवेंचर पर्यटन में दूरस्थ, आकर्षक क्षेत्रों का अन्वेषण या यात्रा शामिल होती है। ऐसी किसी रचनात्मक गतिविधि को एडवेंचर की संज्ञा दी जाती है जो व्यक्ति एवं उसके उपकरण दोनों की चरम सीमा तक सहनशीलता की परीक्षा लेती है। एडवेंचर पर्यटन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि पर्यटक विभिन्न प्रकार के वैकेशन पर जाना चाहते हैं। पर्यटन का यह क्षेत्र विशेष रूप से टूर ऑपरेटरों को व्यवसाय का एक अवसर प्रदान करता है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर पर्यटन की गतिविधियों के लिए बुनियादी न्यूनतम मानक के रूप में एडवेंचर पर्यटन पर सुरक्षा एवं गुणवत्ता के मानकों पर 2012 में दिशानिर्देश का एक सेट भी तैयार किया है। इन दिशानिर्देशों को नवीकृत किया गया है तथा संशोधित दिशानर्देश भारतीय एडवेंचर पर्यटन दिशानिर्देश (संस्करण 2.0) 31 मई, 2018 को लांच किया गया है जिसमें एडवेंचर पर्यटन की गतिविधियों के संबंध में भूमि, वायु एवं जल से संबंधित 31 वर्टिकल शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों को पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.tourism.gov.in पर अपलोड किया गया है। इसके अलावा एडवेंचर पर्यटन के गंतव्यों सहित गंतव्यों में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति में कहा गया है कि वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित वन क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राज्य के वन क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा निर्धारित म.प्र. वन (मनोरंजन एवं वन्य प्राणी अनुभव) नियम- 2015 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोतसाहित करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम एवं वन विभाग के संबंधित उपक्रमों द्वारा संयुक्त रूप से पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित कर समुचित प्रयास किए जाएंगे। अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य संभावित स्थानों पर भी ईको एडवेंचर पर्यटन से संबंधित गतिविधियों एवं उनका स्वरूप निर्धारण करने के लिए पर्यटन विभाग अधिकृत होगा। किसी भी स्थल पर संचालित होने वाली गतिविधियों का निर्धारण स्थानीय संभावनाओं/आवश्यकता के अनुरूप किया जा सकेगा। इसमें कैंपिंग ट्रेकिंग, एंगलिंग,

जलक्रीड़ा, एलिफेन्ट सफारी, सायकल सफारी, राइडिंग ट्रेल, फोटो सफारी, केनोईंग सफारी, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग/माउण्टेनीयरिंग, पैरा-सेलिंग/पैरा ग्लाइडिंग, हॉट एयर बलूनिंग आदि गतिविधियां शामिल की जा सकेंगी।

ईको साहसिक पर्यटन में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग भूमि लीज पर अथवा लायसेंस पर दे सकेगा। एक ही स्थान पर या एक से अधिक गतिविधियों के लिए विभिन्न आवेदकों को लायसेंस दिया जा सकेगा। प्रदेश की पर्यटन नीति में एडवेंचर टूरिज्म, वाटर टूरिज्म, वॉटर स्पोर्ट्स, क्रूज/हाउस बोट, नौवहन अधोसंरचना, एम्यूजमेंट पार्क, लाईट एंड साउंड शो/लेजर शो, कैम्पिंग गतिविधियों हेतु अधोसंरचना के निर्माण पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

हॉट एयर बैलून संचालन हेतु विशेष अनुदान

मध्यप्रदेश की पर्यटन नीति में एडवेंचर टूरिज्म हेतु हॉट एयर बैलून गतिविधि संचालन पर भूमि मूल्य छोड़कर शेष परियोजना व्यय पर 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। नीति के अनुसार परियोजना स्थापना हेतु न्यूनतम रूपए 50 लाख का व्यय आवश्यक होगा। अनुदान राशि प्रथम वर्ष गतिविधि की स्थापना पर 15 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष गतिविधि के संचालन पर 10 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 10 प्रतिशत चतुर्थ वर्ष 10 प्रतिशत तथा पांचवे वर्ष गतिविधि के संचालन पर 5 प्रतिशत दिए जाने का प्रावधान है।

गोल्फ पर्यटन

केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने गोल्फ पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किया है। ये दिशानिर्देश विभिन्न मुद्दों का निराकरण करते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ सेवा प्रदाताओं के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा गोल्फ से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू कार्यक्रमों में भाग लेना शामिल है। पर्यटन मंत्रालय ने सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में भारतीय गोल्फ पर्यटन समिति (आईटीजीसी) का भी गठन किया है जो देश में गोल्फ पर्यटन के लिए नोडल संस्था है। पर्यटन मंत्रालय अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत के अंदर गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त करने के लिए अतुल्य भारत ब्रांड के साथ मिलकर इन कार्यक्रमों का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए पात्र गोल्फ कार्यक्रमों, गोल्फ शो, गोल्फ संवर्धन कार्यशालाओं/कार्यक्रमों/वार्षिक बैठकों/सेमिनारों के लिए पर्यटन मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक गोल्फ क्लबों, गोल्फ कार्यक्रम प्रबंधकों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, अनुमोदित टूर ऑपरेटरों/अनुमोदित ट्रैवल एजेंटों तथा कॉरपोरेट घरानों से रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है। ईओआई के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का समय-समय पर आयोजित बैठकों में भारतीय गोल्फ पर्यटन समिति (आईटीजीसी) द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

पोलो पर्यटन

केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय भारतीय पोलो संघ के साथ मिलकर भारत के हेरिटेज स्पोर्ट्स के रूप में पोलो का प्रचार-प्रसार करता है तथा इसने आला पर्यटन उत्पाद के रूप में इस खेल के प्रचार-प्रसार के लिए सहायता के विस्तृत क्षेत्रों की पहचान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

फिल्म पर्यटन

फिल्में पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती हैं। भारत में विविध परिदृश्य, मौसम, रंग, वन्य जीवन और सबसे अहम हमारी संस्कृति और विरासत के साथ विश्व स्तरीय तकनीशियन भी उपलब्ध हैं। ये सब बातें भारत को एक फिल्म की शूटिंग के लिए आदर्श स्थान बनाती हैं। पर्यटन और फिल्म उद्योग के बीच साझेदारी बढ़ रही है और समय के साथ बेहतर हो रही है। पर्यटन मंत्रालय ने फिल्म पर्यटन के प्रचार-प्रसार के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश दिनांक 25 जुलाई, 2012 को जारी किया है। स्थान किराए पर लेना/फिल्मांकन प्रभार, सुगमता शुल्क आदि जैसे घटकों के लिए प्रति फिल्म दो लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फिल्मांकन गंतव्य के रूप में भारत को स्थापित करने के प्रयास में पर्यटन मंत्रालय भारतीय सिनेमा को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों जैसे कि आईएफएफआई-गोवा, यूरोपीय फिल्म बाजार, कान फिल्म महोत्सव और विदेशी बाजारों में अतुल्य भारत के उप ब्रांड के रूप में प्रमोट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि पर्यटन एवं फिल्म उद्योग के बीच सिनर्जी विकसित हो सके और भारतीय एवं वैश्विक फिल्म उद्योग के बीच साझेदारी का निर्माण करने के लिए मंच प्रदान किया जा सके।

फिल्म निर्माताओं को स्थानीय स्तर पर शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। **मध्यप्रदेश** की पर्यटन नीति में कहा गया है कि पर्यटन विभाग इन निर्माताओं को

शासकीय विभागों से विधि मान्य अनुमतियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक समन्वय करेगा। यह सेवा सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर संबंधित निर्माता/कंपनी को दी सकती है। नीति के अनुसार फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु स्थायी अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। मध्यप्रदेश को फिल्म शूटिंग के आदर्श गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।

प्रदेश में उपलब्ध फिल्म पर्यटन संभावनाओं के पूर्ण उपयोग एवं प्रदेश को फिल्म टूरिज्म हेतु पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए पृथक से समग्र फिल्म टूरिज्म पॉलिसी तैयार कर क्रियान्वित की जाएगी। नीति में फिल्म शूटिंग आदि हेतु विभिन्न अनुमतियां देने, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने एवं जिला स्तर तक सहयोग प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।

ग्रामीण पर्यटन

भारत विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं की भूमि है। यहां शहर के साथ-साथ ग्रामीण जीवन भी पर्याप्त है। भारत में कई गांव आज भी ऐसे हैं जो ना केवल भारत को गौरवांतित करते हैं बल्कि आज भी वहां भारत की सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं विद्यमान हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण पर्यटन की परिभाषा में स्पष्ट किया है कि कोई भी ऐसा पर्यटन, जो ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और ग्रामीण स्थलों की धरोहर को दर्शाता हो, जिससे स्थानीय समुदाय को आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचता हो, साथ ही पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच संवाद से पर्यटन अनुभव के अधिक समृद्ध बनने की सम्भावना हो, तो उसे 'ग्रामीण पर्यटन' कहा जा सकता है। व्यस्त पर्यटक मौसम के दौरान परम्परागत पर्यटक स्थलों पर आमतौर पर भारी भीड़ होती है। ऐसे में ग्रामीण पर्यटन शहरी आबादी के बीच निरन्तर लोकप्रिय हो रहा है। इन ग्रामीण इलाकों में आज पर्यटन भली भांति फल-फूल रहा है तथा स्थानीय ग्रामीणों की आय का साधन भी बन रहा है। ना केवल स्वच्छ वातावरण के उद्देश्य से आज लोग गांवों का रुख कर रहे हैं बल्कि इन स्थलों पर व्याप्त ऐतिहासिक और प्राकृतिक चीजों का भी आनंद ले रहे हैं। भारत के विभिन्न गांव अपनी विभिन्न संस्कृतियों, बोली-भाषाओं और परंपराओं के साथ आपका स्वागत करने के लिए सदैव त्तपर रहते हैं। गांवों की परंपरागत ग्रामीण झोपड़ियों में रहने का अनुभव जहां पर्यटकों को एक नया अनुभव देता है वहीं यह स्थानीय ग्रामीण के लिए आय का भी जरिया होता है।

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उद्योग हितधारकों के परामर्श से मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करते हुए देश में ग्रामीण पर्यटन पर राष्ट्रीय रणनीति - आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक पहल के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है :- (i) ग्रामीण पर्यटन और आत्मनिर्भर भारत (ii) ग्रामीण पर्यटन का एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण (iii) विजन, मिशन एवं लक्ष्य (iv) प्रमुख कार्यनीतिक स्तंभ (v) शासन एवं संस्थानिक तंत्र

मध्यप्रदेश की पर्यटन नीति में भी कहा गया है कि प्रदेश में ग्रामीण एवं कृषि पर्यटन को बेहतर अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित कर बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए मध्यप्रदेश में फार्म स्टे, ग्राम स्टे जैसी योजनाएं भी संचालित की जा रही है।

जल पर्यटन

देश की कोस्टलाइन और इनलैंड वाटरवे में अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू दोनों क्रूज पर्यटन के विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय क्रूज पर्यटन तथा रीवर क्रूज सहित पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वहीं **मध्यप्रदेश** की पर्यटन नीति में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले जल क्षेत्रों में पर्यटन संभाव्यता के समुचित उपयोग की दृष्टि से पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु पर्यटन विभाग को अधिकृत किया गया है। प्रदेश की पर्यटन नीति में कहा गया है कि इन जल क्षेत्रों में स्थित तटीय एवं टापूओं की उपलब्ध भूमि पर्यटन विभाग द्वारा संबंधित विभाग से हस्तांतरित कराई जाकर निजी निवेशकों को विभागीय नीति अनुसार आवंटित की जाएगी। इन जल क्षेत्रों में वहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए निजी निवेशकों को हाउस बोट, क्रूज, मोटर बोट एवं जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए लायसेंस दिए जा सकेंगे। लायसेंस देने हेतु मप्र राज्य पर्यटन विकास निगम अधिकृत होगा, जल क्षेत्र की वहन क्षमता, लायसेंस की प्रक्रिया शर्तें एवं फीस आदि निर्धारित करने हेतु पर्यटन नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति अधिकृत होगी। पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित जेटी/बोट क्लब/जेटी एवं बोट क्लब से लगी हुई भूमियों को जल पर्यटन की गतिविधियों के संचालन हेतु जल पर्यटन नीति अंतर्गत लायसेंस प्राप्त निवेशकों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे अपनी गतिविधियों का स्वतंत्र रूप से संचालन कर सकें। पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों को जल पर्यटन के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में जल पर्यटन गतिविधियों की स्थापना हेतु लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी।

स्त्रोत : *www.tourism. gov.in, www.tourism.mp.gov.in*

उद्यमियों के लिए **रोजगार-स्वरोजगार** के नए अवसरों का द्वार

पर्यटन उद्योग

❑**चंद्रदीप सिंह,** प्रोजेक्ट एसोसिएट
भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर

पर्यटन को अब व्यापक रूप से दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक और रोजगार और विकास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक के रूप में स्वीकार किया जाता है। पर्यटन विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को लाभान्वित करता है, जहां पर्यटन से जुड़े अधिकांश रोजगार और व्यवसाय सृजित होते हैं। कहा जाता है कि पर्यटन हर 10 लोगों में से एक को रोजगार प्रदान करता है। पर्यटन को दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रेरक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) के अनुसार पर्यटन विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4 प्रतिशत हिस्सा है जो 3.9 ट्रिलियन डॉलर है।

भारतीय पर्यटन विश्वभर में अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। भारत की भौगोलिक विविधता इसे पर्यटन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है जहां एक ओर इसके उत्तरी छोर में बर्फसे लदी हिमालय की चोटियां हैं वहीं इसके दक्षिणी छोर पर विशाल हिन्द महासागर, पश्चिमी छोर पर सफेद रण और थार रेगिस्तान तो पूर्वी और सुंदरबन के जंगल। विश्व भर से पर्यटक इस विविधता का अनुभव करने के लिए भारत आते हैं। भारत में पर्यटन संस्कृति कोई नया विषय नहीं है। यहां आदि काल से पर्यटन तीर्थाटन और देशाटन के रूप में मौजूद है और तभी से इसके अनंत फायदों का लाभ उठाया जा रहा है। इकीसवीं सदी की शुरुआत से भी देखा जाए तो भारतीय पर्यटन के क्षेत्र में केवल बढ़ोतरी ही हुई है। वर्ष 2001 की तुलना में 2019 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगभग 4 गुना से अधिक का इजाफा देखा जा सकता है। पर्यटन द्वारा विदेशी मुद्रा के अर्जन में भारत विश्व में तेहरवें पायदान पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन विगत कुछ वर्षों से समावेशी विकास की विचारधारा की ओर बढ़ रहा है जिसमें इसकी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करने की क्षमता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में पर्यटन से कुल रोजगार का लगभग 7.5 प्रतिशत आता है। पर्यटन में जितने व्यापक और विस्तृत रोजगार के अवसर हैं, उतने ही अधिक उद्यमिता के अवसर भी हैं।

विगत कुछ वर्षों से कोविड 19 की वैश्विक महामारी के चलते, पर्यटन और पर्यटन उद्योगों में भारी कमी और नुकसान देखने को मिला है। दिसंबर 2020 से लगभग 2022 की शुरुआत तक पर्यटन किसी न किसी प्रकार से प्रभावित रहा है। इसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा की पर्यटन एक संवेदनशील उद्योग है। यह किसी भी बाहरी या भीतरी कारण से प्रभावित हो सकता है। परन्तु पर्यटन उद्योग के बारे में यह भी कहना गलत नहीं होगा की यह उन कुछ उद्योगों में से एक है जो जिस गति से पतन देखता है उस या उससे अधिक गति से उदय भी देखता है। जिसे वर्तमान में उदाहरण के तौर पर कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद से देखा जा सकता है जहां मनाली, शिमला जैसे पर्यटक स्थलों पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर इसका असर कुछ लम्बा देखा गया। इस स्थिति की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थिति से भी की जा सकती है उस समय भी विश्वयुद्ध के बाद पर्यटन उद्योग में भारी इजाफा देखा गया था। इन उद्धरणों से यह सिद्ध होता है कि पर्यटन का पुनरुत्थान भी उसी गति से होता है जिस गति से उसका पतन होता है।

भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 5 टी में भी पर्यटन का एक बड़ा स्थान है। जिसकी मदद से भारत में रोजगार के अवसरों में और रोजगार प्रदान करने वालों की संख्या में इजाफा होगा। पर्यटन

के क्षेत्र में उद्यमिता में अन्य उद्योगों की तुलना में काफी कम जोखिम शामिल होता है, साथ ही इसमें अन्य उद्योगों से कम निवेश

और ज्यादा फायदे के अवसर भी होते हैं। जिस प्रकार हम भारतीय पर्यटन में विविधता देखते हैं उसी प्रकार पर्यटन उद्यम में भी विविधता के सुनहरे अवसर देखने को मिलते हैं। पर्यटन क्षेत्र में उद्यमी के पास उद्यम को अपना प्राथमिक व्यवसाय अन्यथा अपना वैकल्पिक व्यवसाय बनाने की भी सुविधा है। 21 सदी में जहां तकनिकी उन्नति के चलते क्षण भर में ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में संपर्क साधा जा सकता है, वहीं परिवहन में उन्नति से यात्रा के समय में बहुत कमी आई है जिसके कारण पर्यटन सुविधाओं की मांग में भारी इजाफा हुआ है। परिणाम स्वरुप पर्यटन उद्यमियों के लिए अवसरों के नए और विभिन्न द्वार खुले हैं।

पर्यटन के क्षेत्र में किए जा सकने वाले व्यवसाय

1. ट्रेवल एजेंसी : पर्यटन उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है एक ट्रेवल एजेंसी की । ट्रेवल एजेंसी का व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमी के पास कई सारे विकल्प होते हैं। जैसे की इन-बाउंड (भारत में आने वाले विदेशी पर्यटक), आउट-बाउंड (भारत से बाहर जाने वाले पर्यटक) या डोमेस्टिक (भारत में घूमने वाले भारतीय पर्यटक) ट्रेवल एजेंसी के विकल्प होते हैं।

2. ट्रेवल फोटोग्राफी : फोटोग्राफी को उद्यम के तौर स्थापित करना एक नया और रचनात्मक विकल्प है। उद्यमी पर्यटक स्थलों की स्वयं की खींची हुई तस्वीरो को मैगजीन, समाचार पत्र या इंटरनेट के माध्यम से बेच सकते हैं। पिछले कुछ वर्षो में फोटोग्राफी व्यवसाय काफी प्रचलन में आया है। यह एक तकनिकी पेशा है जिसके लिए उद्यमी को इस कौशल में निपुण होना अनिवार्य बना देता है।

3. इवेंट: पर्यटन उद्योग के अंदर इवेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल होता है। इसमें किसी भी प्रसंग या सभा का आयोजन करना शामिल होता है। इन दिनों कंपनियों के कार्यालय कई वैश्विक स्थानों पर होते हैं और उनकी बैठकें भी विभिन्न स्थानों पर होती हैं। इन बैठकों की योजना बनाना एक व्यवसाय के रूप में उभर के आया है जिसकी मांग काफी बढ़ती जा रही है।

4. होम स्टे : कोविड-19 के बाद पर्यटकों का रुझान पारम्परिक आवास सुविधाओं से हटकर अब गैर पारम्परिक सुविधाओं की और जा रहा है। होम स्टे को भारत सरकार भी बढ़ावा दे रही और यह पर्यटक को भी एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। होम स्टे की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं और दिशा निर्देश जारी कर रही हैं।

5. ट्रेवल ब्लॉगिंग : लेखन में रूचि रखने वालों के लिए ट्रेवल ब्लॉगिंग एक अच्छा विकल्प है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के इस दौर में लोगों को विभिन्न पर्यटक स्थलों की जानकारियां, पर्यटन से जुड़ी दिलचस्प बातें या अन्य कई विषयों पर लिखी गई जानकारी पर्यटक के लिए बहुत लाभदायक साबित होती हैं। इस उद्यम में उद्यमी को विभिन्न स्थलों पर जाने और उनके बारे में लिखने का अवसर प्राप्त होता है।

6. रेंटल सेवाएं : पर्यटकों को अपनी यात्रा के दौरान या पर्यटन स्थल पर पहुंचने के बाद आवागमन के लिए वहां की आवश्यकता होती है। इस आवागमन की मांग को पूरा करने के लिए कार रेंटल सेवाएं उद्यम का एक श्रेष्ठ विकल्प बनकर सामने आई है।

7. खानपान सेवाएं : किसी भी यात्रा के दौरान भोजन एक अतिआवश्यक जरुरत होता है। पर्यटन स्थल पर पर्यटक भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यंजनों का अनुभव लेने के लिए हमेशा ही आतुर रहते हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट या कैफे उद्यमों की मांग अधिक बढ़ जाती है। उद्यमी उचित रचनात्मकता और विशिष्टता के साथ उद्यम में जोखिम को कम कर सकते हैं और इसके सफल होने के आसार भी बढ़ जाते हैं।

8. ट्रांसलेटिंग सेवाएं : भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक है। ये पर्यटक विभिन्न देशों से भारत आते हैं जहां की भाषा हमारे भारत की भाषा से अलग होती है। पर्यटकों को उनकी यात्रा के दौरान सहूलियत प्रदान करने के लिए उनकी भाषा में अनुवाद करने वाले टूरिस्ट गाइड, टैक्सी ड्राइवर और अन्य लोगों की आवश्यकता होती है। इस कारण पर्यटन में अनुवाद सेवाओं में उद्यम काफी सफल नजर आते हैं।

भारत में पर्यटन उद्यम उपरोक्त दिए गए उद्यमों तक ही सीमित नहीं हैं। पर्यटन की विविधता और रचनात्मकता इससे जुड़े अन्य उद्यमों को भी उतना ही विविध बना देती है। पर्यटन का व्यवसाय अनुभवों के विक्रय का व्यवसाय है, उद्यमी जिस प्रकार पर्यटक को नया अनुभव प्रदान कर सकता है उसे वह एक उद्यम में विकसित कर सकता है। भारत सरकार भी देश विदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले उद्यमों को अनेक प्रकार की आर्थिक मदद देने के लिए कई योजनाएं चालू कर रही है।

आय और रोजगार के नए मौके

सृजित करने की ओर अग्रसर **पर्यटन उद्योग**

डॉ. कामाक्षी माहेश्वरी असिस्टेंट प्रोफेसर
भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर

मैंकिटोश और गोएल्डनर ने कहा है कि पर्यटकों और आगंतुकों को आकर्षित करने और उनकी मेजबानी करने की प्रक्रिया में पर्यटकों, व्यापार आपूर्तिकर्ताओं, मेजबान समुदायों के मध्य होने वाले पारस्परिक व्यवहार से उत्पन्न होने वाले सम्बन्धों और परिघटनाओं का योग पर्यटन है। पर्यटन बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। पर्यटन का पर्याय केवल यात्रा से नहीं, अपितु व्यापार, स्वरोजगार, शिक्षा, अनुसन्धान, आर्थिक लाभ आदि से भी है। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो पर्यटन केवल आर्थिक तौर पर समृद्ध राजसी या उच्च वर्ग तक ही सीमित था।

अगर इतिहास के पन्नों को टटोला जाए तो पर्यटन 17वीं शताब्दी तक केवल यूरोपियनों के उच्च वर्ग तक ही सीमित था, जो कि ग्रैंड टूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत में करीब 19 वीं शताब्दी के आस-पास भारतीयों ने यात्रा आरम्भ की जो कि मूल रूप से तीर्थस्थलों की हुआ करती थी। सन 1952 में लन्दन, इंग्लैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, कोलम्बो आदि देशों के लिए प्रथम वाणिज्यिक हवाई उड़ाने शुरू हुईं, जो कि पर्यटन में जेट युग की शुरूआत थी, पर्यटन न केवल किसीक्षेत्र के विभिन्न स्थानों को प्रमुखता दिलवाता है, बल्कि सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक रीति-रिवाज, अंर्तराष्ट्रीय सद्भावना एवं आर्थिक स्थिति को भी सुधारता है।

कोरोना महामारी के पहले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन 14 ट्रिलियन डॉलर का रहा। हालांकि कोरोना महामारी की मार पर्यटन उद्योग पर भी उतनी ही पड़ी, जिस प्रकार अन्य उद्योगों पर पड़ी लेकिन पर्यटन उद्योग अपनी गति तीव्रता से वापस पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। टी.टी.डी.आई. (ट्रैवल एण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट इण्डेक्स) के द्वारा जारी सूची में भारत 54वें पायदान पर है जो कि भारत के उज्जवल पर्यटन भविष्य को और शक्तिशाली बना रहा है।

समृद्धि का प्रतीक

भारत की पृष्ठभूमि पर पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने पहली बार देश के पर्यटन के महत्व पर ध्यान दिया, उनके अनुसार पर्यटन सिर्फ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का स्त्रोत नहीं है अपितु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समृद्धि का भी प्रतीक है। फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स इन इण्डिया और यस बैंक की एक रिपोर्ट में यह पाया गया है कि भारत में एक पर्यटक द्वारा की जाने वाली औसत यात्रा सिंगापुर में की जाने वाली यात्रा का 2.8 गुना, मलेशिया में की जाने वाली यात्रा का 4.5 गुना और चीन के 6.5 गुना समान है।

नए रूप में उभर रहा पर्यटन का क्षेत्र

अप्रैल 2022 में भारत में आने वाले पर्यटकों का आंकड़ा

करीबन 302930 रहा और वहीं पर्यटन आय 58330 मिलियन डॉलर रही। भारतीय पर्यटन एक नए रूप में उभर कर सामने आ रहा है। यह आय और रोजगार के नए आयाम स्थापित करने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2020 में पर्यटन उद्योग ने करीबन 31.8 मिलियन रोजगार सृजित किए जिसकी देश के कुल रोजगार में करीबन 7.3 प्रतिशत की भागीदारी रही। ऐसा माना जा रहा है कि पर्यटन का सतत प्रवाह रोजगार के अवसरों को सन 2029 तक 53 मिलियन तक पहुंचा देगा। भारत पर्यटन उद्योग के एक पृथक परिधिय दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे आय और रोजगार के नए स्त्रोत सृजित होंगे।

इंटरनेट क्रांति के बाद बढ़े रोजगार के अवसर

पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जो कि हर वर्ग, हर उम्र, हर योग्यता रखने वाले के लिए महत्व रखता है। पर्यटन उद्योग में नित

नए रोजगार के अवसर आते रहते हैं। खासतौर पर इंटरनेट क्रांति के बाद पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार कई गुना बढ़े हैं। पर्यटन में रोजगार पारम्परिक से लेकर अत्याधुनिक प्रकृति तक के होते हैं, जैसे - ट्रेवल एजेंट, ट्रेवल-टूर ऑपरेटर, टूरिस्ट फेसिलिटेटर, टूर एस्कॉर्ट, एमिग्रेशन अफसर, टिकिट रिजर्वेशन एजेंट, वीसा एजेंट, पाक शाला, डेमोस्ट्रेटर, दुभाषिया, ट्रेवल प्लानर, ट्रेवल राइटर, ट्रेवल फोटोग्राफर, ट्रेवल कंसल्टेंट, मेडिकल टूर एजेंट, ट्रेवल डेस्क मैनेजर, इवेन्ट मैनेजर, ट्रेवल रिसर्चर, होम स्टे मालिक एवं स्टाफ, ग्रामीण पर्यटन उद्योग आदि। जैसा कि विदित है कि पर्यटन नित नए आयामों को रोजगार में बदल रहा है, यही वजह है कि भविष्य में पर्यटन भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का एक मजबूत स्तम्भ होगा, जो कि रोजगार के मानचित्र पर पर्यटन उद्योग को स्वर्ण अक्षरों में उकेरेगा।

प्रमुख डिग्री एवं सर्टिफिकेट कोर्स

कुछ वर्षों पहले तक पर्यटन में रोजगार या उद्योग करने के लिए किसी आवश्यक योग्यता की जरूरत नहीं हुआ करती थी, लेकिन पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय होते ही इसमें सही प्रकार की शिक्षा व योग्यता होना अनिवार्य हो गया है। भारत में रहते हुए कोई भी 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी पर्यटन में तीन साल का डिग्री कोर्स कर सकता है, जैसे - बी.ए., बी.बी.ए., बी.एच.टी.एम., बी.टी.एम., बी.एससी. आदि और कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति पर्यटन में दो साल की डिग्री जैसे एम.बी.ए. (ट्रेवल एंड टूरिज्म), एम.ए. (ट्रेवल एंड टूरिज्म) आदि कर सकता है। इसके अतिरिक्त कई तीन से छः महीने वाले सर्टिफिकेट कोर्स भी किए जा सकते हैं। लेकिन पर्यटन में सही एवं सुचारू रोजगार के लिए बी.बी.ए. (ट्रेवल एंड टूरिज्म) और एम.बी.ए. (ट्रेवल एंड टूरिज्म), करना विशेष रूप सहायक हो सकते हैं। इनके अलावा भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा कोर्स आई.आई.एफ.टी.सी. करके कोई भी 12वीं पास व्यक्ति अपने शहर, गांव या जिले में पर्यटक फेसिलिटेटर के रूप में कार्य कर सकता है।

शिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान

पर्यटन शिक्षा के क्षेत्र में भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया में प्रमुख संस्थान है **भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान,** जोकि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है और पर्यटन शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श में प्रमुखता रखता है। इस संस्थान में ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यानि बी.बी.ए. (ट्रेवल एंड टूरिज्म), और एम.बी.ए. (ट्रेवल एंड टूरिज्म) करवाया जाता है। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान के 5 केंद्र एवं दो कैंप ऑफिस हैं। कोई भी व्यक्ति भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान के किसी भी केंद्र जैसे - ग्वालियर, नोएडा, गोवा, भुवनेश्वर, नेल्लोर से पढ़ाई कर सकता है। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान के अलावा भारत के कई विश्वविद्यालयों में यह कोर्स संचालित है।

पर्यटन मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाओत्जु ने कहा था एक हजार मील की यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है और इस क्षेत्र में हाल में हुए विकास के साथ पहला कदम उठाया जा चुका है।

यात्रा ही गंतव्य है। -डैन एल्डन

पर्यटकों को ठहरने के लिए घर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संचालित

मध्यप्रदेश राज्य बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना योजना

देशी-विदेशी अतिथियों को किफायती दरों पर आवास एवं नाश्ता/भोजन सुविधा प्रदाय करने, देशी-विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति एवं आतिथ्य से परिचित कराने तथा नागरिकों को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता से आय अर्जन एवं रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करने, स्थानीय स्तर पर पर्यटकों हेतु आवासीय सुविधाओं का विकास एवं अभिवृद्धि तथा प्रदेश में निजी क्षेत्र के माध्यम से पर्यटक आवासीय सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में राज्य बेड एण्ड ब्रेक फास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019 संचालित की जा रही है। यह योजना प्रदेश में 01.04.2010 को लागू की गई जिसमें आगे चलकर कुछ संशोधन एवं सुधार किए गए हैं। यहां यह स्पष्ट करना लाजिमी होगा कि यह योजना होटल, मोटल, गेस्ट हाउस पर लागू नहीं होगी। योजना संचालन के दिशा-निर्देश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक, मप्र टूरिज्म बोर्ड को अधिकृत किया गया है।

2. योजनांतर्गत पंजीयन हेतु पात्रता एवं प्रक्रिया

योजनांतर्गत पंजीयन कराने हेतु इकाईयों की पात्रता एवं पंजीयन प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

2.1 इकाई में न्यूनतम 01 तथा अधिकतम 06 कक्ष (12 शैय्या) पर्यटक/अतिथि रहवास के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

2.2 ब्रेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई हेतु पंजीयन शुल्क रू. 2000/- एवं जीएसटी होगा।

2.3 इकाई पंजीयन परिशिष्ट एक में निर्धारित मापदंड/ चेकलिस्ट के आधार पर किया जाएगा। यह परिशिष्ट पंजीयन विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

2.4 पंजीयन तीन साल तक वैध रहेगा।

2.5 तीन वर्ष पश्चात पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ रू. 2000/- + जी.एस.टी. शुल्क एवं निर्धारित दस्तावेज, वैधता की अंतिम तिथि के तीन माह पूर्व जमा कर नवीनीकरण कराया जा सकेगा।

2.6 इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने के इच्छुक संपत्तिधारक को, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा जाएगा) के प्रबंध संचालक को निर्धारित प्रारूप अ में पंजीयन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन फीस का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/ आरटीजीएस/ एनइएफटी अथवा बैंकर्स चेक से करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल के नाम पर बनाए जाने होंगे। आवेदन पत्र अमान्य होने पर यह फीस वापसी योग्य नहीं होगी। आवेदन पत्र के साथ चेक लिस्ट अनुसार जानकारी संलग्न करनी होगी।

योजनांतर्गत इकाई से अपेक्षित पात्रताएं

2.7 इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए इकाई को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा, अर्थात-

(1) यह कि इकाई विशुद्धत: आवासीय हो। इकाई स्वामी अथवा उसके द्वारा नियुक्त किया गया केयरटेकर (देखभाल करने वाला) भौतिक रूप से उसमें सतत निवासरत हो। इकाई में किचन का संचालन किया जाता हो।

(2) यह कि सम्पत्तिधारक/केयरटेकर उसके आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई शयन कक्षों को ही किराए पर दे सकेगा जिसकी संख्या कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 होगी, जिनमें अधिकतम 12 शैय्या होंगी।

(3) यह कि इकाई में स्नानागार, शौचालय, जल, ऊर्जा/विद्युत आपूर्ति, फर्नीचर आदि सुविधाएं उपयुक्त एवं आरामदायक होंगी। कक्षों में हवा आने-जाने के लिए खिड़की अथवा वेंटीलेटर हो।

(4) यह कि इकाई परिसर अच्छी अवस्था में हो। परिसर में साफ-सफाई की उत्तम व्यवस्था हो। अग्नि सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध हो।

(5) किसी एक संपत्तिधारक द्वारा एक ही परिसर/कॉलोनी/भवन में पृथक-पृथक ब्रेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाईयों का पंजीयन नहीं कराया जा सकेगा।

(6) इकाई तक विधिवत पहुंच मार्ग हो एवं इकाई के आसपास कोई अस्वच्छ/प्रदूषणकारी गतिविधि संचालित नहीं हो।

(7) अन्य कोई शर्तें जो राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए।

2.8 उप कंडिका (2.6) में प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रबंध संचालक, पंजीयन के निमित्त निरीक्षणकर्ता नियुक्त कर उसकी स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करेगा।

2.9 परिसर का निरीक्षण करने पर पाई गई कमियों को निर्धारित समयावधि में निरीक्षणकर्ता की संतुष्टि स्तर तक सुधार कर अवसर आवेदक को दिया जाएगा। आवेदक द्वारा ऐसे पत्र के जारी होने के 60 दिवस में सुधार न कर पाने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा।

2.10 निरीक्षणकर्ता नियुक्ति के अधिकतम 15 दिवस में ऐसी जांच अथवा निरीक्षण जैसा कि वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात, परिसर के पंजीयन की अर्हता के संबंध में अपना दृष्टिकोण तय करेगा एवं अपनी अनुशंसाएं देते समय सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही भोजन

सुविधा एवं सेवाओं पर भी विचार करेगा।

2.11 निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रबंध संचालक प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर अधिकतम 15 दिवस में इकाई का पंजीयन करने के लिए विहित प्रारूप ब में प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए वैध होगा, बशर्ते उसे पहले निरस्त न कर दिया जाए। इकाई के सफल संचालन पर पंजीयन का नवीनीकरण, विहित शुल्क अदा करने पर विचार किया जा सकेगा।

2.12 इकाई के पंजीयन की संपूर्ण प्रक्रिया आवेदन प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर पूर्ण की जाएगी तथा परिणाम से आवेदक को अवगत कराया जाएगा।

2.13 इस योजना के अंतर्गत स्थापित इकाईयों की एक डायरेक्ट्री विहित प्रारूप स में संधारित की जाएगी।

2..14 पंजीयन प्रमाण पत्र की एक प्रति निकटस्थ पुलिस थाना प्रभारी को सूचनार्थ प्रेषित की जाएगी।

3. योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण कार्य – प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत प्राधिकारी अथवा योजना प्रभारी अधिकारी तथा एक नामांकित अशासकीय सदस्य द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण अथवा निरीक्षण कार्य किया जाएगा। अशासकीय सदस्यों को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों हेतु निर्धारित यात्रा /आवास/भोजन भत्ते की पात्रता तथा रूपए एक हजार प्रति दिवस के मान से मानदेय भुगतान योग्य होगा।

4. अपात्र इकाई– इस योजनांतर्गत पंजीयन के लिए निम्नानुसार इकाई निर्हर होगी :-

(क) यदि सम्पत्तिधारक या किसी आपराधिक मामले में चालान प्रस्तुत किया गया हो अथवा दंडित होकर जेल में निरूद्ध रहा हो गया

(ख) यदि सम्पत्तिधारक/केयरटेकर दिवालिया हो गया हो,

या

(ग) यदि इकाई का नाम इस योजना की कंडिका-9 के अधीन डायरेक्ट्री से हटा दिया गया हो।

5. सम्पत्तिधारक का दायित्व-योजनांतर्गत संपत्तिधारक के निम्नानुसार दायित्व होंगे :-

5.1 अतिथि/पर्यटक को स्वच्छ एवं सुविधाजनक आवास एवं नाश्ता (ब्रेकफास्ट) उपलब्ध कराए।

5.2 अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान व उनके विवरण की विहित प्रारूप द में एक पंजी संधारित करे, जो निरीक्षण के लिए सभी अवसरों पर उपलब्ध रहेगी। ऐसी पंजी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में नवीनीकृत की जाएगी एवं उसे पांच वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना होगा।

5.3 ब्रेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई में रूकने वाले अतिथियों का विवरण स्थानीय पुलिस को मासिक आधार पर प्रेषित करना होगा। विदेशी अतिथियों का ब्यौरा स्थानीय पुलिस को उनके आगमन के 24 घंटे के अंदर देना होगा।

5.4 इकाई में कार्यरत केयरटेकर/कर्मचारियों का सत्यापन स्थानीय पुलिस से कराया जाना होगा।

5.5 इकाई को अच्छी हालत में संधारित रखना होगा। भवन की साफ-सफाई, सुरक्षा (जिसमें अग्नि सुरक्षा भी शामिल है) का प्रबंध करना होगा।

5.6 इकाई के पंजीयन प्रमाण पत्र, कक्षों का किराया, खाद्य पदार्थों की दरों के साथ, चेक इन/आउट का समय तथा इकाई में कार्यरत कर्मचारियों के नामों की सूची सहज दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

5.7 खाद्य पदार्थ स्वच्छ, ताजा एवं पौष्टिक तैयार कर उपलब्ध कराना होगा।

5.8 अतिथियों को ठहरने तथा खान-पान की सुविधा उनकी दरों, इकाई में चेक इन तथा चेक आउट का समय आदि की समस्त जानकारी पूर्व में उपलब्ध करानी होगी।

5.9 अतिथियों को खान-पान तथा अन्य सुविधाएं जैसा कि वादा किया जाए उपलबध कराना होगा।

5.10 कर्मचारियों के लिए वर्दी निर्धारित करना होगा। वर्दी में दिखाई देने वाले स्थान पर नाम पट्टिका लगानी होगी।

5.11 इकाई के विरूद्ध शिकायत करने के लिए बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी का नाम, पद, पता, दूरभाष क्रमांक, ई-मेल आई.डी. को सहज दृष्टिगोचर रूप से प्रदर्शित करना होगा।

5.12 इकाई द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं में यदि कोई परिवर्तन हो तो प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उसके अनुरूप प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर भेजना होगा।

5.13 अतिथियों की सुरक्षा संपत्तिधारक/केयरटेकर की जिम्मेदारी होगी।

6. सम्पत्तिधारक/केयर टेकर के दायित्व : योजनांतर्गत संपत्तिधारक/केयर टेकर को निम्नानुसार दायित्वों का निर्वहन करना होगा :-

6.1 पृथक फ्रंट ऑफिस/स्वागतकक्ष संधारित नहीं करेगा तथा इकाई को सामान्य आवासीय भवन की तरह रखेगा।

6.2 ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा अथवा उसकी अनुमति नहीं देगा, जो पड़ोसियों तथा मोहल्ले/कॉलोनी के निवासियों की निजता या अधिकारों को विपरीत रूप से प्रभावित करता हो।

6.3 किसी भी व्यक्ति को इकाई की स्थापना/सुविधाओं के संबंध में गलत जानकारी नहीं देगा।

6.4 अतिथि के द्वारा दी गई जानकारी को गोपनीय रखेगा, जब तक कि ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विधि सम्मत निर्देश न दिए गए हों।

6.5 अतिथि की निजता का सम्मान करेगा।

6.6 अतिथि को स्थान, पर्यटक स्थलों, बाजारों, परिवहन आदि के संबंध में सही व प्रामाणिक जानकारी देगा।

6.7 अतिथि के साथ सौम्य, नम्र एवं शिष्ट व्यवहार एवं सभ्य आचरण करेगा।

6.8 संपत्तिधारक द्वारा आय-व्यय का संपूर्ण ब्यौरा संधारित किया जाएगा जो कि मांगे जाने पर मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

6.9 संपत्तिधारक गुणवत्ता एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करेगा। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा छः माही आधार पर उक्त व्यवस्था/प्रक्रिया का प्रमाणीकरण किया जाएगा।

6.10 संपत्तिधारक/केयरटेकर/इकाई में संलग्न कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण करवाकर प्रतिवेदन एवं इनके विरूद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त व्यक्तियों में परिवर्तन होने की दशा में नवीन व्यक्तियों का पुलिस प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

अतिथि के दायित्व

योजनांतर्गत सुविधा का लाभ लेने वाले अतिथि अपने अन्य सामान्य दायित्व के साथ निम्न दायित्वों का पालन करेगा, अर्थात

7.1 वह स्वयं के संबंध में सही विवरण बतलाकर निर्धारित पंजी में उसकी प्रविष्टि करेगा।

7.2 वह उत्तम आचरण तथा व्यवहार रखेगा। वह ऐसी किसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा जो शांति भंग करने वाली हो अथवा जिससे पड़ोसी/मोहल्ले/कॉलोनी में बाधा उत्पन्न होती हो।

7.3 उसकी गतिविधियों से अन्य अतिथियों की निजता अथवा अधिकार प्रभावित नहीं करेगा।

7.4 वह स्वतंत्र किचन संचालित नहीं करेगा।

7.5 जानबूझकर या असावधानीवश उसके या ऐसे किसी व्यक्ति जिसे उसने अनुमति दी हो, द्वारा इकाई में यदि कोई क्षति पहुंचे तो उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। ऐसी क्षति में सामान्य टूट-फूट शामिल नहीं है।

7.6 परिसर को साफ व स्वच्छ रखने में वह संपत्तिधारक/केयरटेकर को पूर्ण सहयोग करेगा, समय पर देय राशि का भुगतान करेगा और ब्रेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई के नियमों का पालन करेगा।

7.7 वह आगन्तुक पंजी में दर्ज कराए अतिथि से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को निजी तौर पर रात्रि में स्वयं के साथ इकाई में रूकने की अनुमति नहीं देगा/रूकने की अनुमति हेतु संपत्तिधारक को बाध्य नहीं करेगा।

7.8 आवास छोड़ते समय विधिवत चेक आउट कराएगा एवं अतिथि पंजी में प्रस्थान दर्ज करेगा।

7.9 परिसर के सुचारू संचालन के लिए बनाए गए नियम निर्देशों को पालन करेगा।

7.10 विदेशी अतिथि आगमन/चेक इन के 24 घंटे के अन्दर स्थानीय पुलिस अधिकारियों को अपने आगमन की सूचना देंगे।

8. अतिथियों के सुझाव/फीडबैक एवं शिकायत का निराकरण

योजनांतर्गत अतिथियों के सुझाव व फीडबैक प्राप्त करने तथा उनकी शिकायत के निराकरण हेतु निम्नानुसार प्रावधान निर्धारित किए गए हैं :-

8.1 सम्पत्तिधाकर द्वारा प्रदान की गई सेवाओं एवं सुविधाओं के आधार पर फीडबैक देने हेतु सम्पत्तिधारक द्वारा फीडबैक सुझाव रजिस्टर का संधारण किया जाएगा।

8.2 समस्त अतिथियों द्वारा चेक आउट करते समय फीडबैक रजिस्टर में फीडबैक/सुझाव देने हेतु अनुरोध किया जाए।

8.3 नवीनीकरण के समय उक्त फीडबैक/सुझाव रजिस्टर की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाए।

8.4 उक्त फीडबैक/सुझाव के आधार पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार/दण्ड लगाए जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

8.5 उत्कृष्ट सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक/सुझाव प्राप्त

होने पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार श्रेणी में पृथक से अंकों का प्रावधान किया जाएगा।

8.6 खराब सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को सुधार हेतु चेतावनी दी जाएगी। सम्पत्तिधारक द्वारा 03 बार चेतावनी देने के उपरांत भी सुधार न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपादित की जाएगी।

8.7 जब कोई सम्पत्तिधारक/केयर टेकर अतिथि को गलत जानकारी देता है या खाद्य पदार्थ या अन्य सुविधाएं जैसा कि वह वचन देता है, उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो अतिथि इस बारे में एक लिखित शिकायत ऐसे दस्तावेज या सामग्री जिन पर वह विश्वास करता है, के साथ प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसी शिकायत ई-मेल (md@mptourism.com) या पोस्ट से भेजी जा सकती है। शिकायत पत्र में अतिथि का पूरा स्थाई पता, दूरभाष/मोबाइल क्रमांक, ई-मेल आई.डी. होना चाहिए।

8.8 अतिथियों द्वारा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित दूरभाष क्रमांक पर शिकायतें पंजीकृत की जा सकती हैं। उक्त शिकायतों के निराकरण हेतु बोर्ड द्वारा पंजी का संधारण किया जाएगा, जिसमें की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी होगी।

8.9 प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत को जांच तथा सम्पत्तिधारक को पक्ष प्रस्तुति का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात या तो समाधान कारक रूप से निरस्त करेगा अथवा शिकायत सत्य प्रमाणित होने पर इकाई का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्ट्री से हटा देगा।

8.10 प्रकरण में निराकरण से संतुष्ट न होने की स्थिति में मंत्री, पर्यटन, मध्यप्रदेश शासन, को अपील की जा सकती है, जिनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

पंजीयन निरस्तीकरण एवं डायरेक्ट्री से नाम हटाया जाना :-

योजनांतर्गत इकाई के पंजीयन निरस्तीकरण एवं डायरेक्ट्री से नाम हटाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है :-

9.1 प्रबंध संचालक एक लिखित आदेश के जरिए इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाते हुए उसका पंजीयन प्रमाण-पत्र निम्न आधारों पर निरस्त कर सकेगा, अर्थात

(क) यदि सम्पत्तिधारक/केयर टेकर में बिना अनुमति परिवर्तन कर दिया गया हो,

(ख) यदि सम्पत्तिधारक/केयर टेकर के विरूद्ध आपराधिक मामले में चालान पेश हुआ हो अथवा दंडित किया गया हो अथवा वह जेल में रहा हो,

(ग) यदि सम्पत्तिधारक दिवालिया घोषित हो गया हो।

(घ) यदि सम्पत्तिधारक/केयर टेकर ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो,

(च) यदि इकाई से पड़ोसी, मोहल्ले/कॉलोनी निवासियों की निजता अथवा अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ना पाया गया हो,

(ङ) अन्य कोई उपयुक्त कारण,

9.2 उप कंडिका (1) में की गई कार्रवाई से प्रचलित विधि के अंतर्गत सम्पत्तिधारक को अभियोजित करने की कार्रवाई अथवा उसके सिविल दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9.3 इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाने के पूर्व प्रबंध संचालक, संपत्तिधारक को उन कारणों को बतलाते हुए 15 दिवस अवधि युक्त कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर स्थापना का नाम डायरेक्ट्री से हटाया जाना प्रस्तावित हो। सम्पत्तिधारक को पक्ष प्रस्तुति का अवसर देने के पश्चात प्रबंध संचालक मामले में नीति अनुरूप निर्णय लेंगे।

9.4 अतिथि शिकायत पर निरस्त पंजीयन को छोड़कर अन्य नियम पालन संबंधी कारणों से इकाई का पंजीयन निरस्त होने पर, वांछित सुधार के बाद पुनः पंजीयन के लिए आवेदन ग्राह्य किया जा सकेगा। ऐसे आवेदन पत्रों पर कंडिका-2 के प्रावधानों के अनुसार पुनः परीक्षण उपरांत प्रबंध संचालक द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

10. इकाई को प्राप्त सुविधाएं :

योजनांतर्गत पंजीकृत इकाई को निम्नानुसार सुविधाएं प्राप्त होने की पात्रता होगी :-

10.1 इकाई जल कर तथा सम्पत्ति कर का आवासीय दर से संबंधित स्थानीय नगरीय/ग्रामीण निकाय को भुगतान करेगा।

10.2 बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाई पर प्रचलित प्रावधान अनुसार गुड्स एवं सर्विसेस टेक्स (जी.एस.टी.) लागू होगा।

10.3 इकाई को विद्युत प्रभार म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा संबंधित प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रचलित आवासीय दर पर नियमानुसार भुगतान करना होगा।

10.4 योजना के अंतर्गत प्रचलित नियमों के अंतर्गत करों, फीस आदि, अगर कोई देय हो तो उसका भुगतान करने का दायित्व इकाई का होगा।

10.5 इकाई को फूड तथा रेस्टोरेन्ट लायसेंस लेना आवश्यक नहीं होगा।

11. निरीक्षण की शक्तियां

11.1 प्रबंध संचालक या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा आवश्यकता पर पंजीकृत इकाईयों के परिसर का निरीक्षण किया जा सकेगा।

12. प्रचार-प्रसार

12.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड ऐसी पंजीकृत इकाईयों का प्रचार-प्रसार अपनी वेबसाइट तथा अन्य माध्यम से करेगा।

12.2 योजना अर्थात पंजीकृत बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाईयों की डायरेक्ट्री/प्रोफाइल समय-समय पर (ऑनलाईन एवं ऑफलाईन) प्रकाशित की जाएगी।

13. प्रोत्साहन

13.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म पुरस्कार (अवार्ड्स) अंतर्गत प्रतिवर्ष श्रेष्ठ बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई को अवार्ड दिया जाएगा।

13.2 पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित/भाग लिए जाने वाले मार्केटिंग रोड शो आदि में भाग ले सकेगा।

13.3 होम स्टे का ब्रोशर/वेबसाईट बनाने हेतु व्यय का 100 प्रतिशत (सौ फीसदी) अथवा अधिकतम रू. 10,000/- +सम्पत्तिधारक को एक बार देय होगा। संबंधित प्रोत्साहन हेतु प्रपत्र-1 में आवेदन किया जा सकेगा।

13.4 संपत्तिधारक को वेबसाइट निर्माण हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपए 10,000/- अनुदान दिया जाएगा।

13.5 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्केटिंग शो/रोड शो/बॉयर सेलर मीट में भाग लेने पर एक व्यक्ति के परिवहन व्यय (रेल द्वारा एसी-2 श्रेणी देश में/विदेश भ्रमण हेतु इकानॉमी क्लास का) एवं स्टॉल शुल्क की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रूपए 50,000/- का अनुदान दिया जाएगा।

13.6 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई को निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा :-

(अ) प्रथम वर्ष उपरांत न्यूनतम 50 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रूपए 15,000/- अनुदान

(ब) द्वितीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 75 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रूपए 20,000/- अनुदान।

(स) तृतीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 100 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रूपए 25,000/- अनुदान।

न्यूनतम पर्यटक/अतिथि आवास दिवस की शर्त पूर्ण न होने पर नवीनीकरण तो किया जा सकेगा किंतु अनुदान देय नहीं होगा।

13.7 उपरोक्त अनुदान क्लेम हेतु आवेदन प्रपत्र-1 में किया जाएगा। आवेदन निराकरण प्रक्रिया प्रपत्र-2 अनुसार होगी।

14. प्रशिक्षण

संभावित बेड एण्ड ब्रेकफास्ट धारकों/पंजीकृत बेड एण्ड ब्रेकफास्ट धारकों को सामान्य संचालन संबंधी प्रशिक्षण मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त करने की सुविधा यथा मांग/आवश्यकता उपलब्ध कराई जाएगी। पंजीकृत संपत्तिधारकों की मांग के अनुरूप हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन, व्यवहार कुशलता, सुरक्षा, प्रावधान जैसे आवश्यक प्रशिक्षणों को आयोजन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा कराया जाएगा।

15. बेड एण्ड ब्रेकफास्ट विकास में निजी क्षेत्र/पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति की भूमिका

15.1 प्रदेश में बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना हेतु पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों एवं अलाभकारी संस्थाओं/सहकारी समितियों आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा।

15.2 ऐसी संस्थाएं जो पर्यटन विभाग/बोर्ड द्वारा ग्राम स्टे एवं इससे संबंधित गतिविधियों के संचालन में चयनित/सूचीबद्ध संस्थाओं को विभाग/मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी।

16. योजना को लागू करना

इस योजना को लागू करने एवं प्रक्रिया आदि निर्धारण हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।

17. योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन : इस योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन हेतु मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग अधिकृत होगा।

अधिक जानकारी के लिये: *www.tourism.mp.gov.in* का अवलोकन करें। ई-मेल :: *homestay.mptb@mp.gov.in*

पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का अनुभव कराने हेतु संचालित

मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना योजना

देशी-विदेशी पर्यटकों को प्राकृतिक परिवेश में आवास एवं भोजन सुविधा एवं फार्म जीवन का अनुभव प्रदाय करने, उन्हें भारतीय ग्रामीण संस्कृति, खान-पान, आतिथ्य, कृषि एवं साहसिक पर्यटन का अनुभव प्रदान करने, गैर शहरी क्षेत्र के संपत्तिधारकों को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता से आय के साथ पर्यटन संवर्धन एवं विकास तथा स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से राज्य में मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019 संचालित की जा रही है। यह योजना नगरीय निकाय की सीमा को छोड़कर संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है। योजना संचालन के विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को अधिकृत किया गया है।

योजनांतर्गत फार्म स्टे से आशय नगरीय निकायों (नगर पालिका, नगर निगम) की सीमा से बाहर स्थित ऐसे आवासीय भवन से होगा जिसमें संपत्तिधारक/केयर टेकर स्वयं निवास करता हो, ऐसे भवन में कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 कक्ष (12 शैय्या तक) पर्यटक आवास हेतु संधारित एवं उपलब्ध हो, खानपान सुविधा उपलब्ध हो तथा प्राकृतिक पर्यावरणीय अनुभव एवं इनडोर-आउटडोर मनोरंजक गतिविधियां उपलब्ध हों। ऐसे मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत स्वीकृत किए जाने वाले भवन को फार्म स्टे से संबोधित किया जाएगा, मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत फार्म स्टे जिस भूमि पर स्थित है वह भूमि जिस व्यक्ति के नाम से पंजीकृत, नामांकित अथवा मालिकाना हक की है, उसे संपत्तिधारक से संबोधित किया जाएगा एवं मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत

संपत्तिधारक द्वारा फार्म स्टे की देखभाल करने हेतु अधिकृत किए गए व्यक्ति को केयर टेकर से संबोधित किया जाएगा जो इकाई में सदैव निवासरत होगा।

2. योजना अंतर्गत पंजीयन कैसे कराएं योजना अंतर्गत नगरीय निकायों से बाहर स्थित आवासों को पंजीयन कराने के प्रावधान एवं प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित है :-

2.1 सम्पत्तिधारक/केयर टेकर न्यूनतम 01 तथा अधिकतम 06 कक्ष (12 शैया) को पर्यटक रहवास के लिए उपलब्ध करा सकेगा।

2.2 फार्म स्टे का पंजीयन शुल्क रू. 5000/-एवं जीएसटी होगा। (इकाइयों का पंजीयन परिशिष्ट एक में निर्धारित मापदंड चेकलिस्ट के आधार पर किया जाएगा।) परिशिष्ट का अवलोकन पर्यटन विभाग की वेबसाईट से किया जा सकता है

2.3 पंजीयन तीन साल तक वैध रहेगा।

2.4 तीन वर्ष पश्चात पंजीयन के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ रू. 5000/- एवं जीएसटी एवं पूर्व संचालन संबंधी जानकारी सहित वैधता की अंतिम तिथि के तीन माह पूर्व जमा कर नवीनीकरण कराया जा सकेगा।

2.5 जो सम्पत्तिधारक इस योजना अंतर्गत पंजीकरण कराने का इच्छुक हो, उसे मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा जाएगा) के प्रबंध संचालक को प्रारूप अ में विहित पंजीयन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन फीस का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/ आरटीजीएस/ एनईएफटी अथवा बैंकर्स चेक से करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल के नाम पर बनाए जाएंगे। आवेदन पत्र अमान्य होने पर वह फीस वापसी योगय नहीं होगी। आवेदन के साथ चेक लिस्ट अनुसार जानकारी संलग्न करनी होगी।

6. इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए फार्म स्टे को निम्न शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा, अर्थात -

(1) यह कि फार्म स्टे विशुद्धत: आवासीय इकाई हो। इकाई स्वामी अथवा उसके द्वारा नियुक्त किया गया केयर टेकर (देखभाल करने वाला) भौतिक रूप से उसमें निवासरत हो एवं इकाई में किचन का संधारण/संचालन हो।

(2) यह कि सम्पत्तिधारक/केयर टेकर उसके आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई शयन कक्षों को यथा मांग किराए पर दे सकता है, जिसकी संख्या कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 होगी, जिसमें अधिकतम 12 शैय्या होगी।

(3) यह कि इकाई में स्नानागार, शौचालय, जल, ऊर्जा आपूर्ति, फर्नीचर व अन्य सुविधाएं उपयुक्त/आरामदायक होंगी। कक्षों में हवा आने-जाने के लिए खिड़की अथवा वेन्टीलेटर हो।

(4) यह कि परिसर अच्छी अवस्था में हो। परिसर में साफ-सफाई की उत्तम व्यवस्था हो। अग्नि सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध हो।

(5) संपत्तिधारक/केयर टेकर द्वारा एक ही

परिसर/भवन/कॉलोनी में पृथक-पृथक फार्म स्टे का पंजीयन नहीं कराया जा सकेगा।

(6) अन्य कोई शर्तें जो राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएं।

2.7 उप कंडिका (2.5) में प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रबंध संचालक, पंजीयन के निमित्त निरीक्षणकर्ता नियुक्त कर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करेगा।

2.8 परिसर का निरीक्षण करने पर पाई गई कमियों को निर्धारित समयावधि में निरीक्षणकर्ता की संतुष्टि स्तर तक सुधार का अवसर आवेदक को दिया जाएगा। आवेदक ऐसा करने में यदि असफल रहता है तो उसका आवेदन अमान्य किया जाएगा।

2.9 निरीक्षणकर्ता, ऐसी जांच अथवा निरीक्षण जैसा कि वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात, परिसर के पंजीयन की अर्हता के संबंध में अपना दृष्टिकोण तय करेगा। निरीक्षणकर्ता अपनी अनुशंसाएं देते समय सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही भोजन सुविधा एवं सेवाओं पर भी विचार करेगा।

2.10 निरीक्षणकर्ता प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रबंध संचालक, प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर इकाई का पंजीयन करने के लिए विहित प्रारूप ब में प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए होगा, बशर्ते उसे पहले निरस्त न कर दिया जाए। फार्म स्टे के सफल संचालन पर पंजीयन का नवीनीकरण, विहित शुल्क अदा करने पर किया जा सकेगा।

2.11 फार्म स्टे के पंजीयन की संपूर्ण प्रक्रिया आवेदन प्राप्ति से 45 दिवस में पूर्ण की जाएगी तथा परिणाम से आवेदक को अवगत कराया जाएगा।

2.12 इस योजना के अंतर्गत स्थापित फार्म स्टे की एक डायरेक्ट्री विहित प्रारूप स में संधारित की जाएगी।

3. योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण कार्य : प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत प्राधिकारी अथवा योजना प्रभारी अधिकारी तथा एक नामांकित अशासकीय सदस्य द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण अथवा निरीक्षण कार्य किया जाएगा। अशासकीय सदस्यों को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों हेतु निर्धारित यात्रा/आवास/भोजन भत्ते की पात्रता तथा रूपए एक हजार प्रति दिवस के मान से मानदेय भुगतान योग्य होगा।

4. इकाई की अपात्रता : योजनांतर्गत पंजीयन के लिए कोई फार्म स्टे निर्हर होगा -

(क) यदि सम्पत्तिधारक/केयर टेकर किसी आपराधिक मामले में चालान प्रस्तुत किया गया हो अथवा दंडित होकर जेल में निरूद्ध रहा हो, या

(ख) यदि फार्म स्टे का नाम इस योजना की कंडिका-9 के अधीन डायरेक्ट्री से हटा दिया गया हो।

5. संपत्तिधारकों के दायित्व :

योजनांतर्गत संपत्तिधारक के दायित्व निम्नानुसार होंगे :-

5.1 अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान व उनके विवरण की विहित प्रारूप द में एक पंजी संधारित करे, जो निरीक्षण के लिए सभी अवसरों पर उपलब्ध रहेगी। ऐसी पंजी प्रत्येक

वर्ष नवीनीकृत की जाएगी एवं उसे पांच वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना होगा।

5.2 फार्म स्टे में रूकने वाले विदेशी अतिथियों का विवरण स्थानीय पुलिस को 24 घण्टे में प्रेषित करना होगा।

5.3 फार्म स्टे में रूकने वाले सभी अतिथियों की जानकारी संबंधित सरपंच को प्रेषित करना होगा।

5.4 फार्म स्टे के समुचित संधारण, उत्तम साफ सफाई, सुरक्षा जिसमें अग्नि सुरक्षा भी शामिल है, का प्रबंध करना होगा।

5.5 फार्म स्टे के पंजीयन प्रमाण पत्र, कक्षों का किराया, खाद्य पदार्थों की दरों के साथ, चेक इन/आउट का समय तथा फार्म स्टे में कार्यरत कर्मचारियों के नामों की सूची सहज दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

5.6 खाद्य पदार्थ स्वच्छ, ताजा एवं पौष्टिक तैयार कर उपलब्ध कराना होगा।

5.7 अतिथियों को ठहरने तथा खान-पान की सुविधा उनकी दरों, फार्म स्टे के खुलने एवं बंद होने आदि की समस्त जानकारी पूर्व में उपलब्ध करानी होगी।

5.8 अतिथि समस्या निराकरण/शिकायत के लिए बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी का नाम, पद, पता, दूरभाष क्रमांक, ई-मेल आई.डी. को सहज दृष्टिगोचर रूप से प्रदर्शित करना होगा।

6. संपत्तिधारक/केयर टेकर

6.1 सम्पूर्ण फार्म स्टे इकाई सामान्य आवासीय भवन की तरह संधारित रखेगा।

6.2 संपत्तिधारक अतिथियों की आवास/खानपान की व्यवस्था के साथ मनोरंजक गतिविधियां जैसे इनडोर/आउटडोर गेम्स, स्विमिंग पुल, किचन गार्डन, लान, बगीचा, फलोद्यान आदि अनुभव उपलब्ध कराएगा।

6.3 ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा अथवा उसकी अनुमति नहीं देगा, जो पड़ोसियों तथा मोहल्ले/कॉलोनी के निवासियों की निजता अथवा अधिकारों को विपरीत रूप से प्रभावित करता हो।

6.4 किसी भी व्यक्ति को इकाई की स्थापना के संबंध में गलत जानकारी नहीं देगा।

6.5 अतिथि के साथ सौम्य, नम्र एवं शिष्ट व्यवहार एवं सभ्य आचरण करेगा एवं अतिथि की सुरक्षा एवं सुरक्षित व निरापद आवास सुनिश्चित करेगा।

6.6 संपत्तिधारक द्वारा आय-व्यय का संपूर्ण ब्यौरा संधारित किया जाएगा जो कि मांगे जाने पर मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

6.7 संपत्तिधारक गुणवत्ता एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करेगा। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा छ:माही आधार पर उक्त व्यवस्था/प्रक्रिया का प्रमाणीकरण किया जाएगा।

6.8 सम्पत्तिधारक/केयरटेकर/इकाई में संलग्न कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण करवाकर प्रतिवेदन एवं इनके विरूद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त व्यक्तियों में परिवर्तन होने की दशा में नवीन व्यक्तियों को पुलिस प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

7. अतिथि के दायित्व : योजनांतर्गत अतिथि अपने अन्य सामान्य दायित्व के साथ निम्न दायित्वों का पालन करेगा, अर्थात,

7.1 वह स्वयं के संबंध में सही विवरण बतलाकर निर्धारित पंजी में उसकी प्रविष्टि करेगा।

7.2 वह उत्तम आचरण तथा व्यवहार रखेगा। वह ऐसी किसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा जो शांति भंग करने वाली हो अथवा जिससे पड़ोसी/मोहल्ले/कॉलोनी में बाधा उत्पन्न होता हो।

7.3 उसकी गतिविधियों से अन्य अतिथियों की निजता अथवा अधिकार प्रभावित नहीं करेगा।

7.4 परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखने में वह भवन स्वामी/केयर टेकर को पूर्ण सहयोग करेगा, समय पर देय राशि का भुगतान करेगा और संपत्तिधारक द्वारा तय नियमों का पालन करेगा एवं परिसर को क्षति नहीं पहुंचाएगा।

7.5 आगंतुक पंजी में दर्ज व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को रात्रि में स्वयं के साथ फार्म स्टे में रूकने की अनुमति नहीं देगा।

7.6 विदेशी अतिथि अपने आगमन के 24 घण्टे में स्थानीय पुलिस अधिकारी को सूचित करेगा।

8. अतिथियों के सुझाव/फीडबैक एवं शिकायत का निराकरण

8.1 सम्पत्तिधारक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं एवं सुविधाओं के आधार पर फीडबैक देने हेतु सम्पत्तिधारक द्वारा फीडबैक/सुझाव रजिस्टर का संधारण किया जाएगा।

8.2 समस्त अतिथियों द्वारा चेक आउट करते समय फीडबैक रजिस्टर में फीडबैक सुझाव देने हेतु अनुरोध किया जाए।

8.3 नवीनीकरण के समय उक्त फीडबैक सुझाव रजिस्टर की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाए।

8.4 उक्त फीडबैक सुझाव के आधार पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार/दण्ड लगाए जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

8.5 उत्कृष्ट सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक/सुझाव प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार श्रेणी में पृथक से अंकों का प्रावधान किया जाएगा।

8.6 खराब सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को सुधार हेतु चेतावनी दी जाएगी। सम्पत्तिधारक द्वारा 03 बार चेतावनी देने के उपरांत भी सुधार न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपादित की जाएगी।

8.7 जब कोई सम्पत्तिधारक/केयर टेकर अतिथि को गलत

जानकारी देता है या खाद्य पदार्थ या अन्य सुविधाएं जैसा कि वह वचन देता है, उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो अतिथि इस बारे में एि लिखित शिकायत ऐसे दस्तावेज या सामग्री जिन पर वह विश्वास करता है के साथ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसी शिकायत ई-मेल (md@mptourism.com) या पोस्ट से भेजी जा सकती है। शिकायत पत्र में अतिथि का पूरा स्थाई पता, दूरभाष/मोबाइल क्रमांक, ई-मेल आई.डी. होना चाहिए।

8.8 अतिथियों द्वारा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित दूरभाष क्रमांक पर शिकायतें पंजीकृत की जा सकती हैं। उक्त शिकायतों के निराकरण हेतु बोर्ड द्वारा पंजी का संधारण किया जाएगा, जिसमें की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी होगी।

8.9 प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत की जांच सम्पत्तिधारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात या तो शिकायत को निरस्त करेगा अथवा यदि यह पाया जाता है कि शिकायत में सत्यता है तो उस इकाई का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्ट्री से हटा देगा।

8.10 प्रकरण में निराकरण से संतुष्ट न होने की स्थिति में मंत्री, पर्यटन मध्यप्रदेश शासन को अपील की जा सकती है। जिनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

9. डायरेक्ट्री से नाम हटाया जाना

9.1 प्रबंध संचालक एक लिखित आदेश के जरिए फार्म-स्टे का नाम डायरेक्ट्री से हटाते हुए उसका पंजीयन प्रमाण-पत्र निम्न आधारों पर निरस्त कर सकेगा, अर्थात,

(क) यदि संपत्तिधारक परिवर्तित हो गया हो एवं नवीन संपत्तिधारक फार्म स्टे संचालन का अनिच्छुक हो,

(ख) यदि सम्पत्तिधारक/केयरटेकर को आपराधिक मामले में चालान पेश हुआ हो अथवा दंडित किया गया हो अथवा वह जेल में रहा हो,

(ग) यदि सम्पत्तिधारक/केयरटेकर ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो।

(घ) अन्य कोई उपयुक्त कारण।

9.2 उप कंडिका (1) में की गई कार्रवाई से प्रचलित विधि के अंतर्गत सम्पत्तिधारक को अभियोजित करने की कार्रवाई अथवा उसके सिविल दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9.3 इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाने के पूर्व प्रबंध संचालक सम्पत्तिधारक को उन कारणों को बतलाते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर स्थापना का नाम डायरेक्ट्री से युक्तियुक्त हटाया जाना प्रस्तावित हो। सम्पत्तिधारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रबंध संचालक मामले में नीति अनुरूप निर्णय लेंगे।

9.4 जिस इकाई का पंजीयन निरस्त किया गया हो, वह वांछित सुधार के बाद पुन: पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसे आवेदन पत्र का कंडिका-2 के प्रावधानों के अनुसार पुन: परीक्षण कर यथोचित निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा।

10. देयताएं

10.1 फार्म स्टे जल कर तथा सम्पत्ति कर का आवासीय दर से संबंधित स्थानीय नगरीय/ग्रामीण निकाय को भुगतान करेगा।

10.2 फार्म स्टे पर प्रचलित प्रावधान अनुसार गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स (जी.एस.टी.) लागू होगा।

10.3 फार्म स्टे को विद्युत प्रभार म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा संबंधित प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रचलित आवासीय दर पर नियमानुसार भुगतान करना होगा।

10.4 योजना के अंतर्गत प्रचलित नियमों के अंतर्गत करों, फीस आदि, अगर कोई देय हो तो उसका भुगतान करने का दायित्व फार्म स्टे का होगा।

11. निरीक्षण की शक्तियां : प्रबंध संचालक या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा आवश्यकता पंजीकृत इकाईयों के परिसर का निरीक्षण किया जा सकेगा।

12. प्रचार-प्रसार

12.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड/मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ऐसी पंजीकृत इकाईयों का प्रचार-प्रसार अपनी वेबसाइट तथा अन्य माध्यम से करेगा।

12.2 योजना अंतर्गत पंजीकृत फार्म स्टे की डायरेक्ट्री समय-समय पर (ऑनलाईन एवं ऑफलाईन) प्रकाशित की जाएगी।

13. प्रोत्साहन

13.1 फार्म स्टे सम्पत्तिधारक को फूड तथा रेस्टोरेंट लायसेंस लेना आवश्यक नहीं होगा।

13.2 मध्यप्रदेश टूरिज्म अवार्ड्स अंतर्गत प्रतिवर्ष श्रेष्ठ फार्म स्टे को अवार्ड दिया जाएगा।

13.3 पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित/भाग लिए जाने वाले मार्केटिंग रोड शो आदि में फार्म स्टे संपत्तिधारक नि:शुल्क भाग ले सकेगा।

13.4 संपत्तिधारक को ब्रोशर प्रिंटिंग हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपए 10,000/-अनुदान दिया जाएगा।

13.5 संपत्तिधारक को वेबसाइट निर्माण हेतु एक बार व्यय राशि

का 100 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपए 10,000/- अनुदान दिया जाएगा।

13.6 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्केटिंग शो/रोड शो/बॉयर सेलर मीट में भाग लेने पर एक व्यक्ति के परिवहन व्यय (रेल द्वारा एसी-2 श्रेणी देश में /विदेश भ्रमण हेतु इकोनॉमी क्लास का) एवं स्टॉल शुल्क की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रुपए 50,000/- का अनुदान दिया जाएगा।

13.7 फार्म स्टे सम्पत्तिधारक को निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा :-

(अ) प्रथम वर्ष उपरांत न्यूनतम 50 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रूपए 15,000/- अनुदान

(ब) द्वितीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 75 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रूपए 20,000/- अनुदान।

(स) तृतीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 100 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रूपए 25,000/- का अनुदान

न्यूनतम पर्यटक/अतिथि आवास दिवस की शर्तें पूर्ण न होने पर नवीनीकरण तो किया जा सकेगा किंतु अनुदान देय नहीं होगा।

13.8 उपरोक्त अनुदान क्लेम हेतु आवेदन प्रपत्र-1 में किया जाएगा। आवेदन निराकरण प्रक्रिया प्रपत्र-2 अनुसार होगी।

14. प्रशिक्षण : संभावित फार्म स्टे धारकों/पंजीकृत फार्म स्टे धारकों को संचालन संबंधी प्रशिक्षण मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त करने की सुविधा यथा मांग/आवश्यकता उपलब्ध कराई जाएगी। पंजीकृत संपत्तिधारकों की मांग के अनुरूप हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन, व्यवहार कुशलता, सुरक्षा प्रावधान जैसे आवश्यक प्रशिक्षणों का आयोजन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा कराया जाएगा।

15. फार्म स्टे विकास में निजी क्षेत्र/पंजीकृत स्व-सहायता समूह/पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति की भूमिका

15.1 प्रदेश में फार्म स्टे स्थापना हेतु पंजीकृत स्व सहायता समूह, पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों एवं अलाभकारी संस्थाओं/सहकारी समितियों आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा।

15.2 ऐसी संस्थाएं जो पर्यटन विभाग/बोर्ड द्वारा फार्म स्टे एवं इससे संबंधित गतिविधियों के संचालन में चयनित/सूचीबद्ध संस्थाओं को विभाग/मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी।

16. योजना को लागू करना :इस योजना को लागू करने, निर्देश जारी करने एवं प्रक्रिया आदि निर्धारण हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।

17. योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन : इस योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन हेतु मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग अधिकृत होगा।

अधिक जानकारी के लिये: *www.tourism.mp.gov.in* का अवलोकन करें।

मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना

योजना, 2019

(पंजीयन तथा नियमन)

पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व-सहायता समूहों को ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटक आवास निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019 बनाई गई है। योजनांतर्गत ग्राम स्टे से आशय ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित ऐसे आवासीय भवन हैं जिसमें गृहस्वामी स्वयं निवास करता हो अथवा पर्यटक आवास के लिए पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित किया गया हो तथा ऐसे आवास में न्यूनतम 1 व अधिकतम 6 कक्ष (12 शैय्या) पर्यटक आवास हेतु संधारित एवं उपलब्ध हों एवं खान-पान सुविधा उपलब्ध हो, गृह स्वामी से भिन्न पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति/पंजीकृत स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित ग्राम स्टे में संबंधितों द्वारा नियमित व्यवस्थापक रखा जाना जरूरी होगा।

इस योजना हेतु संपत्तिधारक से आशय आवासीय भवन के स्वामी अथवा पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व-सहायता समूह से है, जिसके द्वारा पर्यटक आवास निर्मित किए गए हों, से है। योजना के उद्देश्यों में देशी-विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश में आवास, भोजन सुविधा एवं अन्य जीवन अनुभव प्रदाय करना, उन्हें भारतीय ग्रामीण संस्कृति, खान-पान एवं आतिथ्य से परिचित कराना, ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटक आवास सुविधाएं विकसित करना, ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता को पर्यटन व्यवसाय से जोड़ने एवं अतिरिक्त आय अर्जन हेतु करना आदि शामिल हैं।

2. पंजीयन कैसे कराएं

योजनांतर्गत पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व-सहायता समूहों के पंजीकरण हेतु निम्नानुसार प्रावधान व प्रक्रिया निर्धारित किए गए हैं :-

2.1 सम्पत्तिधारक के आवासीय भवन के कक्षों को जिनकी न्यूनतम संख्या 01 तथा अधिकतम संख्या 06 (12 शैय्या) हो, को पर्यटक अतिथि रहवास के लिए उपलब्ध रहेंगे।

2.2 ग्राम स्टे इकाई का पंजीयन शुल्क रू. 1000/- एवं जीएसटी होगा।

2.3 इकाइयों का पंजीयन परिशिष्ट - एक में निर्धारित मापदंड चेकलिस्ट के आधार पर किया जाएगा। परिशिष्ट का अवलोकन पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है।

2.4 पंजीयन तीन साल तक वैध रहेगा।

2.5 तीन वर्ष पश्चात पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ रू. 1000/-+ जी.एस.टी. शुल्क, निर्धारित दस्तावेज एवं गत वर्षों की पर्यटक पंजी की प्रतिलिपि के साथ आवेदन वैधता की अंतिम तिथि के तीन माह पूर्व जमा कर नवीनीकरण कराया जा सकेगा।

2.6 इस योजना अंतर्गत पंजीकरण कराने के इच्छुक संपत्तिधारक को, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा जाएगा) के प्रबंध संचालक को निर्धारित प्रारूप अ में पंजीयन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन फीस का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी अथवा बैंकर्स चेक से करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल के नाम पर बनाए जाएं। आवेदन पत्र अमान्य होने पर यह फीस वापसी योग्य नहीं होगी। आवेदन के साथ चेक लिस्ट (परिशिष्ट-1) अनुसार जानकारी संलग्न करनी होगी।

2.7 इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए ग्राम स्टे को निम्न शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा, अर्थात

(1) यह कि ग्राम स्टे विशुद्धत: आवासीय भवन हो। भवन स्वामी भौतिक रूप से उसमें सतत निवासरत हो एवं किचन का संचालन किया जाता हो/संपत्तिधारक द्वारा आवासीय भवन एवं किचन के संचालन/संधारण की उपयुक्त व्यवस्था की गई हो।

(2) यह कि सम्पत्तिधारक उसके आवासीय भवन के ऐसे आवासीय भाग को ही किराए पर दे सकेगा जिसमें शयन कक्षों की संख्या कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 होगी, (अधिकतम 12 शैय्या होगी)।

(3) यह कि ग्राम स्टे में स्नानागार, शौचालय, जल, ऊर्जा आपूर्ति, सामान्य फर्नीचर आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कक्षों में हवा आने-जाने के लिए खिड़की अथवा वेंटीलेटर हो। प्रत्येक कक्ष का बाथरूम सहित क्षेत्रफल कम से कम 100 वर्गफीट होगा।

(4) यह कि परिसर अच्छी अवस्था में हो। परिसर में साफ-सफाई की नियमित व्यवस्था हो। अग्नि सुरक्षा एवं पर्यटक सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध हो।

(5) अन्य कोई शर्तें जो राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए।

2.8 उप कंडिका (2.6) में प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रबंध संचालक, पंजीयन के निमित्त निरीक्षणकर्ता नियुक्त कर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करेगा।

2.9 परिसर का निरीक्षण करने पर पाई गई कमियों को निर्धारित समयावधि में निरीक्षणकर्ता की संतुष्टि स्तर तक सुधार का अवसर आवेदक को दिया जाएगा। आवेदक द्वारा ऐसे पत्र के जारी होने के 60 दिवस में सुधार न कर पाने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा।

2.10 निरीक्षणकर्ता, नियुक्ति के अधिकतम 15 दिवस में ऐसी जांच अथवा निरीक्षण जैसा कि वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात, परिसर के पंजीयन की अर्हता के संबंध में अपना दृष्टिकोण तय करेगा एवं अपनी अनुशंसाएं देते समय सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही भोजन आदि सुविधा एवं सेवाओं पर भी विचार करेगा।

2.11 निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रबंध संचालक, प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर अधिकतम 15 दिवस में इकाई का पंजीयन करने के लिए विहित प्रारूप ब में प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए वैध होगा, बशर्ते उसे पहले निरस्त न कर दिया जाए। ग्राम स्टे के सफल संचालन पर पंजीयन का नवीनीकरण, विहित शुल्क अदा करने पर किया जा सकेगा।

2.12 ग्राम स्टे के पंजीयन की संपूर्ण प्रक्रिया आवेदन प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर पूर्ण की जाएगी तथा परिणाम से आवेदक को अवगत कराया जाएगा।

2.13 इस योजना के अंतर्गत स्थापित ग्राम स्टे की एक डायरेक्ट्री विहित प्रारूप स में बोर्ड में संधारित की जाएगी।

3. **योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण :** प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत प्राधिकारी अथवा योजना प्रभारी अधिकारी तथा एक नामांकित अशासकीय सदस्य, द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण अथवा निरीक्षण कार्य किया जाएगा। अशासकीय सदस्यों को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों हेतु निर्धारित यात्रा/आवास/भोजन भत्ते की पात्रता तथा रूपए एक हजार प्रति दिवस के मान से मानदेय भुगतान योग्य होगा।

4. **इकाईयों की अपात्रता:**

इस योजना के अंतर्गत पंजीयन के लिए कोई ग्राम स्टे निर्हर होगी -

4.1 यदि सम्पत्तिधारक पर किसी आपराधिक मामले में चालान प्रस्तुत किया गया हो अथवा दंडित होकर जेल में निरूद्ध रहा हो, या

4.2 यदि ग्राम स्टे का नाम इस योजना की कंडिका-9 के अधीन डायरेक्ट्री से हटा दिया गया हो।

5. **संपत्तिधारक/व्यवस्थापक** :योजनांतर्गत सम्पत्तिधारक/व्यवस्थापक का दायित्व होगा कि वह :-

5.1 पर्यटक/अतिथियों को निर्धारित सुविधायुक्त आवास एवं

भोजन उपलब्ध कराएगा।

5.2 अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान व उनके विवरण की विहित प्रारूप द में एक पंजी संधारित करना होगा, जो निरीक्षण के लिए सभी अवसरों पर उपलब्ध रहेगी। ऐसी पंजी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में नवीनीकृत की जाएगी एवं उसे दो वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना होगा।

5.3 ग्राम स्टे में रूकने वाले विदेशी अतिथियों का विवरण स्थानीय पुलिस को 24 घण्टे में प्रेषित करना होगा।

5.4 ग्राम स्टे में रूकने वाले सभी अतिथियों की जानकारी संबंधित सरपंच को प्रेषित करना होगा।

5.5 ग्राम स्टे के समुचित संधारण, उत्तम साफ-सफाई, सुरक्षा, जिसमें अग्नि सुरक्षा भी शामिल है, का प्रबंध करना होगा।

5.6 ग्राम स्टे के पंजीयन प्रमाण पत्र, कमरों का किराया, खाद्य पदार्थों की दरों के साथ, चेक इन/चेक आउट का समय तथा कर्मचारियों के नाम की सूची सहज दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

5.7 खाद्य पदार्थ स्वच्छ, ताजा एवं पौष्टिक तैयार कर उपलब्ध कराना होगा।

5.8 अतिथियों को आवास तथा खान-पान की दरों, चेक इन/चेक आउट की जानकारी पूर्व में उपलब्ध करानी होगी।

5.9 अतिथि समस्या निराकरण/शिकायत के लिए बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी का नाम, पद, पता, दूरभाष क्रमांक की जानकारी संपत्तिधारक द्वारा, चाहे जाने पर अतिथि को उपलब्ध कराई जाएगी।

6. संपत्तिधारक के दायित्व:

संपत्तिधारक के दायित्व निम्नानुसार होंगे :-

6.1 सम्पूर्ण ग्राम स्टे भवन सामान्य आवासीय भवन की तरह संधारित रखेगा।

6.2 संपत्तिधारक अतिथियों की आवास एवं खान-पान की व्यवस्था के साथ ग्रामीण पर्यटन अनुभव संबंधित गतिविधियों जैसे बैलगाड़ी की सवारी, पशुपालन, स्थानीय पेड़-पौधों का परिचय, वानिकी, कृषि कार्य, कृषि उपकरणों का निर्माण, माटीकला, स्थानीय उपज से तैयार वस्तु/पदार्थ का प्रदर्शन तथा ग्रामीण परिवेश से संबंधित नृत्य, संगीत, खान-पान आदि पर्यटकों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

6.3 ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा अथवा उसकी अनुमति नहीं देगा, जो स्थानीय ग्रामीणों में असंतोष उत्पन्न करे अथवा जिसमें अतिथियों को असुविधा हो।

6.4 अतिथि के साथ सौम्य, नम्र एवं शिष्ट व्यवहार एवं सभ्य आचरण करेगा।

6.5 अतिथि की सुरक्षा एवं सुरक्षित व निरापद आवास सुनिश्चित करेगा।

6.6 संपत्तिधारक द्वारा आय-व्यय का संपूर्ण ब्यौरा संधारित किया जाएगा जो कि मांगे जाने पर मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

6.7 संपत्तिधारक गुणवत्ता एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करेगा। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा छ:माही आधार पर उक्त व्यवस्था/प्रक्रिया का प्रमाणीकरण किया जाएगा।

6.8 सम्पत्तिधारक/केयरटेकर/इकाई में संलग्न कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण करवाकर प्रतिवेदन एवं इनके विरूद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त व्यक्तियों में परिवर्तन होने की दशा में नवीन व्यक्तियों का पुलिस प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

7. अतिथि के दायित्व:

योजनांतर्गत अतिथियों से निम्नानुसार दायित्वों का निर्वहन अपेक्षित है :-

7.1 अतिथि स्वयं के संबंध में सही विवरण बतलाकर निर्धारित पंजी में उसकी प्रविष्टि करेगा।

7.2 वह उत्तम आचरण तथा व्यवहार रखेगा। यह ऐसी किसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा जो स्थानीय ग्राम वासियों में असंतोष उत्पन्न करे।

7.3 परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखने में वह ग्राम स्टे स्वामी को पूर्ण सहयोग करेगा, समय पर देय राशि का भुगतान करेगा और संपत्तिधारक द्वारा तय नियमों का पालन करेगा एवं परिसर को क्षति नहीं पहुंचाएगा।

7.4 आगंतुक पंजी में दर्ज व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को रात्रि में स्वयं के साथ ग्राम स्टे में रूकने की अनुमति नहीं देगा।

7.5 विदेशी अतिथि अपने आगमन के 24 घण्टे में स्थानीय पुलिस अधिकारी को सूचित करेगा।

8. अतिथियों के सुझाव/फीडबैक एवं शिकायत का निराकरण

8.1 सम्पत्तिधारक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं एवं सुविधाओं के आधार पर फीडबैक देने हेतु सम्पत्तिधारक द्वारा फीडबैक/सुझाव रजिस्टर का संधारण किया जाएगा।

8.2 समस्त अतिथियों द्वारा चेक आउट करते समय फीडबैक रजिस्टर में फीडबैक/सुझाव देने हेतु अनुरोध किया जाए।

8.3 नवीनीकरण के समय उक्त फीडबैक/सुझाव रजिस्टर की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाए।

8.4 उक्त फीडबैक/सुझाव के आधार पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार/दण्ड लगाए जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

8.5 उत्कृष्ट सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक/सुझाव प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार श्रेणी में पृथक से अंकों का प्रावधान किया जाएगा।

8.6 खराब सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को सुधार हेतु चेतावनी दी जाएगी। सम्पत्तिधारक द्वारा 03 बार चेतावनी देने के उपरांत भी सुधार न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्पादित की जाएगी।

8.7 जब कोई ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक अतिथि को गलत जानकारी देता है या खाद्य पदार्थ या अन्य सुविधाएं जैसा कि वह वचन देता है, उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो अतिथि इस बारे में एक लिखित शिकायत ऐसे दस्तावेज या सामग्री जिन पर वह विश्वास करता है, के साथ प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसी शिकायत ई-मेल (md@mptourism.com) या पोस्ट से भेजी जा सकती है। शिकायत पत्र में अतिथि का पूरा स्थाई पता, दूरभाष, मोबाइल क्रमांक ई-मेल आई.डी. होना चाहिए।

8.8 अतिथियों द्वारा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित दूरभाष क्रमांक पर शिकायतें पंजीकृत की जा सकती हैं। उक्त शिकायतों के निराकरण हेतु बोर्ड द्वारा पंजी का संधारण किया जाएगा, जिसमें की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी होगी।

8.9 प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत की जांच तथा ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात शिकायत को या तो निरस्त करेगा अथवा यदि यह पाया जाता है कि शिकायत में सत्यता है तो उस ग्राम स्टे का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्ट्री से हटा देगा।

8.10 प्रकरण में निराकरण से संतुष्ट न होने की स्थिति में मंत्री, पर्यटन, मध्यप्रदेश शासन, को अपील की जा सकती है, जिसका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

9. **पंजीयन निरस्तीकरण एवं डायरेक्ट्री से नाम हटाया जाना :** योजनांतर्गत पंजीकृत ग्राम स्टे इकाई के पंजीकरण को निरस्त करने एवं उसका डायरेक्ट्री से नाम हटाने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है :-

9.1 प्रबंध संचालक एक लिखित आदेश के जरिए ग्राम स्टे का नाम डायरेक्ट्री से हटाते हुए उसका पंजीयन प्रमाण-पत्र निम्न आधारों पर निरस्त कर सकेगा, अर्थात -

(क) यदि ग्राम स्टे संपत्तिधारक परिवर्तित हो गया हो एवं नवीन संपत्तिधारक गाम स्टे संचालन हेतु अनिच्छुक हो।

(ख) यदि ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक के विरूद्ध आपराधिक मामले में चालान पेश हुआ हो अथवा दंडित किया गया हो अथवा वह जेल में रहा हो,

(ग) यदि ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो।

(घ) अन्य कोई उपयुक्त कारण।

9.2 उप कंडिका (1) में की गई कार्रवाई से प्रचलित विधि के अंतर्गत सम्पत्तिधारक को अभियोजित करने की कार्रवाई अथवा उसके सिविल दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9.3 ग्राम स्टे का नाम डायरेक्ट्री से हटाने के पूर्व प्रबंध संचालक ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक को उन कारणों को बतलाते हुए 15 दिवस अवधि युक्त कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर ग्राम स्टे का नाम डायरेक्ट्री से हटाया जाना प्रस्तावित हो। ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक को पक्ष प्रस्तुति का अवसर देने के पश्चात प्रबंध संचालक मामले में नीति अनुरूप निर्णय लेंगे।

9.4 जिस ग्राम स्टे का पंजीयन निरस्त किया गया हो, वह वांछित सुधार के बाद पुन: पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसे आवेदन पत्र का कंडिका-2 के प्रावधानों के अनुसार पुन: परीक्षण कर यथोचित निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा।

10. **देयताओं में सुविधाएं :** योजनांतर्गत पंजीकृत ग्राम स्टे इकाईयों को देयताओं में निम्नानुसार सुविधाओं की पात्रता होगी :-

10.1 ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक जल कर तथा सम्पत्ति कर का आवासीय दर से संबंधित स्थानीय नगरीय/ग्रामीण निकाय को भुगतान करेगा।

10.2 ग्राम स्टे पर प्रचलित प्रावधान अनुसार गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स (जी.एस.टी.) लागू होगा।

10.3 ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक को विद्युत प्रभार म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा संबंधित प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रचलित आवासीय दर पर नियमानुसार भुगतान करना होगा।

11. निरीक्षण की शक्तियां

11.1 प्रबंध संचालक या उनके अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा आवश्यकता पंजीकृत ग्राम स्टे का निरीक्षण किया जा सकेगा।

12. प्रचार-प्रसार

12.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड/मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ऐसी पंजीकृत ग्राम स्टे का प्रचार-प्रसार अपनी वेबसाइट तथा अन्य माध्यम से करेगा।

12.2 योजना अंतर्गत पंजीकृत ग्राम स्टे की डायरेक्ट्री समय-समय पर (ऑनलाईन एवं ऑफलाईन) प्रकाशित की जाएगी।

13. **प्रोत्साहन :** योजनांतर्गत ग्राम स्टे इकाईयों के प्रोत्साहन हेतु निम्नानुसार प्रावधान निर्धारित किए गए हैं :-

13.1 ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक को फूड तथा रेस्टारेंट लायसेंस लेना आवश्यक नहीं होगा।

13.2 मध्यप्रदेश टूरिज्म अवार्ड्स अंतर्गत प्रतिवर्ष श्रेष्ठ ग्राम स्टे को अवार्ड दिया जाएगा।

13.3 पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित/भाग लिए जाने वाले मार्केटिंग रोड शो आदि में ग्राम स्टे संपत्तिधारक नि:शुल्क भाग ले सकेगा।

13.4 संपत्तिधारक को ब्रोशर प्रिंटिंग हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपए 10,000/- अनुदान दिया जाएगा।

13.5 संपत्तिधारक को वेबसाइट निर्माण हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपए 10,000/- अनुदान दिया जाएगा।

13.6 राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्केटिंग शो/रोड शो/बॉयर सेलर मीट में भाग लेने पर एक व्यक्ति के परिवहन व्यय (रेल द्वारा एसी-2 श्रेणी देश में/विदेश भ्रमण हेतु इकॉनॉमी क्लास का) एवं स्टॉल शुल्क की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रूपए 50,000/- का अनुदान दिया जाएगा।

13.7 ग्राम स्टे को प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा

(अ) प्रथम वर्ष उपरांत न्यूनतम 50 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रूपए 15,000/- अनुदान

(ब) द्वितीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 75 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होन पर रूपए 20,000/- अनुदान

(स) तृतीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 100 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रूपए 25,000/- अनुदान

न्यूनतम पर्यटक/अतिथि आवास दिवस की शर्त पूर्ण न होने पर नवीनीकरण तो किया जा सकेगा किंतु अनुदान देय नहीं होगा।

13.8 उपरोक्त अनुदान क्लेम हेतु आवेदन प्रपत्र-1 में किया जाएगा। आवेदन निराकरण प्रक्रिया प्रपत्र-2 अनुसार होगी।

14. **प्रशिक्षण** : संभावित ग्राम स्टे धारकों/पंजीकृत ग्राम स्टे धारकों को सामान्य संचालन संबंधी प्रशिक्षण मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त करने की सुविधा यथा मांग/आवश्यकता उपलब्ध कराई जाएगी। पंजीकृत संपत्तिधारकों की मांग के अनुरूप हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन, व्यवहार कुशलता, सुरक्षा प्रावधान जैसे आवश्यक प्रशिक्षणों का आयोजन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा कराया जाएगा।

15. ग्राम स्टे विकास में निजी क्षेत्र/पंजीकृत स्व-सहायता समूह/पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों एवं अलाभकारी संस्थाओं/सहकारी समितियों आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा।

15.2 ऐसी संस्थाएं जो पर्यटन विभाग/बोर्ड द्वारा ग्राम स्टे एवं इससे संबंधित गतिविधियों के संचालन में चयनित/सूचीबद्ध संस्थाओं को विभाग/मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी।

16. **योजना को लागू करना :** इस योजना को लागू करने, निर्देश जारी करने एवं प्रक्रिया आदि निर्धारण हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।

17. **योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन**

इस योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन हेतु मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग अधिकृत होगा।

अधिक जानकारी के लिये: *www.tourism.mp.gov.in* का अवलोकन करें।

मध्यप्रदेश में प्राकृतिक/ आयुर्वेदिक/योग/पारंपरिक पद्धति आधारित उपचार हेतु

वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट

स्थापित करने की नीति 2020

निजी निवेश के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्राकृतिक/ आयुर्वेदिक/योग/ पारंपरिक पद्धति आधारित संपूर्ण उपचार सुविधाओं सहित वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट स्थापित करके प्रदेश को संपूर्ण उपचार का केंद्र बनाने तथा मेडिकल टूरिज्म की वृद्धि से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट स्थापित करने की नीति बनाई गई है। इस नीति के अंतर्गत वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट से आशय एक ऐसे स्थान से है जहां आकर लोग अपनी शरीर की खोई ऊर्जा को पुनर्जागृत कर सकें। यह एक ऐसा मंच हो जहां शांत व सुकूनदायक माहौल में अंतरावलोकन कर सकें, जहां सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले और जीवनशैली के कारण होने वाले रोगों का उपचार आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, स्पा, योग, ध्यान, त्वचा की देखभाल आदि जैसी सेवाओं के माध्यम से किया जा सके।

वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट में वांछित सुविधाएं

वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट में निम्नानुसार सुविधाएं अपेक्षित हैं :-

1. ऑडिटोरिअम या सु-आच्छादित खुला क्षेत्र जहां कम से कम 100 लोगों के बैठने की क्षमता हो।
2. कम से कम 8 सु-प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ चिकित्सा सुविधाएं ।
3. सुप्रशिक्षित योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद शिक्षक जिनके पास मान्यताप्राप्त प्रमाण पत्र हों।
4. स्टार/डीलक्स या इससे उच्च श्रेणी के होटलों जैसी गुणवत्ता वाले कम से कम 10 कक्ष जिनमें न्यूनतम सुविधाएं निम्नानुसार हों :-

4.1 भवन का आमुख, वास्तुशास्त्रीय फीचर्स एवं सामान्य निर्माण किसी लक्जरी होटल की तरह हो।

4.2 सभी सिंगल एवं डबल रूम का फ्लोर एरिया बाथरूम सहित 23 वर्ग मीटर से कम नहीं हो।

4.3 सभी कमरों में बाथरूम आवश्यक रूप से हों जिसमें साज-सज्जा व सुविधाएं लक्जरी होटल की तरह हों तथा चौबीसों घंटे गर्म व ठंडे पानी की उपलब्धता हो।

4.4 बैठक व्यवस्था से युक्त प्रतीक्षालय हो, कमरों में छूटे हुए सामान को रखने की व्यवस्था हो तथा लॉकर या सेफ्टी डिजॉजिट बॉक्स की व्यवस्था हो।

4.5 एक कॉफी शॉप तथा कम से कम एक डाइनिंग रूम हो जो

सुसज्जित, सुव्यवस्थित, सुसंधारित हो तथा जिसमें उच्च गुणवत्ता के खानपान एवं मनोरंजन की व्यवस्था उपलब्ध हो।

4.6 किचन, पैंट्री एवं कोल्ड स्टोरेज की डिजाइन ऐसी हो जो उन्हें दक्ष बनाती हो तथा वहां साफ-सफाई की स्वास्थ्य के लिए लाभदायक व्यवस्था हो।

4.7 एक अच्छी डिजाइन वाला तथा समुचित रूप से सुसज्जित स्वीमिंग पूल हो, इस स्थापना में कम से कम एक मनोरंजनात्मक, खेल सुविधा एवं जीवंत मनोरंजन की सुविधा हो।

4.8 वाहनों को खड़े करने के लिए समुचित सुविधाएं हों।

3. निवेशक चयन

3.1 निजी भूमि पर परिभाषा अनुसार निजी निवेश से वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट स्थापित करने वाले निवेशक इस नीति में वर्णित सुविधाओं के पात्र होंगे।

3.2 पर्यटन विभाग के आधिपत्य की शासकीय भूमि/परिसंपत्ति पर वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट स्थापित करने के लिए निवेशक का चयन भूमि की ऑनलाइन निविदा के माध्यम से किया जाएगा।

3.3 अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (ऐसी परियोजना जिसकी लागत रूपए 100.00 करोड़ से अधिक) हेतु नियत भूमि पर निवेशक का चयन प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किया जाएगा।

4. परियोजना स्थापना हेतु भूमि का आवंटन

4.1 पर्यटन विभाग के लैण्ड बैंक की भूमि पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 में नियत प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन निविदा के माध्यम से आवंटित की जाएगी। निविदा हेतु शहरी क्षेत्र में भूमि की अपसेट प्राईज रूपए 10 लाख प्रति हेक्टेयर एवं ग्रामीण क्षेत्र में रूपए 5 लाख प्रति हेक्टेयर होगी।

5.1 पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 के अंतर्गत वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट स्थापना पर किए गए पूंजी निवेश पर निम्नानुसार पूंजीगत अनुदान की पात्रता होगी :-

अनुदान योजना	न्यूनतम परियोजना व्यय (रूपए लाख में)	स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा (रूपए लाख में)	अन्य शर्तें
नवीन रिसॉर्ट एवं वेलनेस सेंटर (आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, चिकित्सा सुविधायुक्त रिसॉर्ट) की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	500 लाख	15 प्रतिशत	200 लाख	भारत/राज्य शासन द्वारा मान्य परिभाषा एवं मापदंडों/मानकों के अनुसार इकाई की स्थापना आवश्यक है

यदि इकाई की स्थापना नगर निगम क्षेत्रों के प्लान एरिया के बाहर की जाती है तो अनुदान का प्रतिशत 15 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत होगा बशर्ते कि ऐसी इकाई से 10 कि.मी. की परिधि में इकाई श्रेणी की अन्य कोई इकाई स्थापित न हो।

5.2 वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट होने की स्थिति में पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 अंतर्गत निम्नानुसार पूंजीगत अनुदान/निवेश प्रोत्साहन सहायता की पात्रता होगी :-

परियोजना श्रेणी	परियोजना श्रेणी हेतु न्यूनतम निवेश	परियोजना श्रेणी हेतु न्यूनतम (प्रदेश के लोगों को) रोजगार	इकाई द्वारा किए स्थाई पूंजी निवेश पर निवेश प्रोत्साहन सहायता का प्रतिशत	निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि की अधिकतम सीमा	वर्षवार निवेश सहायता राशि भुगतान का प्रतिशत			
					प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
वृहद	रू. 10 करोड़ अथवा उससे अधिक	50	30%	15 करोड़	10%	10%	5%	5%
मेगा	रू. 50 करोड़ अथवा उससे अधिक	100	30%	30 करोड़	10%	10%	5%	5%
अल्ट्रा मेगा	रू. 100 करोड़ अथवा उससे अधिक	200	30%	90 करोड़	10%	10%	5%	5%

4.2 अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हेतु प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर भूमि का आवंटन पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 नियत प्रक्रिया अनुसार साधिकार समिति द्वारा उस स्थान के तत्समय प्रचलित कलेक्टर द्वारा निर्धारित गाइडलाइन रेट पर की जाएगी।

4.3 उपरोक्तानुसार आवंटित भूमि अधिकतम 90 वर्ष की लीज पर पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन नीति अंतर्गत निर्धारित शर्तों पर दी जाएगी।

4.4 यदि निवेशक द्वारा लैण्ड बैंक के अलावा अन्य उपयुक्त शासकीय भूमि चिन्हित की जाती है तो ऐसी भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर उपरोक्त बिन्दु 4.1 एवं 4.2 अनुसार निवेशक को आवंटित की जाएगी।

4.5 आयुष विभाग के आधिपत्य की भूमि का दीर्घावधि, लीज/लायसेंस पर आवंटन विभाग द्वारा निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया अनुसार किया जा सकेगा।

5. वेलनेस सेंटर/ रिसॉर्ट हेतु अनुदान सुविधाएं

5.3 यदि वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट की स्थापना किसी ब्राण्ड के द्वारा की जाती है तो ऐसी इकाई को पर्यटन विभाग की ब्राण्डेड होटल प्रोत्साहन नीति 2019 के प्रावधानों के अनुसार पात्रता होने पर अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकेगा।

5.4 उपरोक्त 5.1 से 5.3 कंडिका में वर्णित सुविधाओं का लाभ पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन नीति अंतर्गत निर्धारित नियम

प्रक्रियाओं के अनुसार दिया जाएगा।

6. पर्यटन विभाग की भूमिका

पर्यटन विभाग द्वारा मुख्यत: निवेशक चयन, भूमि आवंटन, परियोजना स्थापना हेतु फेसिलिटेशन एवं नीति अंतर्गत प्रावधानित अनुदान एवं छूट उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा।

7. नीत में संशोधन, स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/ समस्या निराकरण

नीति में संशोधन हेतु मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग अधिकृत होगा तथा नीति क्रियान्वयन हेतु स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/समस्या निराकरण के लिए पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति अधिकृत होगी।

8. नीति की प्रभावशीलता अवधि

यह नीति जारी होने के दिनांक से पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 के क्रियाशील रहने की अवधि तक लागू रहेगी। नीति की प्रभावशीलता संपूर्ण मध्यप्रदेश में होगी।

अधिक जानकारी के लिये: *www.tourism.mp.gov.in* का अवलोकन करें।

मिडवे ट्रीट

मध्य प्रदेश में मार्ग सुविधा केंद्रों (WAY SIDE AMENITIES)

की स्थापना एवं संचालन नीति (2016) यथा संशोधित 2019

मध्यप्रदेश एक स्थलरूद्ध (Land Locked) प्रदेश है जिसकी सीमाएं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से लगी हुई हैं। देश में पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले प्रमुख राजमार्ग प्रदेश की मध्य स्थिति के कारण यहां से गुजरते हैं, अत: आंतरिक एवं अंतर्राज्यीय परिवहन मुख्यत: सड़क मार्गों से होता है। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर आवागमन में सड़क मार्ग से लम्बी दूरियां तय करना होती है। प्रदेश में राजमार्गों एवं ग्रामीण सड़कों का व्यापक नेटवर्क विद्यमान है जिस पर बड़ी संख्या में यात्री, व्यवसायी एवं पर्यटक निरंतर सड़क मार्ग से आवागमन करते हैं। वर्तमान में सड़क मार्गों पर व्यवस्थित एवं स्तरीय यात्री सुविधा अधोसंरचना की जरूरत के दृष्टिगत आवश्यक है कि योजनाबद्ध रूप से स्तरीय मार्ग सुविधा केंद्रों की स्थापना सुनियोजित रूप से नीति बनाकर की जाए ताकि यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं सुगमता से प्रत्येक 40 से 50 किलोमीटर की यात्रा पर उपलब्ध हो जाए। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी समय-समय पर मार्ग सुविधा केंद्रों की स्थापना हेतु विभिन्न योजनाओं में प्रावधान किए गए हैं एवं राज्यों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई है।

प्रदेश में स्थित पर्यटन केंद्रों एवं टूरिस्ट सर्किट को जोड़ने वाले मार्गों पर यात्री सुविधाओं यथा स्वच्छ खान-पान, शौचालय, विश्राम, टेलिफोन एवं इंटरनेट, सुविधा स्टोर्स, प्राथमिक चिकित्सा, पार्किंग आदि कि स्थापना से पर्यटन में वृद्धि होगी एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

2. रणनीति

2.1 मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा पूरे प्रदेश में रोड नेटवर्क एवं यात्री सुविधाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मार्ग सुविधा केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

2.2 सम्भावित स्थलों एवं तैयार ब्राउन फील्ड मार्ग सुविधा केन्द्रों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि निवेश का वातावरण तैयार हो। इन मार्ग सुविधा केन्द्रों की ब्रांडिंग मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित लोगो एवं डिजाइन अनुसार की जाएगी।

2.3 मार्ग सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए निम्नलिखित तीन मॉडल उपलब्ध होंगे :-

(i) **ब्राउन फील्ड मॉडल :** भारत सरकार एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनांतर्गत प्राप्त निधि से मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा मार्ग सुविधा केंद्रों का निर्माण

निजी क्षेत्र द्वारा लीज पर लेकर संचालन।

(ii) **ग्रीन फील्ड मॉडल :** पर्यटन विभाग के पास उपलब्ध शासकीय भूमि का निजी निवेशक द्वारा मार्ग सुविधा केंद्र की स्थापना एवं संचालन।

(iii) **फ्रेंचाइजी मॉडल :** निजी निवेशकों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/पर्यटक स्थल में निजी भूमि पर मार्ग सुविधा केंद्रों की स्थापना अथवा उन्नयन एवं संचालन।

3. विभिन्न मॉडलों में मार्ग सुविधा केंद्रों की स्थापना एवं संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश

3.1 ब्राउन फील्ड मॉडल

3.1.1 पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार निर्धारित डिजाइन एवं नियत सुविधाओं से पूर्ण मार्ग सुविधा केंद्र की स्थापना चिन्हित स्थल पर पर्यटन विकास निगम द्वारा की जाएगी।

3.1.2 इस हेतु पर्यटन विभाग को भूमि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

3.1.3 मार्ग सुविधा केंद्र में कार/टूरिस्ट कोच/बस पार्किंग/फूड प्लाजा/रेस्टोरेंट/पुरूष एवं महिला टॉयलेट एवं वॉशरूम, चेंजिंगरूम, फर्स्ट-एड एवं चौबीस घंटे जल एवं विद्युत निर्मित किया जाना अनिवार्य होगा।

3.1.4 निर्मित मार्ग सुविधा केंद्र पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निजी क्षेत्र को आवंटित किए जाएंगे। केंद्र/राज्य शासन के अन्य विभाग/उपक्रम/निगम/मण्डल द्वारा मार्ग सुविधा केंद्र को संचालन किए जाने हेतु मांगे जाने पर ऐसे मार्ग सुविधा केंद्र को पर्यटन विभाग द्वारा संबंधित को हस्तांतरित किया जा सकेगा।

3.1.5 निर्मित मार्ग सुविधाएं अधिकतम 2 हेक्टेयर आनुषांगिक भूमि सहित 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर दी जाएगी। 30 वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालन उपरांत लीज ग्रहिता द्वारा लीज वृद्धि हेतु आवेदन किए जाने पर 06 गुना लीज रेंट वृद्धि के साथ 30 वर्ष के लिए लीज अवधि बढ़ाई जा सकेगी। उक्त 60 वर्ष की अवधि में मध्यप्रदेश शासन की आवश्यकता होने पर आवंटित मार्ग सुविधा केंद्र को वापिस लिया जा सकेगा।

3.1.6 निविदा हेतु न्यूनतम आरक्षित मूल्य (अप-सेट प्राइज) रुपए दस लाख रखा जाएगा। निविदा में प्राप्त अधिकतम मूल्य भूमि का प्रीमियम होगा तथा इस प्रीमियम राशि का एक प्रतिशत प्रतिवर्ष लीज रेंट के रूप में देय होगा।

3.1.7 निविदा आमंत्रण सूचना एक राष्ट्रीय तथा दो प्रादेशिक समाचार पत्रों में तथा निगम की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

3.1.8 निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी मार्ग सुविधा के लिए निविदा आमंत्रित किए जाने से पूर्व इकाई एवं आनुषांगिक भूमि का विधिवत सीमांकन करवाया जाए एवं बाउंड्री का निर्धारण कर लिया जाए तथा इकाई तक विद्युत एवं जल प्रदाय तथा पार्किंग एवं आंतरिक मार्ग की सुविधा उपलब्ध हो तथा कार्य योजनानुसार पूर्ण कर लिया गया हो।

3.1.8 पार्किंग एवं यात्रियों के लिए आवागमन हेतु आवश्यक भूमि छोड़कर अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होने पर निविदाकर्ता को निम्नानुसार गतिविधियों हेतु अधोसंरचना विकसित किए जाने की पात्रता रहेगी -

ए. केवल सूचना देकर निर्माण योग्य अधोसंरचनाएं

(i) चिल्ड्रन प्ले एरिया
(ii) टेलिफोन/इंटरनेट कियोस्क
(iii) सोवेनियर/हेंडिक्राफ्ट शॉप
(iv) बेबी/हेंडीकेप केयर रूम/सुविधाएं
(v) फास्ट फूड आउटलेट/आइसक्रीम पार्लर
(vi) मिनी जनरल स्टोर
(vii) मिनी जनरल स्टोर
(viii) ट्रेवल डेस्क
(ix) फ्लॉवर शॉप/बुक्स-न्यूजपेपर आउटलेट
(x) लाइव आर्ट/हेंडिक्राफ्ट डिस्प्ले
(xi) अन्य आनुषांगिक गतिविधियां जो प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित की जाएं

बी. पूर्व अनुमति प्राप्त कर निर्माण योग्य अधोसंरचनाएं

(i) पेट्रोल पंप
(ii) मैरिज गार्डन
(iii) आवासीय कक्ष
(iv) बैंक ए.टी.एम.
(1) अन्य आनुषांगिक अधोसंरचनाएं जो प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित की जाएं।

3.1.10 उपरोक्त कंडिका 3.1.9 (बी) अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों हेतु पूर्वानुमानित एवं निर्माण योजना का अनुमोदन प्रबंध संचालक से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3.1.11 ऐसी निर्मित अतिरिक्त अधोसंरचना संचालन हेतु किसी अन्य व्यक्ति/इकाई को देने की स्थिति में संचालन हेतु दी गई अवधि मूल लीज अवधि से अधिक नहीं होगी तथा लीज अवधि समाप्त होने पर संचालन हेतु दी गई अवधि स्वत: समाप्त मानी जाएगी।

3.1.12 लीज समाप्त होने के उपरांत निर्मित सभी अधोसंरचनाएं स्वमेव पर्यटन विभाग के स्वामित्व में मानी जाएगी एवं इसके लिए संचालक को कोई क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।

3.1.13 मार्ग सुविधा केंद्र में तंबाकू युक्त पदार्थों यथा सभी पान मसालों, गुटखों, पान, सिगरेट, बीड़ी, पटाखे आदि विस्फोटक पदार्थ की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।

3.1.14 विद्यमान मार्ग सुविधा केंद्र आवंटन एवं लीज निष्पादन उपरांत यदि मूल मार्ग परिवर्तन अथवा ओवरब्रिज निर्माण जैसे कारणों से यदि मार्ग सुविधा केंद्र का मार्ग से सीधा सम्पर्क विच्छेद हो जाता है अथवा प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, भू-स्खलन, सुनामी, चक्रवाती-तूफान, मूसलाधार बारिश, आंधी, बिजली गिरना, बवंडर जैसे कारणों से मार्ग सुविधा केंद्र पूर्णतया नष्ट हो जाता है तो परस्पर सहमति से लीज निरस्त की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में लीज ग्रहिता द्वारा जमा प्रीमियम राशि में से लीज निष्पादन तिथि को आधार मानते हुए प्रति वर्ष 10 प्रतिशत के मान से राशि कटौत्री कर राशि वापस लौटाई जाएगी एवं परफार्मेंस सिक्यूरिटी की पूर्ण जमा राशि बिना ब्याज लौटाई जाएगी।

3.1.15 विद्यमान मार्ग सुविधा केंद्र (ब्राउन फील्ड मॉडल) आवंटन एवं लीज निष्पादन के तीन वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत लीजधारक मार्ग सुविधा केंद्र को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/लीगल एंटिटी जिसकी नेटवर्थ 50 लाख अथवा वार्षिक टर्नओवर एक करोड़ रुपए से अधिक हो, को हस्तांरित कर सकेगा बशर्ते हस्तांतरण ग्रहिता द्वारा मार्ग सुविधा केंद्र के निरंतर संचालन हेतु शपथ पत्र दिया जाए। लीजधारक की प्रीमियम राशि की 10 प्रतिशत राशि बतौर स्थानांतरण शुल्क भुगतान करना होगा। तदुपरांत लीज एग्रीमेंट में शेष अवधि के लिए हस्तांतरण ग्रहिता का नाम जोड़ा जाएगा एवं लीज की सभी शर्तें हस्तांतरण ग्रहिता पर लागू होंगी।

हस्तांतरण पूर्व आवश्यक होगा कि पूर्व लीज धारक की लीज रेंट आदि की यदि कोई राशि बकाया है तो उसे 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज सहित जमा करा दिया जाए।

3.2 ग्रीन फील्ड मॉडल

3.2.1 मार्ग सुविधा केंद्र हेतु शासन से पर्यटन विभाग की भूमि हस्तांतरित की जाएगी तथा इसे 30 वर्ष की लीज पर निजी निवेशकों को पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। 30 वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालन उपरांत उभय पक्षों की सहमति से 06 गुना लीज रेंट वृद्धि के साथ 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज अवधि बढ़ाई जा सकेगी। उक्त 60 वर्ष की अवधि में मध्यप्रदेश शासन को आवश्यकता होने पर आवंटित मार्ग सुविधा केंद्र को वापिस लिया जा सकेगा।

3.2.2 मार्ग सुविधा केंद्र निर्माण हेतु अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि निर्धारित होगी, जिसका न्यूनतम आरक्षित मूल्य रूपए पांच लाख होगा।

3.2.3 निविदा में प्राप्त अधिकतम मूल्य भूमि का प्रीमियम होगा तथा इस प्रीमियम राशि का 01 प्रतिशत प्रतिवर्ष लीज रेंट के रूप में देय होगा।

3.2.4 निविदा आमंत्रण सूचना एक राष्ट्रीय तथा दो प्रादेशिक समाचार पत्रों में तथा निगम की वेबाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

3.2.5 निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी मार्ग सुविधा केंद्र के लिए निविदा आमंत्रित किए जाने से पूर्व भूमि का विधिवत सीमांकन करवाया जाए एवं बाउंड्री का निर्धारण कर लिया जाए।

3.2.6 मार्ग सुविधा केंद्र में कार/टूरिस्ट कोच/बस पार्किंग/फूड प्लाजा/रेस्टोरेंट/पुरूष एवं महिला टॉयलेट एवं वॉशरूम, चेंजिंग रूम, फर्स्ट-एड एवं चौबीस घंटे जल एवं विद्युत सुविधा निर्मित किया जाना अनिवार्य होगा तथा इस हेतु निर्माण योजना प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन

विकास निगम से पूर्वानुमोदित करानी होगी।

3.2.7 उपरोक्त के अलावा अन्य सुविधाओं का निर्माण नीति की कण्डिका 3.1.9 से 3.1.13 के अनुसार किया जा सकेगा।

3.2.8 सफल निविदाकार को भूमि के आधिपत्य दिनांक से एक वर्ष की अवधि में मार्ग सुविधा केंद्र निर्मित कर संचालन प्रारंभ करना होगा तथापि उठाए गए प्रभावी कदमों एवं किए गए निर्माण कार्य के दृष्टिगत परिस्थितिजन्य कारणों से अधिकतम दो बार छः-छः माह की अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

3.2.9 मार्ग सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए भूमि जहां है जैसी है की स्थिति में उपलबध कराई जाएगी तथा निर्माण एवं संचालन के लिए आवश्यक अनुमतियां/पंजीयन/लाइसेंस आदि प्राप्त करना एवं प्रचलित अधिनियमों/नियमों/शासन के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन करना चयनित निविदाकार का दायित्व होगा।

3.2.10 विद्यमान मार्ग सुविधा केंद्र (ग्रीन फील्ड मॉडल) आवंटन एवं लीज निष्पादन के तीन वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत लीजधारक मार्ग सुविधा केंद्र को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/कानूनी इकाई जिसका नेटवर्थ 50 लाख अथवा वार्षिक टर्नओवर एक करोड़ रूपए से अधिक हो, को हस्तान्तरित कर सकेगा बशर्ते हस्तांतरण ग्रहिता द्वारा मार्ग सुविधा केंद्र के निरंतर संचालन हेतु शपथ पत्र दिया जाए। लीजधारक को प्रीमियम राशि की 10 प्रतिशत राशि बतौर स्थानांतरण शुल्क भुगतान करना होगा। तदुपरांत लीज एग्रीमेंट में शेष अवधि के लिए हस्तांतरणीय का नाम जोड़ा जाएगा एवं लीज की सभी शर्तें हस्तांतरण ग्रहिता पर लागू होगी।

हस्तांतरण पूर्व आवश्यक होगा कि पूर्व लीज धारक की लीज रेंट आदि की यदि कोई राशि बकाया है तो उसे 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज सहित जमा करा दिया जाए।

3.3 फ्रेंचाइजी मॉडल

3.3.1 प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य मार्गों/अन्य मार्ग/पर्यटन स्थलों में निजी निवेशकों द्वारा निजी भूमि पर अपने व्यय से पूर्व निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित यात्री सुविधाओं को मार्ग सुविधा केंद्र के रूप में चिन्हित कर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के फ्रेंचाइजी आधार पर संचालन की अनुमति दी जा सकेगी।

3.3.2 यह आवश्यक होगा कि ऐसी सुविधाएं नगर पालिका/नगर निगम की सीमा से बाहर संचालित/प्रस्तावित हों।

3.3.3 फ्रेंचाइजी प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक होगा कि मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार यात्री सुविधा अधोसंरचना का निर्माण एवं संचालन किया जाए। मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा फ्रेंचाइजी हेतु लोगो, ब्रांडिंग एवं अन्य गुणवत्ता के मापदण्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।

3.3.4 फ्रेंचाइजी प्राप्ति हेतु मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा समय-समय पर विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे।

3.3.5 निर्धारित मापदण्डों पर उपयुक्त पाई जाने वाली इकाई को रूपए एक लाख, फ्रेंचाइजी पंजीयन शुल्क देय होगा जो वापसी योग्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष रू. 25,000/- फ्रेंचाइजी नवीनीकरण शुल्क देय होगा।

3.3.6 सामान्यतः फ्रेंचाइजी निर्धारित मापदण्डों पर चयनित इकाई की उपयुक्तता एवं मापदण्डों की पूर्ति के आधार पर दिया जाएगा।

3.3.7 ब्रॉउन फील्ड एवं ग्रीन फील्ड मॉडल हेतु नीति में वर्णित प्रतिबंधित गतिविधियां फ्रेंचाइजी इकाई के लिए भी प्रतिबंधित होंगी।

3.3.8 फ्रेंचाइजी इकाईयों के संचालन का निरीक्षण मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम अथवा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन द्वारा नियत एजेंसी द्वारा समय-समय पर (6 माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से) किया जाएगा एवं प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

3.3.9 मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित मापदंडों अनुसार संचालन करना न पाया जाने पर फ्रेंचाइजी को त्रुटि सुधार हेतु एक माह का अवसर प्रदान किया जाएगा। तीन से अधिक बार मापदंडों का उल्लंघन पाए जाने पर फ्रेंचाइजी का पंजीयन रद्द किया जा सकेगा। पंजीयन रद्द होने की दशा में जमा फ्रेंचाइजी शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।

4. राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य मार्गों/अन्य मार्गों/पर्यटक स्थलों पर ऑइल कंपनियों के सहयोग से मार्ग सुविधा केंद्रों की स्थापना

4.1 ब्राउन फील्ड मॉडल के आवंटी को मार्ग सुविधा केंद्र के साथ पेट्रोल पंप की स्थापना हेतु मार्ग सुविधा केंद्र की भूमि में से आवश्यक भूमि ऑईल कंपनी को सब-लीज करने की अनुमति दी जाएगी। सब-लीज की शर्तें ऑइल कंपनी एवं आवंटी, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के अनुमोदन से तय करेंगे।

4.2 सब-लीज की अवधि मार्ग सुविधा केंद्र लीज की अवधि तक ही होगी। मार्ग सुविधा केंद्र निरस्त होने पर सब-लीज स्वमेव अप्रभावी हो जाएगी। ऐसे प्रकरणों में यदि ऑइल कंपनी मार्ग सुविधा केंद्र संचालन करना चाहती है तो लीज की शेष अवधि के लिए मूल लीज की शर्तों पर ऑइल कंपनी को मार्ग सुविधा केंद्र की लीज अंतरित/ट्रांसफर की जा सकेगी।

4.3 ब्राउन फील्ड मॉडल अंतर्गत निविदा में ऑइल कंपनी भी भाग ले सकेंगी व पेट्रोल पंप स्थापना कर सकेंगी बशर्ते मार्ग सुविधा केंद्र का संचालन इनके द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

4.4 ग्रीन फील्ड मार्ग सुविधा केंद्र हेतु चिन्हित स्थलों को पेट्रोल पंप सहित मार्ग सुविधा केंद्र की स्थापना हेतु ऑइल कंपनियों के लिए निविदा जारी की जा सकेगी।

4.5 यदि ऑयल कंपनियां/पेट्रोल पंप के स्वामी/फर्म/कंपनी आदि पेट्रोल पंप के साथ मार्ग सुविधा केंद्र स्थापित करते हैं तो नीति अनुरूप इन्हें फ्रेंचाइजी दी जाएगी। ऐसे मामलों में फ्रेंचाइजी आवंटन में संबंधितों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4.6 ब्राउन फील्ड/ग्रीन फील्ड मार्ग सुविधा केंद्रों में पेट्रोल पंप स्थापना अनुमति निम्नानुसार शर्तों पर दी जाएगी :-

1. पेट्रोल पंप हेतु 10 हजार वर्गफीट तक भूमि उपयोग में ली जा सकेगी। यदि ऑइल कंपनियों के मापदण्ड अनुसार उपरोक्त से अधिक भूमि आवश्यक होती है तो मार्ग सुविधा केंद्र में भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड स्वविवेक से यथोचित निर्णय ले सकेंगे।

2. पेट्रोल पम्प की स्थापना करते समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि मार्ग सुविधा केंद्र का मूल स्वरूप यथावत रहे, सड़क की रौनक खराब न हो तथा बिजली अथवा तार के खम्भों अथवा वृक्षों पर विज्ञापन पटल न लगाए गए हों।

5. मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के दायित्व एवं अधिकार

5.1 निगम द्वारा ब्रांडिंग हेतु लोगो, विज्ञापन सामग्री एवं डिजाइन निर्धारित कर मार्ग सुविधा केंद्र संचालक को उपलब्ध कराई जाएगी।

5.2 निगम द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु निर्मित की जाने वाली सामग्री एवं सड़क पर लगाए जाने वाले बोर्ड/डिस्प्ले/होर्डिंग आदि पर ऐसी इकाई को विज्ञापित किया जाएगा तथा मार्केटिंग हेतु होने वाले आयोजनों में आमंत्रित किया जाएगा।

5.3 निगम द्वारा इकाई के दोनों ओर के पहुंच मार्ग पर 1000/500/100 मीटर पर इकाई की जानकारी हेतु प्रथम बार सूचना फलक (साइनेज) निर्धारित ब्रांडिंग कर लगाए जाएंगे। इन सूचना फलकों के संधारण का दायित्व इकाई का होगा।

5.4 निगम द्वारा इकाईयों के निर्धारित मापदंडों के अनुसार अधोसंरचना निर्माण एवं संचालन को सुनिश्चित किया जाएगा एवं लगातार अवहेलना पर फ्रेंचाइजी अनुबंध के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

5.5 निगम द्वारा इकाईयों को सुचारू संचालन हेतु आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा तथा यथा आवश्यकता कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

5.6 निगम को मार्ग सुविधा केंद्रों के निर्माण, संचालन एवं फ्रेंचाइजी देने हेतु आवश्यक आवेदन पत्र, चेक लिस्ट, निरीक्षण प्रतिवेदन, पालन प्रतिवेदन व अन्य आवश्यक प्रारूपों को निर्धारित करने एवं लागू करने हेतु अधिकार होंगे।

5.7 निगम को इस नीति के प्रावधानों के अनुरूप लीज, लाइसेंस, निविदा प्रपत्र, आरएफपी व अन्य आवश्यक दस्तावेज निर्धारित करने/योग्यता निर्धारित करने एवं लागू करने के अधिकार होंगे।

5.8 निगम को नीति के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त होने वाले प्रीमियम, लीज रेंट, लाइसेंस फीस, फ्रेंचाइजी फीस, पंजीयन शुल्क व अन्य राशियों को प्राप्त करने, निगम खाते में जमा करने एवं मार्ग सुविधा केंद्र तथा अन्य स्थानीय पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं संचालन हेतु व्यय करने के अधिकार होंगे।

5.9 अन्य प्रशासकीय अधिकार जो कि मार्ग सुविधा केंद्रों के इस नीति के प्रावधानों के अनुसार विकास, संचालन, संधारण, प्रबंधन एवं नियमन हेतु प्रबंध संचालक द्वारा आवश्यक समझे जाएं।

6. मार्ग सुविधा केंद्र संचालक/ फ्रेंचाइजी के दायित्व एवं अधिकार

6.1 पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार अधोसंरचना निर्माण एवं संचालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा निगम द्वारा दिए गए सुझावों/मार्गदर्शन पर अमल किया जाएगा।

6.2 निगम को देय राशियों का समय पर नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

6.3 अधोसंरचना निर्माण एवं गतिविधि संचालन हेतु आवश्यक अनुमति/पंजीयन/लाइसेंस प्राप्त किए जाएंगे।

6.4 यात्रियों एवं पर्यटकों से मित्रवत व्यवहार किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

6.5 यात्री/पर्यटक शिकायत को सुनने एवं उसके तत्काल निराकरण की व्यवस्था स्थापित की जाएगी तथा इसे स्थल पर विज्ञापित किया जाएगा।

6.6 मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के साथ निष्पादित लीज अनुबंध, फ्रेंचाइजी अनुबंध आदि की शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6.7 इकाई को निगम द्वारा नियत लोगो, डिजाइन एवं प्रचार विषय वस्तु के अपनी मार्केटिंग हेतु उपयोग की अनुमति होगी तथा इसके अलावा अन्य लोगो, डिजाइन आदि उपयोग में नहीं लिया जाएगा।

6.8 इकाई द्वारा मार्ग सुविधा केंद्र के निर्माण, संधारण एवं संचालन हेतु निगम की विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा एवं इस संबंध में समस्या निराकरण/समाधान प्राप्त किया जा सकेगा।

6.9 मार्ग सुविधा केंद्र संचालक/फ्रेंचाइजी द्वारा मार्ग सुविधा केंद्र में स्त्री एवं पुरूष के पृथक-पृथक शौचालय स्थापित कर साफ एवं स्वच्छ स्थिति में सदैव रखे जाएंगे। मार्ग सुविधा केंद्र में स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर वातावरण पर्यटन विभाग के द्वारा स्थापित मापदंडों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ रखा जाएगा। मार्ग सुविधा केंद्र संचालक द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा जारी मिडवे ट्रीट संचालन निर्देशिका का एवं मार्ग सुविधा केंद्र संचालन हेतु समय-समय पर जारी सभी निर्देशों का पूर्णत: पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. विविध

7.1 नीति कि क्रियान्वयन हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम अधिकृत होंगे।

7.2 इस नीति के अंतर्गत लीज पर उपलब्ध कराई गई भूमि एवं भवन से प्राप्त प्रीमियम एवं लीज रेंट की राशि, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में जमा करते हुए, उक्त राशि का उपयोग मार्ग सुविधा केंद्र तथा स्थानीय पर्यटन सुविधाओं के अधोसंरचना विकास एवं संचालन में व्यय की अनुमति होगी।

7.3 मार्ग सुविधा केंद्रों के संचालन, संधारण, प्रबंधन एवं नियमन के संबंध में निगम एवं इकाई/संचालक/फ्रेंचाइजी के मध्य किसी विवाद की स्थिति में निराकरण हेतु प्रमुख सचिव पर्यटन, मध्यप्रदेश शासन अधिकृत होंगे तथा उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगी।

7.4 नीति के अंतर्गत जारी किए जाने वाले निविदा दस्तावेज, लीज अनुबंध, फ्रेंचाइजी अनुबंध दस्तावेजों के प्रारूप अनुमोदन हेतु पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन अधिकृत होगा।

7.5 इस नीति के प्रावधानों की व्याख्या, मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण एवं आवश्यक संशोधन के लिए पर्यटन नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति अधिकृत होगी।

8. मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, मंत्रालय के आदेश दिनांक 22.02.2017 द्वारा प्रदेश में पर्यटन के विस्तार एवं प्रोत्साहन के लिए मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया है। चूंकि होटलों एवं परिवहन बेड़े के संचालन जैसी गतिविधियों को छोड़कर समस्त दायित्वों - निवेश संवर्धन, कौशल संवर्धन, विपणन, प्रचार-प्रसार, योजना आदि पर्यटन नीति 2016 में उल्लेखित समस्त दायित्वों का निर्वहन टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। अत: नीति में जहां-जहां मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम उल्लेखित है वहां-वहां मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड पढ़ा जाए।

9. नीति संशोधन की प्रभावशीलता : यह संशोधन मार्ग सुविधा केंद्र नीति 2016 के प्रभावी होने के दिनांक से लागू माने जाएंगे।

अधिक जानकारी के लिये: *www.tourism.mp.gov.in* का अवलोकन करें।

होटल उद्योगों

के रेटिंग की प्रक्रिया एवं प्रोत्साहन हेतु किए जा रहे प्रयास

भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन तेजी से बढ़ता जा रहा है। घरेलू क्षेत्र के पर्यटक भी इस दिशा में पहले से अधिक सक्रिय हुए हैं और पर्यटन यात्राओं में पहले की तुलना में अधिक रूचि लेने लगे हैं। इन अतिथियों के सत्कार के लिए देश में जहां भविष्य में बड़ी संख्या में नए होटलों की आवश्यकता होगी, वहीं उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्मित होटलों के उन्नयन की आवश्यकता होगी। देश में होटल उद्योग की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए अक्टूबर 2020 में एकर एवं व्याधाम होटल्स एवं रिसॉर्ट्स ने देश में अपनी पहचान बढ़ाने के तौर पर नए होटलों एवं संपत्तियों को जोड़ने की घोषणा की। फ्रांस की आतिथ्य क्षेत्र की बड़ी कंपनी एकर भी मध्यम वर्ग एवं इकॉनॉमी श्रेणी के नौ अतिरिक्त होटल पोर्टफोलियों में जोड़कर अपना विस्तार करेगी, इसके साथ ही देश में उसके होटलों की संख्या 54 हो जाएगी। होटल व्यवसाय की इन बढ़ती संभावनाओं के बीच यह जानकारी जरूरी है कि देश में विभिन्न श्रेणियों के होटलों की स्थापना के लिए अनुमति लेने की क्या प्रक्रिया निर्धारित है।

होटलों का अनुमोदन एवं वर्गीकरण

विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए उपयुक्तता की दृष्टि से पर्यटकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अपेक्षित मानकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अपेक्षित मानकों की पुष्टि के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय स्टार रेटिंग के अंतर्गत होटलों का वर्गीकरण करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत होटलों को रेटिंग प्रदान की जाती है जैसे कि वन स्टार से थ्री स्टार, अल्कोहल के साथ या बगैर चार और पांच स्टार, फाइव स्टार डीलक्स, हेरिटेज (बेसिक), लिगेसी विंटेज (क्लासिक) और लिगेसी विंटेज (ग्रैंड) होटलों के निरीक्षण के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है और निरीक्षण पर्यटन मंत्रालय द्वारा गठित होटल एवं रेस्टोरेंट अनुमोदन एवं वर्गीकरण समिति (एचआरएसीसी) द्वारा किया जाता है। वन स्टार से थ्री स्टार की श्रेणियों में क्रियाशील होटल के वर्गीकरण/पुन: वर्गीकरण की प्रक्रिया को गति देने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी और चेन्नई में स्थित 5 क्षेत्रीय समितियों को निरीक्षण करने/निरीक्षण का समन्वय करने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रचालनरत होटलों के वर्गीकरण/पुन:वर्गीकरण के दिशानिर्देशों को 19 जनवरी 2018

को संशोधित किया गया है।

आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना

पर्यटन मंत्रालय ने होटल परियोजना के लिए आवेदन प्राप्त करने, प्रोसेस करने तथा अनुमोदन प्रदान करने/सूचना प्रदान करने, क्रियाशील होटलों के होटल वर्गीकरण/पुन: वर्गीकरण स्टेट्स तथा निर्माणाधीन होटल के लिए परियोजना स्तरीय अनुमोदन के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया को भुगतान गेटवे के साथ भी एकीकृत किया गया है। स्टार श्रेणी, हेरिटेज श्रेणी, लिगेसी विंटेज श्रेणी और क्रियाशील मोटल की श्रेणी में होटलों के वर्गीकरण तथा परियोजना अनुमोदन के लिए आवेदन http://ni.hi.ni.in पर दाखिल किए जा सकते हैं।

आवास यूनिटों की अन्य अनुमोदित श्रेणियां : पर्यटन मंत्रालय अपनी स्वैच्छिक योजनाओं के अंतर्गत टाइम शेयर, रिजॉर्टस, अपार्टमेंट्स, होटल, गेस्ट हाउस, बिस्तर एवं नाश्ता/होम स्टे प्रतिष्ठान, तंबूनुमा आवास, ऑनलाइन ट्रेवल एग्रीगेटर्स, स्टैंड अलोन एयर केटरिंग यूनिट, कन्वेंशन केंद्र और स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट को भी अनुमोदित करता है।

हेरिटेज होटल

1950 से पहले निर्मित पुराने महलों, हवेलियों, किलों, दुर्गों तथा आवासों को आवास यूनिटों में परिवर्तित करने के लिए हेरिटेज होटल की लोकप्रिय संकल्पना शुरू की गई है जो बीते युग के परिवेश और जीवनशैली को पुन: प्रस्तुत करते हैं। ऐसे होटलों को लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सुविधा एवं सेवाओं के मानकों के आधार पर तीन श्रेणियों अर्थात हेरिटेज, हेरिटेज क्लासिक और हेरिटेज ग्रैंड में वर्गीकृत किया जाता है। 16 दिसंबर, 2014 से हेरिटेज होटल की एक नई श्रेणी अर्थात हेरिटेज क्लासिक (अल्कोहल सर्विस के बगैर) शुरू की गई है।

लिगेसी विंटेज होटल

विरासत संपत्तियों/भवनों (अर्थात ऐसी संपत्ति या भवन जो वर्ष 1950 से पूर्व निर्मित/खड़ा किया गया है) की सामग्रियों से निर्मित होटलों को शामिल करने के लिए लिगेसी विंटेज होटल की संकल्पना शुरू की गई है यदि होटल के निर्माण के लिए प्रयुक्त कम से कम 50 प्रतिशत सामग्री विरासत संपत्ति या भवन से प्राप्त की गई है। ऐसे होटल बीते युग के परिवेश एवं वातावरण को पुन: सृजित करने में मदद करेंगे। ऐसे होटलों को 3 उप श्रेणियों अर्थात लिगेसी विंटेज (बेसिक) लिगेसी विंटेज (क्लासिक) और लिगेसी विंटेज (ग्रैंड) में वर्गीकृत किया जाएगा। लिगेसी विंटेज होटलों के वर्गीकरण/पुन: वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देश 19 अप्रैल 2018 को अधिसूचित किए गए हैं।

स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट का अनुमोदन

रेस्टोरेंट पर्यटकों द्वारा किसी स्थान की यात्रा के अभिन्न अंग हैं और इस प्रकार उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं यात्रा को सुखद

बना सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों में रेस्टोरेंट उत्तरोत्तर लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि वे अथेंटिक फूड, विशेष रूप से देश के विभिन्न राज्यों के पकवानों का लुत्फ उठाना चाहते हैं। पर्यटकों को विश्व स्तरीय मानकीकृत सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार में देश के रेस्टोरेंटों के अनुमोदन के लिए एक स्वैच्छिक योजना है।

अपार्टमेंट होटलों का अनुमोदन

अपार्टमेंट होटल बिजनेस ट्रैवलर में उत्तरोत्तर लोकप्रिय हो रहे हैं, जो असाइनमेंट या फैमिली हॉलीडे आदि के लिए भारत के

दौरे पर आते हैं जो कई बार कई महीनों के लिए होता है। पर्यटकों को विश्व स्तरीय मानकीकृत सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने 5 स्टार डीलक्स, 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार की श्रेणियों में पूर्णत: क्रियाशील अपार्टमेंट होटलों के वर्गीकरण के लिए एक स्वैच्छिक योजना शुरू की है।

मोटलों का अनुमोदन

मोटल अतिथि सत्कार क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है जो सस्ता आवास प्रदान करता है। प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं सेवाओं के माध्यम से मोटल रोड ट्रैवलर की अतिथि सत्कार संबंधी आवश्यकताएं पूरी करते हैं तथा कमरे अक्सर निचले ब्लॉकों में उपलब्ध कराए जाते हैं जहां से सीधे बाहर जाने के लिए पार्किंग की सुविधा होती है। समग्र पर्यटन उत्पाद के घटक के रूप में इस सेगमेंट को पहचान प्रदान करने तथा मोटलों की सुविधाओं एवं सेवाओं का न्यूनतम मानक निर्धारित करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने क्रियाशील मोटलों के अनुमोदन के लिए एक स्वैच्छिक योजना तैयार की है। प्रचालनरत मोटलों के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश 25 सितंबर 2018 को अधिसूचित किए गए हैं।

अतिथि गृहों का अनुमोदन

घरेलू व विदेशी दोनों बजट पर्यटकों के लिए होटल आवास की आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने अतिथि गृहों के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा की है और उसमें संशोधन किया है ताकि स्वच्छता, साफ-सफाई और स्तरोन्नत सुविधाओं एवं प्रथाओं के कतिपय मानकों का पालन किया जा सके। संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य बदलती आवश्यकताओं तथा सुरक्षा एवं संरक्षा के सरोकारों पर ध्यान देना था। स्वच्छता, स्वास्थ्य, साफ-सफाई तथा पेस्ट कंट्रोल के उपायों पर बल दिया गया है। यदि अतिथि गृह तथा अन्य प्रकार की आवास यूनिटें सुविधाओं और सेवाओं के कतिपय मानकों को पूरा करती हैं तो उनको इस योजना के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की जाती है। इन कदमों से बजट श्रेणी में न केवल होटल, आवास की संख्या में संभावित रूप से वृद्धि हो सकती है अपितु राज्यों के लिए रोजगार एवं राजस्व का भी सृजन हो सकता है।

टाइम शेयर रिजॉर्ट का अनुमोदन एवं वर्गीकरण

टाइम शेयर रिजॉर्ट (टीएसआर) लीजर हॉलीडे और फैमिली हॉलीडे आदि के लिए उत्तरोत्तर लोकप्रिय हो रहे हैं। पर्यटकों को विश्व स्तरीय मानकीकृत सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार की श्रेणियों में पूर्णत: क्रियाशील टाइम शेयर रिजॉर्ट के वर्गीकरण के लिए एक स्वैच्छिक योजना शुरू की है।

मप्र की पर्यटन नीति के तहत इन परियोजनाओं हेतु अनुदान के प्रावधान

क्र.	अनुदान योजना	न्यूनतमत परियोजना व्यय (रू. लाख में)	व्यय पर अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा (रू. लाख में)
1.	निजी स्वामित्व के हेरिटेज होटलों हेतु पूंजीगत अनुदान	300 लाख	15%	200 लाख
2.	पर्यटन विभाग द्वारा लीज पर दी गई हेरिटेज संपत्तियों पर हेरिटेज होटल स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	1000 लाख	15%	500 लाख
3.	डीलक्स/थ्री स्टार अथवा उच्च श्रेणी के नवीन होटल एवं एवं रिसॉर्ट की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	1000 लाख	15%	500 लाख
4.	स्टेण्डर्ड श्रेणी के नवीन होटल/मिनी रिसोर्ट की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	200 लाख	15%	50 लाख
5.	नवीन रिसॉर्ट एवं वेलनेस सेंटर (आयुर्वेद, योग, नेचरोपैथी चिकित्सा सुविधायुक्त रिसॉर्ट) की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	500 लाख	15%	200 लाख
6.	पूर्व स्थापित स्टार/डीलक्स/स्टेण्डर्ड श्रेणी के होटल/रिसोर्ट/हेरिटेज होटल के विस्तार पर पूंजीगत अनुदान	100 लाख	15%	500 लाख
7.	माईस (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कांफ्रेंसेस, एक्जीबिशन्स) अंतर्गत 500 या अधिक सीट क्षमता वाले कनवेंशन सेंटर/कनवेंशन सेंटर सह होटल की स्थापना पर	2000 लाख	15%	1000 लाख

स्टैंड अलोन एयर केटरिंग यूनिटों का अनुमोदन

एयर केटरिंग सेगमेंट में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सुनिश्चय करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्टैंड अलोन एयर कैटरिंग यूनिटों को अनुमोदित एवं वर्गीकृत किया है।

कनवेंशन सेंटर का अनुमोदन (MICE)

बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी (एमआईसीई) पर्यटन उद्योग के महत्वपूर्ण सेगमेंट हैं। ऊंची दर से विकास करने वाली तेजी से भूमंडलीकृत हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था में एमआईसीई पर्यटन का विकसित होना तय है तथा देश को इस आवश्यकता को पूरा करने करने के लिए अधिक कनवेंशन एवं एग्जिबीशन सेंटर की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने तथा सुविधाओं को मानकीकृत करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय कन्वेंशन सेंटर को अनुमोदन प्रदान करता है।

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/कनवेंशन के लिए बोली प्रस्तुत करने और इस प्रकार देश के लिए अधिक एमआईसीई व्यवसाय लाने के लिए भारतीय कनवेंशन संवर्धन ब्यूरो (आईसीपीबी) के सक्रिय सदस्यों को बाजार विकास सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किया है। इस योजना के अंतर्गत बोली में विजयी होने पर या बोली प्रक्रिया में दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए शर्तों एवं निबंधनों के अधीन संघों/समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एमआईसीई के प्रचार के लिए की गई पहलें

कोविड-19 के मुश्किल समय में एमआईसीई उद्योग को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14 अगस्त 2020 के माध्यम से चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) के तहत एमआईसीई के संवर्धन के लिए दिशानिर्देशों में निम्नलिखित घटकों में संशोधन किए गए हैं :

1. प्रोत्साहन के लिए पात्र बनने हेतु प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या को 500 से घटाकर 250 कर दिया गया है।

2. एक रात के स्थान पर दो रात के लिए जीएसटी का प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

मध्यप्रदेश की पर्यटन नीति में भी कहा गया है कि माईस (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कांफ्रेंसेस, एक्जीबिशन्स) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान/रियायतें दी जाएंगी। प्रदेश की पर्यटन नीति के तहत 500 या अधिक सीट क्षमता वाले कनवेंशन सेंटर/कनवेंशन सेंटर सह होटल की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान न्यूनतम परियोजना व्यय 2000 लाख होने पर 15 प्रतिशत अधिकतम 1000 लाख रूपए तक दिया जा सकेगा। अनुदान पाने के लिए आवश्यक होगा कि परियोजना की स्थापना कनवेंशन सेंटर हेतु भारत शासन, पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंडों/मानकों के अनुरूप हो। अकेले मुख्य कनवेंशन हॉल की सीट क्षमता 500 या अधिक होना आवश्यक है।

ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर (ओटीए)

ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर (ओटीए) के अनुमोदन/पुन: अनुमोदन की योजना के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं तथा 10 दिसंबर, 2018 को अधिसूचित किए गए हैं। यह योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है और पर्यटन मंत्रालय से प्रत्यायन प्राप्त किसी ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर के लिए बाध्यकारी नहीं है।

होटल परियोजना के लिए अतिथि सत्कार विकास एवं संवर्धन बोर्ड (एचडीपीबी):

होटलों का निर्माण प्राथमिक रूप से निजी क्षेत्र की गतिविधि है जो पूंजी सघन है तथा इसकी परिपक्वता अवधि लंबी होती है। भूमि की ऊंची लागत तथा सीमित उपलब्धता के अलावा होटल उद्योग के समक्ष एक अन्य अड़चन होटल परियोजना के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की एजेंसियों से अपेक्षित अनेक स्वीकृतियां/अनुमोदन प्राप्त करने से संबंधित हैं।

इसकी वजह से अक्सर परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब होता है, लागत में वृद्धि होती है। अतिथि सत्कार उद्योग की उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने एक अतिथि सत्कार विकास एवं संवर्द्धन बोर्ड (एचडीपीबी) का गठन किया है। इस बोर्ड के मुख्य कार्यों में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के स्तर पर होटल परियोजनाओं के अनुमोदन/स्वीकृतियों की निगरानी करना तथा देश में होटल/अतिथि सत्कार अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए होटल परियोजना की नीतियों की समीक्षा करने के लिए एकल बिंदु होगा। तथापि बोर्ड किसी भी रूप में अन्य एजेंसियों की सांविधिक स्वीकृतियों का अधिक्रमण नहीं करेगा परंतु नियत अनुसूची के आधार पर बैठक के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों /विभागों/प्राधिकरणों के साथ परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृतियों की समीक्षा एवं निगरानी करेगा।

निधि योजना

पर्यटन मंत्रालय ने 08 जून, 2020 को आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निधि) योजना लांच की जो देश में अवर्गीकृत आवास यूनिटों के बारे में डेटा के सामान्य भंडार के रूप में काम करेगी और विभिन्न पर्यटक स्थलों पर पर्यटन के संवर्धन एवं विकास के लिए नीतियों एवं रणनीतियों का विकास करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मदद करेगी, किसी भी पर्यटक स्थल पर आवास के लिए स्थानों के बारे में सूचना की तलाश करने में पर्यटकों को मदद करेगी, विभिन्न पर्यटक स्थलों की वहन क्षमता का मूल्यांकन करेगी, कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेगी, कोविड-19 महामारी जैसी अवांछित घटनाओं से निपटने के लिए निवारक कदम उठाने तथा पर्याप्त सुरक्षा उपायों को लागू करने में सहायता प्रदान करेगी।

निधि योजना के तहत ni.hi.ni.in पोर्टल पर सभी प्रकार की आवास यूनिटों का पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकृत इकाईयां अन्य मूल्यवर्धन सेवाएं प्राप्त करने में समर्थ होंगी, जैसे कि : (क) आतिथ्य उद्योग के लिए जागरूकता आकलन एवं प्रशिक्षण प्रणाली-साथी (ख) गंतव्य आधारित कौशल निर्माण (ग) एमएसएमई योजनाएं और (ङ) कोविड-19 पश्चात काल में भौतिक संपर्क न्यूनतम करने के लिए डिजिटल एवं वर्चुअल प्रौद्योगिकी का प्रयोग।

स्रोत : www.tourism.mp.gov.in, www.tourism.mp.gov.in

पर्यटन से संबंधित उद्योगों/व्यवसायों एवं क्रियाकलापों को सुविधाजनक बनाने हेतु जारी

पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019

प्रदेश में पर्यटन से संबंधित उद्योगों/व्यवसायों/क्रियाकलापों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य पर्यटन नीति बनाई गई है, यहां प्रस्तुत हैं इस नीति के प्रमुख अंश :-

1. दृष्टि वक्तव्य

संतुलित एवं समेकित पर्यटन की ऐसी अभिवृद्धि जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो, रोजगार के अवसरों का सृजन हो तथा मध्य प्रदेश समग्र पर्यटन अनुभव प्रदान करने वाला गन्तव्य बन सके।

2. सिद्धांत

नीति के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यवाही बिंदु (Point of Action) मुख्यत: निम्न सिद्धांतों पर आधारित हैं -

2.1 ऐसी संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना, जिससे शासन द्वारा निर्धारित दिशा में निजी निवेश प्रोत्साहित हो।

2.2 समेकित पर्यटन (sustainable tourism) के लिए प्रभावी नियामक प्रक्रिया की स्थापना हो।

2.3 पर्यटक स्वागत, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, संरचना तथा सफाई के लिए सभी उपाय किए जाएं।

2.4 धरोहरों का संरक्षण एवं पर्यटन में उपयोग किया जाए।

2.5 ईको पर्यटन आम-जन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने का कारक बने।

2.6 शासकीय विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, समुदाय तथा पर्यटन उद्योग के हितधारी पक्षों के मध्य समन्वित सक्रिय भागीदारी हो।

2.7 पर्यटन क्षेत्र में पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप पर आधारित पर्यटक परियोजनाओं का समुचित विकास हो।

2.8 नीति प्रभावशीलता अवधि - संशोधन उपरांत नीति की प्रभावशीलता नीति जारी होने के दिनांक से प्रथमत: पांच वर्ष की अवधि तक रहेगी तथा इस अवधि में प्रारंभ/ स्थापित (उत्पादन प्रारंभ/विस्तार) पर्यटन परियोजनाओं को इस नीति के प्रावधानों के अनुसार लाभ/छूट/रियायतें प्राप्त करने की पात्रता होगी। यथा आवश्यकता प्रभावशीलता में शासन द्वारा आवश्यक वृद्धि की जा सकेगी।

3. रणनीति

उपर्युक्त सिद्धांतों तथा पर्यटन दृष्टि-वक्तव्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रणनीति निम्नानुसार होगी -

3.1 निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट, पारदर्शी तथा मानक प्रक्रिया को स्थापित किया जाएगा।

3.2 गन्तव्य के विपणन के लिए अपेक्षित अनुसंधान तथा डाटा-बेस तैयार किया जाएगा।

3.3 पर्यटन के क्षेत्र में प्रामाणिक सांख्यिकीय डाटा-बेस तैयार करने तथा पर्यटकों से फीडबैक प्राप्त कर व्यवस्थागत सुधार की दृष्टि से युक्तियुक्त प्रणाली विकसित की जाएगी।

3.4 अधोसंरचना यथा सड़क, पेयजल, ऊर्जा, स्वच्छता, परिवहन तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का निरंतर संधारण तथा प्रोन्नयन किया जाएगा।

3.5 स्थानीय निकायों को पर्यटन के प्रति संवेदनशील बनाकर उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

3.6 मेले, स्थानीय व्यंजन/खानपान, संस्कृति, लोक संगीत, नृत्य वेशभूषा, उत्पाद, कला, हस्तकला तथा विरासत के प्रदर्शन एवं मार्केटिंग के लिए ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन गतिविधियों के लिए पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों को प्रेरित किया जाएगा।

3.7 ईको पर्यटन के गन्तव्यों में प्राकृतिक संसाधनों एवं सौन्दर्य की सुरक्षा तथा संरक्षण का सर्वोपरि ध्यान रखा जाएगा।

3.8 आध्यात्मिक पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों के विकास की समग्र योजना तैयार की जाएगी।

3.9 वृहद जलाशयों पर पर्यटन सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

3.10 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के विभिन्न शहरों को सड़क मार्ग (बस सेवा) तथा वायु सेवा से जोड़ने हेतु प्रभावी उपाय किए जाएंगे एवं निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा।

3.11 स्थानीय प्रशासन के सहयोग तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण से साहसिक पर्यटन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं स्थापित की जाएंगी।

3.12 पर्यटन उद्योग के सभी क्षेत्रों में नियोजित मानव संसाधन का ऐसा प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा ताकि प्रदेश की पर्यटन अनुकूल छवि बन सके एवं युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल सकें।

3.13 निजी निवेश से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त स्थल का चयन कर लैण्ड बैंक को निरंतर बढ़ाया जाएगा।

3.14 प्रदेश में पर्यटकों को पर्याप्त एवं स्तरीय आवास सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य से स्टेंडर्ड एवं डीलक्स श्रेणी के होटलों की निजी निवेश से स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

3.15 शासन के अन्य सुसंगत विभागों की कार्य योजना में पर्यटन योजना को सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा।

3.16 निजी निवेश से हेरिटेज होटल की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए अनुदान/रियायतें दी जाएंगी।

3.17 मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉफ्रेंसेस, एक्जिबिशन्स पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में निजी निवेश से कन्वेंशन सेंटर स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

3.18 प्रदेश में होटल रिसोर्ट सहित विभिन्न पर्यटक परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनुदान/रियायतें उपलब्ध कराई जाएंगी।

3.19 विशेष महत्वों के एवं उपयुक्त नवीन पर्यटन गन्तव्यों का विकास किया जाएगा तथा दूरस्थ एवं दुर्गम स्थलों पर पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु विशेष छूट एवं सुविधाएं दी जाएंगी।

3.20 मेडिकल टूरिज्म, डेस्टीनेशन वेडिंग टूरिज्म एवं ग्रामीण/कृषि/ईको टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जाएगा।

3.21 पर्यटन विभाग के दूरस्थ लैंड बैंकों एवं अधोसंरचनाविहीन भूमियों, वाटर बॉडीज एवं हेरिटेज परिसम्पत्तियों पर मूलभूत अधोसंरचनाओं का विकास किया जाएगा।

3.22 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिए मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को सिंगल विंडो एजेंसी बनाया जाएगा जो निवेशकों को अनुमतियां/अनापत्ति आदि प्रदान कराने/नवीनीकरण कराने का कार्य करेगा। निवेशकों को उपरोक्तानुसार अनुमति/अनापत्ति दिलाने/ नवीनीकरण कराने हेतु व्यक्तिशः अनुसरण प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

3.23 पर्यटन परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य विभागों के समन्वय से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा को अमल में लाने का प्रयास किया जाएगा।

3.24 हेरिटेज परिसम्पत्तियों का प्रमाणीकरण पर्यटन विभाग द्वारा करने के संबंध में नियम एवं प्रक्रिया बनाई जाएगी तथा इस प्रमाणीकरण के आधार पर हेरिटेज इकाईयों को नीति में प्रावधित छूट/सुविधाएं प्रदाय की जाएंगी।

3.25 रोजगार एवं आजीविका के अवसरों के सृजन एवं समग्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्राम स्टे, फार्म स्टे एवं बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाईयों की स्थापना को नीति बनाकर प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों तथा पंजीकृत स्व-सहायता समूहों को ग्राम स्टे स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

3.26 पर्यटक स्थलों को निःशक्तजनों हेतु भ्रमण सुगम बनाया जाएगा।

3.27 होटल/रिसोर्ट/वृहद पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना में बड़े ब्रांड्स को प्रोत्साहित करने के लिए सर्व संबंधितों से परामर्श कर पृथक नीति बनाई जाएगी।

4. मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम

प्रदेश में पर्यटन नीति को क्रियान्वित करने के लिए मैदानी स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। निगम की भूमिका निम्नानुसार होगी -

4.1 निगम पर्यटन सेवाएं प्रदान करते हुए संपूर्ण प्रदेश में निजी निवेश से पर्यटन सेवाओं की स्थापना, विस्तार एवं विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

4.2 निगम यथा आवश्यकता अपनी इकाईयों को संचालन हेतु प्रबंधकीय अनुबंध अथवा दीर्घ अवधि की लीज पर निजी क्षेत्र को सौंप सकेगा।

4.3 पर्यटन उद्योग से जुड़े हितधारियों से संपर्क एवं समन्वय रखते हुए पर्यटन संवर्धन, प्रबंधन एवं संचालन संबंधी समस्या

समाधान हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

4.4 पर्यटन संभावित अविकसित नवीन क्षेत्रों में निवेश कर पर्यटन परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी तथा निजी निवेश का मार्ग प्रशस्त कर निवेशकों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

4.5 निगम यथा आवश्यकता अपनी इकाईयों का विस्तार करेगा एवं प्राप्त लाभ से नवीन क्षेत्रों का विकास करेगा।

4.6 प्रदेश में सत्कार प्रशिक्षण, फूड क्राफ्ट, पर्यटन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में उच्च शिक्षा एवं अन्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों यथा मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी एंड ट्रेनिंग, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी आदि तथा आवश्यक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

4.7 भारत शासन, राज्य शासन एवं वित्तीय संस्थाओं से पर्यटन परियोजनाओं के लिए ऋण एवं अनुदान प्राप्त करने हेतु समस्त कार्यवाही करेगा।

4.8 पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने, इन्वेस्टर्स फेसिलीटेशन, निवेशकों को नीति अनुसार अनुदान एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पर्यटन परियोजनाओं के आकल्पन, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए विभाग द्वारा पर्यटन विकास निगम में एक पृथक प्रभाग निवेश संवर्धन एवं योजना प्रभाग का गठन किया जाएगा। इस प्रभाग हेतु विधिवत सेटअप का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रभाग में सेटअप अनुसार आवश्यक मानव संसाधन, निगम द्वारा पदस्थापित किए जाएंगे। इस प्रभाग को कार्यशील रखने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन शासन द्वारा निगम को पृथक से उपलब्ध कराए जाएंगे।

5. पर्यटन परियोजनाएं

इस नीति के अंतर्गत विभिन्न सुविधाएं/छूट प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित गतिविधियों को पर्यटन परियोजना माना जाएगा। परियोजनाओं की परिभाषा, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार अथवा पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

5.1 होटल (स्टार, डीलक्स एवं स्टेण्डर्ड श्रेणी)

5.2 हेल्थ फार्म्स/रिसोर्ट/हेल्थ एंड वेलनेस रिसोर्टस

5.3 रिसोर्ट, केम्पिंग साइट एवं स्थायी टेंटिंग इकाईयां

5.4 मोटल एवं वेसाइड एमेनिटीज

5.5 हेरिटेज होटल

5.6 कन्वेंशन सेंटर (MICE)

5.7 म्यूजियम/एक्वेरियम/थीम पार्क्स

5.8 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होमस्टे इकाई

5.9 गोल्फ कोर्स

5.10 रोप-वे

5.11 वाटर पार्क और वाटर स्पोर्टस

5.12 एम्यूसेंट पार्क

5.13 केरेवॉन टूरिज्म

5.14 क्रूज टूरिज्म

5.15 हॉउस बोट

5.16 फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना

5.17 एडवेन्चर स्पोर्टस

5.18 साउण्ड एण्ड लाइट शो/लेजर शो

5.19 सी-प्लेन

5.20 एमफीबियन पर्यटन वाहन

5.21 एयरो स्पोर्टस एवं एयरो स्पोर्टस ट्रेनिंग सेंटर/एकडमी

5.22 हेरिटेज कैफेटेरिया/मोटल

5.23 वाईल्ड लाईफ रिसोर्टस

5.24 ग्राम स्टे/फार्म स्टे

5.25 अन्य पर्यटन संबंधी गतिविधियां जिन्हें केंद्र/राज्य शासन का पर्यटन विभाग अपनी नीति अंतर्गत अधिसूचित करें।

6. पर्यटन परियोजनाओं हेतु अनुदान

इस पर्यटन नीति की प्रभावशीलता अवधि में स्थापित होकर प्रारंभ होने वाली पर्यटन परियोजनाओं को उनके द्वारा किए गए स्थायी पूंजीगत व्यय पर श्रेणीवार पूंजीगत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट का अवलोकन किया जा सकता है।

7. वीकेंड टूरिज्म को बढ़ावा देना

प्रदेश एवं देश के अन्य राज्यों के पर्यटकों को प्रोत्साहित करने एवं वीकेंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों के अपेक्षानुरूप पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन एवं वृद्धि हेतु जिला पर्यटन संवर्द्धन परिषद को संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

8. पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में छूट

8.1 निजी भूमि पर हेरिटेज पर्यटक परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रश्नाधीन हेरिटेज भवन के निर्मित क्षेत्रफल तथा उससे लगी अधिकतम एक हेक्टेयर भूमि के मूल्य पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। यदि भवन के साथ एक हेक्टेयर से अधिक भूमि हो तो उस अतिरिक्त भू-भाग पर नियमानुसार पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क देय होगा। पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की छूट की राशि होटल प्रारंभ होने के बाद पर्यटन विभाग द्वारा होटल स्वामी को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।

8.2 पर्यटन विभाग द्वारा जो शासकीय भूमि (लैंड-पार्सल, हेरिटेज प्रॉपर्टी के साथ की अनुषांगिक भूमि, मार्ग सुविधा केन्द्र की भूमि) एवं पर्यटन विभाग की संपत्तियां, पर्यटन परियोजनाओं के लिए लीज//विकास अनुबंध/प्रबंधकीय अनुबंध/लाइसेंस आदि पर दिए जाने पर निष्पादित एवं पंजीकृत अनुबंधों पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क देय नहीं होगा।

8.3 मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा छूट उपलब्ध कराने की वर्तमान नीति में परिवर्तन की दशा में इसकी प्रतिपूर्ति निवेशक को विभाग द्वारा की जाएगी।

9. निजी निवेश के माध्यम से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमियों/हेरिटेज परिसंपत्तियों का आवंटन :

9.1 पर्यटन उद्देश्यों की पूर्ति एवं निजी निवेश से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिए पर्यटन विभाग को शासकीय भूमि/हेरिटेज परिसंपत्ति नि:शुल्क आवंटित कर अंतरित की जाएगी।

9.2 उपरोक्त अंतरित भूमियों/हेरिटेज परिसंपत्तियों के निवर्तन हेतु पर्यटन विभाग की ओर से मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड अधिकृत होगा।

9.3 चिन्हित शासकीय भूमियों/भूमि जिस पर परिसंपत्तियां निर्मित हैं एवं जो पर्यटन विभाग को हस्तांरित हैं अथवा की जाएंगी, को 90 अथवा 30 वर्ष की लीज पर देने, 5 से 30 वर्ष के लिए लाइसेंस पर देने अथवा विकास/प्रबंधकीय अनुबंध के माध्यम से विकसित करने के संबंध में अंतिम निर्णय पर्यटन विभाग द्वारा लिया जाएगा।

9.4 निवर्तन हेतु नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत) क्षेत्रों में एवं प्लान एरिया में भूमि का आरक्षित मूल्य रुपए 10.00 लाख प्रति हेक्टेयर एवं उपरोक्त के अलावा अन्य क्षेत्रों में रूपए 5.00 लाख रूपए प्रति हेक्टेयर होगा।

9.5 हेरिटेज महत्व के भवनों एवं उससे लगी आनुषांगिक भूमि के निवर्तन हेतु आरक्षित मूल्य रूपए 1.00 लाख होगा। निवर्तन हेतु ऐसे हेरिटेज भवनों एवं आनुषांगिक भूमि का चिन्हांकन एवं चयन इस नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा किया जाएगा।

9.6 नीति के अंतर्गत भूमियों एवं हेरिटेज परिसंपत्तियों का निवर्तन खुली निविदा पद्धति से किया जाएगा एवं आरक्षित मूल्य पर सर्वाधिक मूल्य के प्रस्ताव को आवंटन हेतु चुना जाएगा।

9.7 उपरोक्तानुसार प्राप्त अधिकतम मूल्य की राशि एकमुश्त प्रीमियम के रूप में देय होगी तथा इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष इस प्रीमियम राशि के एक प्रतिशत के बराबर राशि लीज रेंट के रूप में देय होगी।

9.8 लीज पर दी गई भूमियों से प्राप्त होने वाली निविदा राशि (प्रीमियम) एवं वार्षिक लीज रेंट की राशि, पर्यटन विकास निगम द्वारा शासन से प्राप्त राशि के रूप में पृथक मद शासकीय भूमियों का निवर्तन एवं अधोसंरचना विकास में रखी जाएगी। यह राशि भूमियों के सर्वे, हस्तांतरण, निविदा प्रक्रिया, विद्युत/सड़क/जलप्रदाय, एरिया प्लानिंग, ऐरिया डेवलपमेंट, परिसंपत्तियों की सुरक्षा व अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकास में निगम द्वारा व्यय की जा सकेगी। इस राशि के व्यय के संबंध में पर्यटन विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

9.9 पर्यटन विभाग को हस्तांतरित शासकीय भूमियां/भूमियां जिन पर परिसंपत्तियां (यथा हेरिटेज परिसंपत्ति आदि) का निजी निवेशकों को पर्यटन परियोजना स्थापना हेतु निवर्तन इस नीति परिशिष्ट-1 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाएगा। यह परिशिष्ट विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

9.10 एक हेक्टेयर तक की भूमियों एवं मार्ग सुविधा केंद्रों की निविदा शर्तों को इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि नवीन उद्यमियों एवं स्टार्टअप उद्यमियों को निविदाओं में भाग लेने अवसर प्राप्त हों।

9.11 पर्यटन विभाग द्वारा निजी निवेशकों को लीज पर पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु दी गई हेरिटेज परिसंपत्तियों पर परियोजना स्थापना हेतु प्रथमत: 05 वर्ष की समयावधि दी जाएगी जिसे औचित्यपूर्ण कारणों से आगामी दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा।

9.12 अल्ट्रा मेगा परियोजना हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्व/पर्यटन विभाग के लैंड बैंक में से प्रस्तावक द्वारा चिन्हित शासकीय भूमि निवेशक को विभाग द्वारा उस स्थान के तत्समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन रेट पर 90 वर्ष की लीज पर एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट पर आवंटित की जा सकेगी। प्रत्येक 30 वर्ष के उपरांत लीज रेंट में 6 गुना वृद्धि की जाएगी। यदि प्रस्तावक द्वारा राजस्व विभाग के शासकीय भूमि के लैंड बैंक की भूमि चिन्हित की जाती है तो ऐसी भूमि प्रथमत: पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। यह आवंटन प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किया जाएगा। ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन पर्यटन नीति के अंतर्गत गठित साधिकार समिति द्वारा किया जाएगा।

10. राज्य पर्यटन संवर्धन परिषद/जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की स्थापना

10.1 राज्य स्तर पर राज्य पर्यटन संवर्धन परिषद स्थापित की जाएगी। यह परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पर्यटन क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स के नामांकन से गठित होगी। परिषद का गठन, उसकी कार्य पद्धति तथा सदस्यता निर्धारित करने की कार्यवाही पृथक से की जाएगी।

10.2 प्रदेश में निजी निवेशकों को आकर्षित करने तथा स्थानीय स्तर पर गंतव्य प्रबंधन में जिला स्तर के जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश के कई हिस्सों में स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक एवं पर्यटन संबंधी कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अत: प्रत्येक जिला स्तर पर जिला पर्यटन संवर्द्धन परिषद का गठन किया जाएगा। इस परिषद के कार्यकलाप, अधिकार, संरचना आदि के संबंध में पर्यटन विभाग विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा।

10.3 पर्यटक स्थलों एवं पर्यटन क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न शासकीय विभागों के लोगों/ स्थानीय लोगों/सर्विस प्रोवाइडर्स/व्यवसायियों आदि को पर्यटक आचरण एवं व्यवहार के प्रति संवेदनशील एवं जिम्मेदार बनाने के लिए जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता आदि कार्यक्रम निरन्तर आयोजित किए जाएंगे।

11. युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी/कौशल विकास शिक्षण एवं प्रशिक्षण

11.1 युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी/कौशल विकास शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेंट, मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी ट्रेनिंग एवं फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के माध्यम से युवाओं को पर्यटन उद्योग हेतु आवश्यक ट्रेड/क्षेत्रों में शिक्षित/प्रशिक्षित किया जाएगा।

11.2 भारत शासन की कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम सतत संचालित कर युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

11.3 राज्य के पर्यटन उद्योग की प्रशिक्षण आवश्यकता का आंकलन कर हॉस्पिटेलिटी, एडवेन्चर टूरिज्म, केटरिंग एंड फूड क्राफ्ट, प्रबंधन एवं कौशल विकास आदि क्षेत्रों में पाठ्यक्रम तैयार कर वित्त प्रतिपोषण किया जाएगा।

11.4 मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी ट्रेनिंग द्वारा सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा कोर्स राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों की सहभागिता से कराई जाएगी। मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी ट्रेनिंग को हॉस्पिटेलिटी प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा तथा इस संस्थान द्वारा कौशल विकास अंतर्गत प्रशिक्षितों का प्रमाणीकरण किया जाएगा।

11.5 टूरिस्ट गाइड का चयन, प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण भी एमपीएचआईटी द्वारा किया जाएगा।

12. निवेशक सहायता

12.1 इस नीति के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियों हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

12.2 निवेश संवर्धन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसीलिटेशन कॉर्पोरेशन/मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से कार्य किया जाएगा।

12.3 जिला स्तर पर निवेश संवर्धन गतिविधियों के क्रियान्वयन, समन्वय, निवेशकों को पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु जिला स्तर पर प्रदाय की जाने वाली अनुमतियों/पंजीयन/अनापत्ति/लायसेन्स आदि के फेसिलिटेशन एक्ट 2008 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय साधिकार समिति के सचिव हैं, को नोडल एजेंसी नामांकित किया जाएगा।

12.4 महाप्रबंधक द्वारा पर्यटन संबंधी निवेश प्रस्ताव कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित उपरोक्त समिति के माध्यम से निराकृत कराने की व्यवस्था की जाएगी। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को इस हेतु आवश्यक सहयोग पर्यटन विभाग/मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

12.5 मार्ग सुविधा केंद्रों का विकास : प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों एवं अन्य प्रमुख मार्गों पर योजना बनाकर लगभग प्रति 40 से 50 किमी की दूरी पर उच्च स्तरीय पर्यटक सुविधाओं का विकास, पर्यटन विभाग द्वारा जारी मार्ग सुविधा केंद्रों की स्थापना एवं संचालन नीति-2016 के अनुसार किया जाएगा।

पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित ब्राउन फील्ड मार्ग सुविधा केंद्रों तथा ग्रीन फील्ड मार्ग सुविधा केंद्रों की स्थापना हेतु भूमि के आवंटन के लिए पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों को निविदा में भाग लेने की पात्रता होगी।

13. पर्यटन को उद्योग के समान सुविधाएं

नीति के अनुसार पर्यटन परियोजनाओं को उद्योगों के समान निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की जाएंगी :

13.1 पर्यटन परियोजनाओं को औद्योगिक दरों पर विद्युत प्रदाय करने का प्रयास किया जाएगा।

13.2 प्रदेश में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित/विकसित किए जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों/इंडस्ट्रीयल सिटी/आई.टी. पार्क्स में एमेनिटीज हेतु आरक्षित भूमि पर्यटन इकाईयों की स्थापना हेतु विभागीय नीति के अंतर्गत औद्योगिक दरों पर सेवा क्षेत्र की इकाईयों के रूप में आवंटित की जाएंगी।

13.3 पर्यटन परियोजनाओं हेतु भूमियों के व्यपवर्तन पर औद्योगिक दरों पर डायवर्सन शुल्क लिया जाएगा।

13.4 पर्यटन परियोजनाओं को जल संसाधन विभाग द्वारा प्राकृतिक जल स्त्रोतों से औद्योगिक दरों पर जल उपयोग की अनुमति प्रदान की जाएगी।

13.5 पर्यटन परियोजनाओं हेतु निर्मित भवनों एवं भूमियों पर स्थानीय निकायों द्वारा औद्योगिक दरों पर संपत्ति कर/विकास शुल्क आरोपित किया जाएगा।

14. समग्र पर्यटन विकास हेतु विशेष प्रयास

14.1 मध्यप्रदेश के पर्यटन उत्पादों के विपणन एवं विज्ञापन तथा ब्रांडिंग के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक बाजारों तक पहुंच बनाई जाएगी।

14.2 नए पर्यटन उत्पाद विकसित करने में गैर-सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक संस्थानों एवं विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा एवं उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

14.3 डिजीटल एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित संचार के सभी माध्यमों का विपणन, प्रचार एवं ब्रांडिंग में योजना बनाकर उपयोग किया जाएगा।

14.5 निजी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को पर्यटन क्षेत्रों से संबद्ध करते हुए गुणवत्ता पूर्ण परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

14.6 स्थानीय निकायों विशेषकर नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों को हेरिटेज परिसंपत्तियों एवं अन्य पर्यटन महत्ता के स्थलों के संरक्षण एवं गुणवत्तापूर्ण जन सुविधाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

14.7 देशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिए पूर्व नियत प्रवास पैकेज विकसित किए जाएंगे एवं विपणन किया जाएगा।

14.8 विकसित/विकास संभावित पर्यटन क्षेत्रों का समुचित एवं संतुलित विकास मास्टर प्लान बना कर किया जाएगा।

14.9 नई पीढ़ी में पर्यटन नीति जागरूकता बढ़ाने के लिए शालाओं एवं महाविद्यालयों में विविध गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

14.10 पर्यटन क्षेत्र में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को परियोजना स्थापना के लिए पूर्ण मदद हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जाएगी।

14.11 पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के सम्मान एवं प्रोत्साहन हेतु विभिन्न श्रेणियों में मध्यप्रदेश पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

14.12 निजी निवेशकों द्वारा स्थापित पर्यटन परियोजनाओं को विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

14.13 विभाग के मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मार्केटिंग कार्यालयों के माध्यम से विभागीय होटल/रिसोर्टस आदि की मार्केटिंग के साथ-साथ निजी होटल/रिसॉर्टस आदि पर्यटन परियोजनाओं की मार्केटिंग की जाएगी।

14.14 प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज पर्यटक स्थलों में पर्यटक सुविधाएं विकसित कर पर्यटन अनुकूल बनाया जाएगा एवं ऐसे स्थलों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

14.15 धार्मिक पर्यटन के अंतर्गत प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थानों में पर्यटक सुविधाएं निर्मित कर पर्यटन अनुकूल बनाया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिये: *www.tourism.mp.gov.in* का अवलोकन करें।

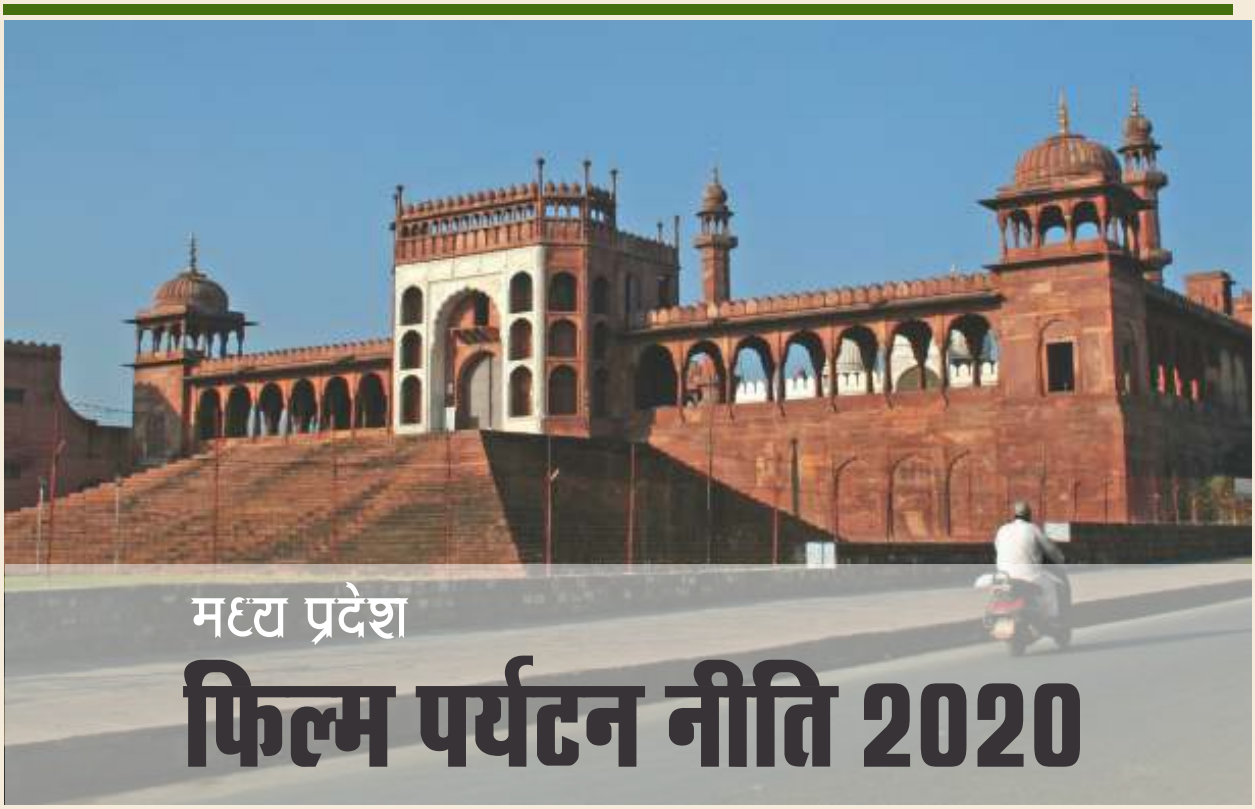

मध्य प्रदेश

फिल्म पर्यटन नीति 2020

मध्य प्रदेश में फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स और रियलिटी शो, डाक्यूमेंट्री के निर्माण/फिल्मांकन के लिए सुविधा/प्रोत्साहन एवं फिल्म पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु दिनांक 02.03.2020 को मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 पारित की गई है। यह नीति मध्यप्रदेश को प्रमुख फिल्म पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने और राज्य में फिल्म उद्योग के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गई है। नीति के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है: -

उद्देश्य

इस नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

1. प्रदेश में फिल्म निर्माण को फिल्म निर्माताओं के मध्य पहली पसंद बनाना।
2. फिल्मों की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश को सेन्ट्रल हब के रूप में विकसित करना।
3. स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विकास करना और उन्हें बढ़ावा देना।
4. फिल्म निर्माण हेतु बुनियादी ढांचा तैयार करना।
5. फिल्म निर्माण क्षेत्र में राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करना।
6. प्रचार-प्रसार, विपणन एवं ब्रांडिंग के माध्यम से प्रदेश में फिल्मों तथा पर्यटन विकास को गति प्रदान करना।
7. प्रदेश के पर्यटन स्थलों को फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना।
8. प्रदेश में फिल्म शूटिंग की अनुमति की आसान प्रक्रिया बनाई जाना एवं प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा फिल्मांकन को प्रोत्साहित करना।

रणनीति

प्रदेश में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे :-

1. समस्त प्रक्रियाओं, अनुमोदन, अनुमति और लाइसेंस की रूकावटों को दूर करने के लिए परिभाषित करना।
2. निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और छूट प्रदान करना।
3. आधारभूत संरचना बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराना।
4. फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण हेतु एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना।

5. फिल्म निर्माताओं के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाएं विकसित करना।

सलाहकार/साधिकार समिति

प्रदेश में पर्यटन नीति के क्रियान्वयन के लिए नीति स्पष्टीकरण/व्याख्या/विवाद निराकरण हेतु मध्यप्रदेश शासन ने एक साधिकार समिति का गठन किया है। इस समिति में प्रमुख सचिव, वाणिज्यकर विभाग को शामिल किया गया है। साधिकार समिति प्रदेश अंतर्गत सभी नगर निकायों/ग्रामीण क्षेत्रों के तहत आने वाले स्थलों एवं शासकीय आधिपत्य वाली सम्पत्तियों पर फिल्म शूटिंग के लिए दरों का निर्धारण करेगी तथा यह दरें संपूर्ण राज्य में लागू होंगी।

फिल्म सुविधा सेल (फिल्म फेसीलिटेशन सेल)

नीति में कहा गया है कि फिल्म पर्यटन नीति को क्रियान्वित करने के लिए एक समर्पित फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ (फिल्म फेसीलिटेशन सेल) का गठन किया जाएगा। प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की अध्यक्षता में यह फिल्म फेसीलिटेशन सेल से फिल्म पर्यटन हेतु प्रदेश की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। यह समिति फिल्म पर्यटन नीति 2020 के क्रियान्वयन, प्रक्रिया निर्धारण, आवेदनों के निराकरण संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय करेगी तथा फिल्म उद्योग की अद्यतन प्रवृत्तियों के अनुसार नीति संबंधी सुझाव एवं नियामक सुधार के लिए समय-समय पर प्रस्ताव तैयार करेगी।

फिल्म सुविधा सेल के सदस्य

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड इस सेल के अध्यक्ष, अतिरिक्त प्रबंध संचालक -उपाध्यक्ष, संचालक, आईपी-सदस्य, उप संचालक, वित्त -सदस्य, पुरातत्व सलाहकार-सदस्य, फिल्म उद्योग से संबंधित व्यक्ति/निकाय - सदस्य तथा संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष इस सेल के सदस्य होंगे।

फिल्म फेसीलिटेशन सेल का कार्यक्षेत्र

सभी आवेदन फिल्म फेसीलिटेशन सेल, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। यह सेल फिल्म अनुदान हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/देयकों की जांच करने के लिए स्वयं के स्तर पर एक विभागीय वित्त समिति का गठन करेगा। यह सेल राज्य में फिल्म शूटिंग में सहयोग करने के लिए लाइन प्रोड्यूसर को पंजीकृत करने हेतु कार्यवाही करेगा।

फिल्म फेसीलिटेशन सेल फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे एवं सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली तथा समकक्ष संस्थानों में मध्य प्रदेश के अध्ययनरत विद्यार्थियों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयन प्रक्रिया निर्धारित करेगा। यह सेल फिल्म पर्यटन नीति 2020 से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, नियम, प्रक्रिया, मापदण्ड एवं अन्य सभी प्रपत्र एवं अनुबंध इत्यादि जोकि नीति के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हों, को निर्धारित/लागू करने हेतु प्राधिकृत होगा। सेल फिल्म नीति संबंधी आवेदन शुल्क/पंजीकरण शुल्क आवश्यकता होने पर तय कर सकेगा। सेल प्रदेश की फिल्म पर्यटन नीति तथा फिल्म शूटिंग हेतु सभी संभावित स्थानों का संकलित विवरण समय-समय पर प्रकाशित करेगा एवं प्रिंट तथा डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करेगा।

नीति का क्रियान्वयन

फिल्म पर्यटन नीति के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है :-

1. संपूर्ण नीति एवं प्रपत्र मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
2. यह नीति सभी पात्र राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के फिल्म शूटिंग अनुमति लेने और अनुदान आवेदनों पर लागू होगी।
3. फिल्म शूटिंग की अनुमति और फिल्म निर्माण हेतु अनुदान आवेदन करने से पूर्व एक बार ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
4. अनुदान हेतु आवेदित परियोजना में दृश्य/श्रव्य माध्यम से देश/प्रदेश एवं प्रदेश के लोगों के बारे में कोई प्रतिकूल अथवा नकारात्मक दृश्य/संवाद न हो इसका परीक्षण फिल्म फेसीलिटेशन सेल अनुदान स्वीकृति पूर्व कर सकेगा।
5. फिल्म फेसीलिटेशन सेल फिल्म शूटिंग हेतु प्राप्त आवेदनों को समय पर अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों/अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा।
6. फिल्म अनुदान हेतु आवेदित परियोजना के पूर्ण/प्रसारित होने के पश्चात निर्माता द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुदान हेतु आवश्यक सहपत्रों सहित मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड में आवेदन प्रस्तुत करेगा। अनुदान हेतु परियोजना लागत के मान्य प्रमुख व्यय निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

7. प्रबंध संचालक द्वारा गठित वित्तीय समिति अनुदान प्रमाणों का परीक्षण करेगी, तथा अपनी अनुशंसा के साथ निर्णय के लिए फिल्म फेसीलिटेशन सेल के अध्यक्ष को प्रेषित करेगी।

8. अध्यक्ष फिल्म फेसीलिटेशन सेल के अनुमोदन के बाद आवेदक को अनुदान स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।

9. अनुदान रशि का भुगतान आवेदक को ऑनलाइन किया जाएगा।

10. अनुदान राशि का भुगतान समस्त आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति पश्चात कार्यालय में प्रस्तुति दिनांक से 4-5 कार्यदिवस की अधिकतम समयसीमा के अंदर किया जाएगा।

सिंगल विंडो क्लियरेंस

मध्यप्रदेश में शूटिंग करने के इच्छुक फिल्म निर्माताओं के लिए एकल बिन्दु इंटरफेस प्रदान करने तथा समयबद्ध अनुमति तंत्र के लिए एक समर्पित ऑनलाइन फिल्म वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। सभी आवेदन फिल्म फेसीलिटेशन सेल द्वारा प्राप्त किए जाएंगे और संबंधित विभाग से समन्वय कर अनुमति हेतु कार्रवाई की जाएगी।

वित्तीय प्रोत्साहन

पर्यटन नीति के अंतर्गत फिल्म निर्माताओं को राज्य में अपनी फिल्मों के अधिकाधिक फिल्मांकन करने के दृष्टिकोण से प्रदेश में किसी भी भाषा में फिल्म निर्माण किए जाने पर निम्नानुसार अनुदान दिए जाने का प्रावधान है :-

अ. फीचर फिल्मों के लिए अनुदान

क्र.	अनुदान	मापदंड
1.	**पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान**	
i.	रू. 1 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25 प्रतिशत जो भी कम हो	फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्यप्रदेश में हों
ii.	रू. 1.50 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो	फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों
क्र.	**अनुदान**	**मापदंड**
2.	**दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान**	
I	रू. 1.25 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो	फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्यप्रदेश में हों
ii.	रू. 1.75 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो	फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों
3.	**तीसरी और आगे की फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुदान**	
I.	रू. 1.50 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो	फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्यप्रदेश में हों
ii.	रू. 2.00 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो	फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों

- यदि प्रदेश में 75 प्रतिशत से अधिक शूटिंग दिवस वाली फीचर फिल्म के फिल्मांकन में मध्य प्रदेश को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया हो, तथा प्रदेश के पर्यटन को सीधे तौर पर बढ़ावा मिलता है, तो ऐसी फिल्म की प्रत्येक श्रेणी (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं आगामी फिल्म) में रूपए 50.00 लााख अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान दिया जा सकेगा, जिसका निर्णय फिल्म फेसीलिटेशन सेल द्वारा लिया जाएगा।
- मध्य प्रदेश की विशेष ब्रांडिंग की दृष्टि से प्रदेश पर आधारित कहानी/स्क्रिप्ट पर प्रदेश में फिल्मांकन एवं फिल्म निर्माण हेतु फिल्म की परियोजना लागत के 50 प्रतिशत अथवा रूपए 5.00 करोड़ जो भी कम हो, का विशेष अनुदान प्रदान किया जा सकेगा। इस प्रकार के अनुदान विषयक निर्णय के लिए साधिकार समिति अधिकृत होगी।

4. राज्य में फिल्म शूटिंग का प्रतिशत संपूर्ण फिल्म के कुल शूटिंग दिनों में से मध्य प्रदेश में शूटिंग किए गए दिनों की संख्या के अनुपात में गिना जाएगा।

5. राज्य में शूटिंग दिनों की संख्या की जानकारी संबंधित जिले के जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित की जाएगी।

6. यदि फिल्म निर्माता मध्य प्रदेश में स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर दे रहा है, तो अतिरिक्त अनुदान के रूप में, न्यूनतम 3 प्रमुख स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर) के कलाकारों के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे और न्यूनतम 5 द्वितीयक स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर के अतिरिक्त अन्य प्रमुख कैरेक्टर) के कलाकारों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए अथवा उक्त दोनों श्रेणियों हेतु कलाकारों के वास्तविक भुगतान की 50 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो प्रदान की जाएगी। यह राशि भुगतान किए गए दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को प्रदान की जाएगी।

7. फिल्म निर्माण की कुल लागत और कुल शूटिंग दिवसों की संख्या जो कि आवेदन में प्रस्तुत की गई है, का निर्णय आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।

8. फिल्म शूटिंग/टीवी धारावाहिक/टीवी शो/ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ओरिजनल शो, डॉक्यूमेंट्री हेतु अनुमति शुल्क की प्रतिपूर्ति :-

क्र.	अनुदान	मापदंड
1.	राज्य में भुगतान किए शूटिंग अनुमति के वास्तविक शुल्क का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति	फिल्म शूटिंग/ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ओरिजिनल शो/डॉक्यूमेंट्री की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्यप्रदेश में हों। टीवी धारावाहिक/टीवी शो राज्य में न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग होने पर
2.	राज्य में भुगतान किए शूटिंग अनुमति के वास्तविक शुल्क का 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति	फिल्म शूटिंग/ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरिज/ओरिजिनल शो/डॉक्यूमेंट्री की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में हों टीवी धारावाहिक/टीवी शो राज्य में न्यूनतम 180 दिवसों की शूटिंग होने पर

- यदि आवेदित फीचर फिल्म परियोजना द्वारा न्यूनतम 50 प्रतिशत शूटिंग दिवस का मापदण्ड पूर्ण नहीं किया जाता है किंतु निर्मित फीचर फिल्म में कुल स्क्रीन समय का क्रमश: 20 एवं 10 प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में शूटिंग किए गए दृश्यों को दिया गया हो, तथा आवेदक फीचर फिल्म परियोजना में मध्य प्रदेश की ब्राण्डिंग विशेष रूप से है, को क्रमश: अधिकतम रूपए 75 लाख एवं रूपए 50 लाख वित्तीय अनुदान दिया जा सकेगा, जिसका परीक्षण फिल्म फेसीलिटेशन सेल द्वारा किया जाएगा।

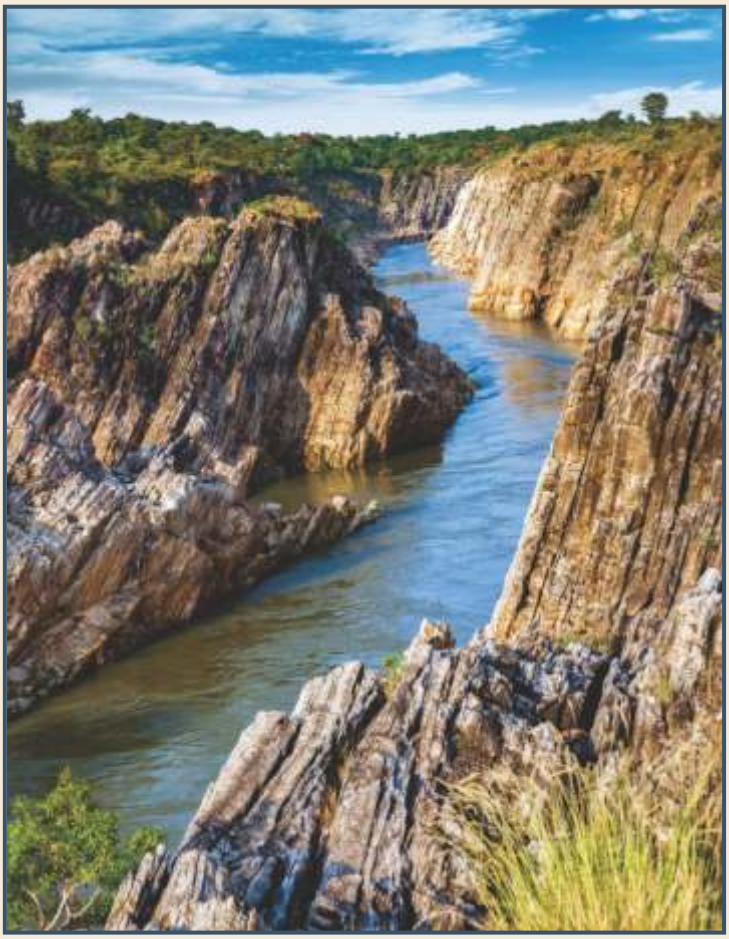

9. दक्षिणी राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलुगू, कन्नड़ एवं मलयालम) में सिनेमा एक प्रमुख एवं प्रभावी उद्योग है, तथा वहां क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए दर्शक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। मध्यप्रदेश में इन राज्यों से आने वाले पर्यटकों की संख्या कम हैं। अत: प्रदेश में पर्यटन महत्व के स्थलों की दक्षिणी राज्यों में लोकप्रियता बढ़ाने के लिए दक्षिणी राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं यथा – तमिल, तेलुगू, कन्नड़ एवं मलयालम फिल्मों को उपरोक्तानुसार सभी मापदण्डों को पूर्ण करने पर उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त 10 प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जा सकेगा।

उपरोक्त अनुदान राज्य के भीतर के पुरातत्व, स्थानीय नगर निकायों, पर्यटन विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी और सभी राज्य या केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान/स्मारकों पर लगने वाले सभी प्रकार के अनुमति शुल्क पर देय होगा।

- जो प्रस्ताव अनुमति शुल्क की छूट के लिए उपरोक्त दायरे में नहीं आते (यथा 50 प्रतिशत से कम शूटिंग दिवस वाले फिल्म प्रस्ताव) उनके लिए शूटिंग स्थलों पर लगने वाले शुल्क को रियायत/निशुल्क करना एफएफसी के विवेकाधीन होगा।

10. टीवी धारावाहिक/शो के लिए अनुदान

क्र.	अनुदान	मापदंड
1.	रू. 50 लाख तक या टीवी धारावाहिक/शो की कुल लागत का 25 प्रतिशत जो भी कम हो	राज्य में न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग होने पर
2.	रू. 100 करोड़ तक या टीवी धारावाहिक/शो की कुल लागत का 25 प्रतिशत जो भी कम हो	राज्य में न्यूनतम 180 दिवसों की शूटिंग होने पर राज्य में शूटिंग दिनों की संख्या की संबंधित जानकारी संबंधित शूटिंग जिले के जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित की जाएगी।

- उपर्युक्त अनुदान केवल उन आवेदकों को प्रदान किया जाएगा, जो कि जनरल एंटरटेनमेंट चैनल से विधिवत टेलीकास्ट शेड्यूल जारी करवाकर प्रस्तुत करेंगे।
- यदि टीवी धारावाहिक/शो निर्माता मध्य प्रदेश के स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर दे रहा है, तो अतिरिक्त अनुदान के रूप में, न्यूनतम 3 प्रमुख स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर) के कलाकारों के लिए कुल अनुदान अधिकतम 25 लाख रूपए तक प्रदान किए जाएंगे और न्यूनतम 5 द्वितीयक स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर के अतिरिक्त अन्य प्रमुख कैरेक्टर) के कलाकारों के लिए कुल अनुदान अधिकतम 10 लाख रूपए अथवा उक्त दोनों श्रेणियों हेतु कलाकारों के वास्तविक भुगतान की 50 प्रतिशत राशि जो भी कम हो प्रदान की जाएगी। यह अनुदान राशि प्राप्तकर्ता कलाकारों को राशि भुगतान किए गए दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को प्रदान की जाएगी।

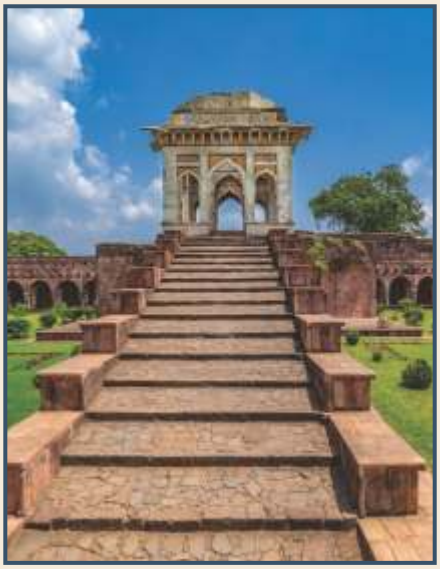

11. ओटीटी (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ओरीजनल शो के लिए अनुदान

क्र.	अनुदान	मापदंड
1.	रू. 50 लाख तक या वेब सीरीज/ ओरीजनल शो की कुल लागत का 25 प्रतिशत जो भी कम हो	वेब सीरीज/ओरीजनल शो की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में
2.	रू. 1.00 करोड़ तक या वेब सीरीज/ ओरीजनल शो की कुल लागत का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो	वेब सीरीज/ओरीजनल शो की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में

- राज्य में शूटिंग दिनों की संख्या की जानकारी संबंधित शूटिंग जिले के जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित की जाएगी।
- यदि वेब सीरीज निर्माता मध्य प्रदेश के स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर दे रहा है, तो अतिरिक्त अनुदान के रूप में न्यूनतम 3 प्रमुख स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर) के कलाकारों के लिए कुल अनुदान अधिकतम 25 लाख रूपए तक प्रदान किए जाएंगे और न्यूनतम 5 द्वितीयक स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर के अतिरिक्त अन्य प्रमुख कैरेक्टर) के कलाकारों के लिए कुल अनुदान अधिकतम 10 लाख रूपए अथवा उक्त दोनों श्रेणियों हेतु कलाकारों के वास्तविक भुगतान की 50 प्रतिशत राशि जो भी कम हो प्रदान की जाएगी। यह अनुदान राशि प्राप्तकर्ता कलाकारों को राशि भुगतान किए गए दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को प्रदान की जाएगी।
- उपर्युक्त अनुदान केवल उन आवेदकों को प्रदान किया जाएगा, जोकि ओटीटी (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म से विधिवत टेलीकास्ट शिड्यूल/रिलीज सर्टीफिकेट जारी कराकर प्रस्तुत करेंगे।
- वेब सीरीज/ओरीजनल शो के ओटीटी प्लेटफॉर्म शूटिंग से संबंधित गाइड लाईन समय-समय पर एफएफसी द्वारा जारी की जा सकेगी, जो कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों के अधीन रहेगी।
- चूंकि वर्तमान में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कोई प्रमाणीकरण के मापदण्ड नहीं हैं। अत: एफएफसी समिति इसकी स्क्रिप्ट सामग्री

के निर्धारण एवं अनुदान स्वीकृति हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत होगी।

12. डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए अनुदान

अनुभवी एवं प्रतिष्ठित डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के निर्माताओं को प्रदेश से संबंधित डॉक्यूमेंट्री निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों, वाइल्ड लाईफ, संस्कृति, खानपान, हस्त शिल्प, धार्मिक पर्वों/उत्सवों, रहन-सहन/टैक्सटाइल, प्रदेश के लोगों, विशिष्ट व्यक्तियों, प्रदेश से जुड़ी विरासत/इतिहास एवं कहानियों आदि पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री, जोकि मध्य प्रदेश में शूट की जाएगी, को वित्तीय अनुदान निम्नानुसार उपलब्ध कराया जाएगा :-

- राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए रूपए 20 लाख तक या कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक जो भी कम हो।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाले डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए रूपए 40 लाख तक या कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक जो भी कम हो।
- अंतर्राष्ट्रीय फिल्म शूटिंग/टीवी धारावाहिक/टीवी शो/ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ओरिजनल शो परियोजनाओं द्वारा प्रदेश में न्यूनतम 7 दिवस शूटिंग किए जाने पर प्रदेश में किए गए व्यय की 10 प्रतिशत एवं मध्य प्रदेश की विशेष ब्रांडिंग होने पर अधिकतम 25 प्रतिशत राशि तक वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 करोड़ रूपए तक होगी, जिसका निर्णय फिल्म फेसीलिटेशन सेल द्वारा लिया जाएगा।

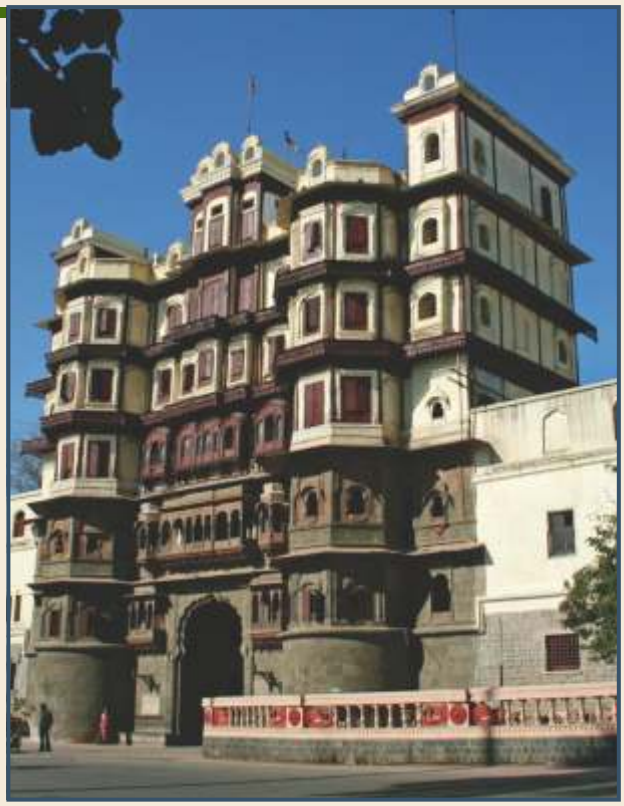

- उपरोक्त सुविधा उन राष्ट्रीय फीचर फिल्म निर्माताओं को भी प्राप्त होगी, जिनकी फीचर फिल्म परियोजना लागत रूप में 100 करोड़ से अधिक होगी। ऐसी इकाईयों को यह विकल्प होगा कि वे नीति के अंतर्गत प्रावधानित अनुदान सुविधा अथवा उपरोक्त वर्णित सुविधा में से किसी एक का चयन कर सकें।
- फिल्म संबंधी सभी अनुदान और प्रतिपूर्ति, फिल्म प्रमाणन बोर्ड से यू अथवा यूए प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं फिल्म रिलीज होने पर दिए जाएंगे। इसी प्रकार टीवी धारावाहिक/वेब श्रृंखला आदि के संबंध में टीवी चैनल/मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर देय होगी। मध्य प्रदेश में फिल्म रिलीज होने को भी अखिल भारतीय रिलीज माना जाएगा।

नोट : यहां मप्र फिल्म पर्यटन नीति के चयनित अंश प्रकाशित किए गए हैं, नीति के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाईट का अवलोकन किया जा सकता है।

सेडमैप समाचार

रतलाम में छात्राओं के लिए व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण का आयोजन

रतलाम-शासकीय कन्या एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय रतलाम के प्रायोजन में उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) द्वारा **स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ**

के तहत विश्व बैंक पोषित सात दिवसीय व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 07.01.2022 से 14.01.2022 तक किया गया। कार्यक्रम में 22 छात्राओं को सेडमैप के जिला समन्वयक श्री विजय चौरे एवं विषय विशेषज्ञ श्री रविन्द्र परिहार ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयामों से परिचित कराते हुए - सॉफ्ट स्किल एंड स्किल अपग्रेडेशन, लीडरशिप स्कील, कम्यूनिकेशन स्किल, मास्टर यूअर माइंड एंड ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन, लाइफ मैनेजमेंट एवं कॅरियर काउंसिलिंग एवं रोजगार की संभावनाओं पर व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित किया गया।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अपना-अपना बेहतर प्रस्तुतीकरण एवं मूल्यांकन दिया गया एवं श्री विजय चौरे-जिला समन्वयक, सेडमैप द्वारा कार्यक्रम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं कार्यक्रम की सम्पूर्ण रूपरेखा के बारे में बताया गया। इस अवसर पर डॉ. आर. के. कटारे-प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम द्वारा बालिकाओं को प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया एवं प्रो. सुरेश कटारिया द्वारा एक प्रेरक कहानी के माध्यम से व्यक्तित्व विषय पर समझाया गया व भविष्य में प्रशिक्षण की उपयोगिता बताई गई। डॉ. माणिक डांगे- प्रभारी स्वामी विवेकानंद मार्गदर्शन प्रकोष्ठ ने छात्राओं को प्रशिक्षण भागीदारी एवं प्रस्तुतीकरण की सराहना की, साथ ही सेडमैप के प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ व्यवस्था पर सकारात्मक विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम को प्रोफेसर स्नेहलता पंडित एवं रविन्द्र परिहार ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर सेडमैप के विषय विशेषज्ञ एवं महाविद्यालय के प्राध्यापकगण विशेष रूप से उपस्थित रहे।

❑**विजय चौरे,** जिला समन्वयक
सेडमैप, रतलाम

श्री शिवप्रेम दोहरे को मिला सम्मान पत्र

झांसी। हाइडलबर्ग माइसेम सीमेंट इंडिया लिमिटेड जिला झांसी उत्तर प्रदेश द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्रायोजित तथा **उद्यमिता विकास केंद्र मध्यप्रदेश (सेडमैप)** के द्वारा **कार ड्रायविंग ट्रेड में आयोजित कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम** 03 फरवरी 2022 से 03 मार्च 2022 तक संचालित किया गया, कार्यक्रम के सफलतापूर्व संपन्न होने पर हाइडलबर्ग माइसेम सीमेंट के प्लांट हेड श्री सुनील द्वारा जिला समन्वयक सेडमैप ग्वालियर श्री शिवप्रेम दोहरे को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया।

उद्यमिता समाचार पत्र

सदस्यता फॉर्म

मैं/हम उद्यमिता समाचार पत्र मासिक पत्रिका के एक वर्ष/दो वर्ष/तीन वर्ष/या आजीवन सदस्य बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं और इसके लिए क्रमश: रुपए 250/-, 495/, 740/-, 3300/- की सदस्यता राशि बैंक ड्राफ्ट/मनी ऑर्डर द्वारा उद्यमिता समाचार पत्र के नाम से देय भेज रहा हूं/रही हूं/रहे हैं। हमारी सदस्यता माह ..... वर्ष ..... के अंक से प्रारंभ कर पत्रिका निम्नलिखित पते पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

ड्राफ्ट/मनी ऑर्डर सं. .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर

नाम/संस्था का नाम हिन्दी में : .....

....

अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में : .....

....

ग्राम (Village) ....

पोस्ट (Post) ....

तहसील (Tehsil) ....

जिला (District) ....

राज्य (State)..... .....

पिन (Pin) ....

मोबाइल (Mobile) ....

ई-मेल (E-mail) ....

हमारा पता

उद्यमिता समाचार पत्र

द्वारा: उद्यमिता विकास केंद्र मध्यप्रदेश (सेडमैप),
16-ए, अरेराहिल्स, भोपाल- 462011
फोन: 0755 - 4000900, 4000914

उद्यमिता समाचार पत्र में प्रचार बढ़ाएगा आपका व्यापार

उद्यमिता समाचार पत्र विज्ञापन दर (01 जनवरी 2022 से प्रभावी)

टाईप/स्थान	साईज (से.मी.)	दर (रु.)	एक साल में तीन अंकों की बुकिंग पर 15 % की छूट	चार से छ: अंकों की बुकिंग पर 30 % की छूट	सात से 12 अंकों की बुकिंग पर 45 % की छूट
बैक कवर	23 X 17	1,50,000	1,27,500	1,05,000	82,500
इन साइड कवर	23X17	1, 20,000	1,02,000	84,000	66,000
फुल पेज	23 X17	50,000	42,500	35,000	27,500
हाफ पेज	11.5 X17	25,000	21,250	17,500	13,750
क्वार्टर पेज	11.5 X8.5 5.5 X 17	20,000	17,000	14,000	11,000
डबल स्प्रेड	23 X34	100000	85,000	70,000	55,000
सिंगल कॉलम	1 कॉलम X 23 से.मी.	16,000	13,600	11,200	8,800
डबल कॉलम	2 कॉलम X23	25,000	21,250	17,500	13,750
यलो पेज	1 कॉलम X 3 से.मी.	6,000	5,100	4200	3,300
प्रायोजन शुल्क	1 पेज	15,000	12,750	10,500	8,250

लेखकों के लिए दिशा-निर्देश

1. उच्च गुणवत्ता बनाए रखने और सही एवं प्रामाणिक जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए उद्यमिता समाचार पत्र सामान्यत: अपनी जरूरतों को ध्यान में रख कर **साग्रहपूर्वक** मंगवाए गए आलेखों को प्रमुखता देता है।
2. स्वरोजगार स्थापना के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करने वाले सभी विशेषज्ञों से यह अपेक्षित है कि वे अपने मौलिक लेख ही प्रकाशनार्थ भेजें, तथा अपने लेख के साथ मौलिकता का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।
3. प्रेषित लेखों में निम्नानुसार विषयों पर सामग्री अपेक्षित है :- **नियम-प्रक्रियाएं, नीतियां** : शासकीय, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित ऐसी नियम-प्रक्रियाएं, योजनाएं एवं नीतियां जोकि उद्यमियों को स्वरोजगार स्थापना में मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।

   इंस्टीट्यूट प्रोफाइल : किसी ऐसे संस्थान के बारे में जानकारी जो कि विद्यमान एवं भावी उद्यमियों को उनके व्यवसाय की स्थापना, संचालन एवं उन्नयन के संबंध में शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान करने में संलग्न हों।

   प्रोजेक्ट प्रोफाइल : किसी औद्योगिक/व्यावसायिक/सेवा इकाई की स्थापना से संबंधित ऐसी प्रोजेक्ट प्रोफाइल जोकि मानक प्रारूप में हो जिसका उपयोग उद्यमी वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने सहित अपनी इकाई के संचालन में कर सकें।

   बाजार सर्वेक्षण : किसी उत्पाद/क्षेत्र विशेष पर आधारित ऐसा अध्ययन जोकि उद्यमी को उस उत्पाद/क्षेत्र में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध करा कर इकाई स्थापना के संबंध में निर्णय लेने में सहायक सिद्ध हो सके।

   सफलता की कहानी : किसी व्यक्ति, संस्थान, उपक्रम की उपलब्धियों के ऐसे ब्यौरे जोकि अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का माध्यम बन सकें।
4. उद्यमिता समाचार पत्र में पूर्णत: स्वरोजगार एवं रोजगार सर्जक लेखों को ही प्रोत्साहित किया जाता है, अत: किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी, समीक्षा, आलोचनात्मक लेख नहीं भेजें।
5. हिंदी भाषा के आलेखों को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा के लेखों के प्रकाशन पर भी विचार किया जा सकता है, अपितु ऐसे लेखों का आप अपनी ओर से ही अनुवाद करवा कर प्रेषित कर सकें तो प्रकाशन में सुविधा होगी।
6. आपके द्वारा भेजे गए लेखों के सुबोध होने के साथ ही भाषा शैली में शालीनता, शिष्टता व मर्यादा का ध्यान रखें।
7. इंस्टीट्यूट प्रोफाइल, सफलता की कहानी आदि को प्रायोजन के आधार पर भी प्रकाशित करने पर विचार किया जा सकता है।
8. लेखकों को लेख के अंत में अपना पूरा नाम, पता, ई-मेल एड्रेस, मोबाइल/फोन नंबर लिखना चाहिए।

उद्यमिता समाचार पत्र में लेख, सूचना, समाचार, विज्ञापन एवं प्रकाशन योग्य अन्य सामग्रियां निम्नानुसार पते पर प्रेषित की जा सकती हैं -

उद्यमिता समाचार पत्र

द्वारा : उद्यमिता विकास केंद्र मध्यप्रदेश (सेडमैप),
16-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011
फोन : 0755 - 4000900, 4000914

उद्यमिता समाचार पत्र में लेख प्रेषित करने हेतु

घोषणा पत्र का प्रारूप

लेख का प्रस्तावित शीर्षक : .....

मूल लेखक का नाम : .....

सह लेखकों के नाम .....

- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैंने पत्रिका में लेखों के प्रकाशन से संबंधित नियम व शर्तों को पढ़ व समझ लिया है और उनसे सहमत हूं।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि लेख के सभी लेखक सर्वसम्मति से एकमत के साथ लेख प्रेषित कर रहे हैं तथा लेखकों के मध्य किसी भी प्रकार का हितों का टकराव नहीं है।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि प्रस्तुत लेख, लेखक/लेखकों का मूल कार्य है और लेख को पूर्व में कहीं और प्रकाशित नहीं किया गया है तथा कहीं और प्रकाशन के लिए विचाराधीन नहीं है।
- सभी लेखकों की ओर से लेख प्रस्तुत करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी (मूल लेखक की) होगी।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि लेख के साथ सूचीबद्ध सभी लेखकों ने काम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेख को पढ़ा है, आंकड़ों की वैधता और इसकी व्याख्या को प्रमाणित किया है, और इसे प्रस्तुत करने के लिए सभी सहमत हैं।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि प्रस्तुत लेख किसी अन्य प्रकाशित कार्य का कॉपी या साहित्यिक संस्करण नहीं है।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि जब तक पत्रिका के संपादकों द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक मैं/हम किसी अन्य समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशन के लिए यह लेख प्रेषित नहीं करूंगा/करुंगी/करेंगे।
- मैं/हम समझते हैं कि गलत तथ्यों/सूचना/जानकारी/आंकड़े प्रस्तुत करने पर नियमों के अनुसार मेरे/हमारे खिलाफ उचित दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- मैं/हम प्रकाशक/संपादन मंडल को प्रस्तुत लेख में एडिटिंग करने का पूर्ण अधिकार देता हूं/देती हूं/देते हैं, और एडिट की हुई रचना मुझे/हमें पूर्ण रूप से मान्य होगी।
- लेख के प्रकाशन से यदि किसी प्रकार के नियम, कानून या कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन/या कोई विवाद होता है तो उससे संबंधित विषयों के लिए पूरी जिम्मेदारी मेरी/हमारी **होगी**। उद्यमिता समाचार पत्र एवं उसका संपादन मंडल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

मूल लेखक सहित सभी लेखकों के हस्ताक्षर
नाम, पते, ई-मेल व मोबाइल नंबर

स्थान ..... दिनांक .....

उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमैप), इंदौर

द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयोजित किये जाने वाले

शुल्क आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.	शुल्क आधारित प्रशिक्षण का नाम	तिथि	अवधि	प्रशि. संख्या	शुल्क प्रति प्रशिक्षणार्थी	आवेदन की अंतिम तिथि
1.	आयात –निर्यात प्रबंधन एवं प्रपत्रीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	25.07.2022 to 29.07.2022	05 Days	30	1500	23.07.2022
2.	कूकिंग बेकिंग एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम	26.08.2022 to 30.08.2022	05 Days	30	1000	24.08.2022
3.	सोलर उर्जा आधारित उद्योग एवं व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम	26.09.2022 to 30.09.2022	05 Days	30	1500	23.09.2022
4.	रेडिमेड गारमेन्ट्स निर्माण	01.09.2022 to 30.11.2022	03 Month	30	3000	30.10.2022
5.	रसायन उद्योग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम	18.10.2022 to 22.10.2022	05 Days	30	1500	17.10.2022
6.	डिजिटल एवं सोशल मीडिया मार्केटिंग	25.11.2022 to 29.11.2022	05 Days	30	1500	23.11.2022
7.	बेसिक्स ऑफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग	02.11.2022 to 31.01.2023	03 Month	30	3000	1.11.2022
8.	आयात –निर्यात प्रबंधन एवं प्रपत्रीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	17.12.2022 to 21.12.2022	05 Days	30	1500	15.12.2022
09.	उत्पाद आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रम	01.01.2023 to 12.01.2023	2week	30	1500	30.12.2022
10.	डिजिटल एवं सोशल मीडिया मार्केटिंग	27.01.2023 to 31.01.2023	05 Days	30	1500	24.01.2022
11.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं पैकेजिंग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम।	20.02.2023 to 24.02.2023	5 Days	**30**	**1000**	17.02.2023
12.	कम्प्यूटर फण्डामेन्टल (Data Entry, Photoshop, Ms Office, Hindi English Typing)	01.02.2023 to 30.03.2023	02 Month	30	2000/-	30.01.2022

संपर्क करें-

विजय चौरे, जिला समन्वयक

उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. (सेडमैप)

(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्यप्रदेश शासन के अधीन)

द्वितीय तल, कार्पोरेट बिल्डिंग, रेडीमेड गारमेंट कॉम्पलेक्स, परदेशी पुरा, इंदौर (म.प्र.)

फोन: 0731-2574775, 0755-4000918 ई-मेल : vinayakv1@yahoo.com

वेबसाईट : www.cedmapindia.mp.gov.inमो. 9827214711, 8319267042

आर.एन.आई. नं. 56386/92

स्वरोजगार स्थापना में बनें सहभागी

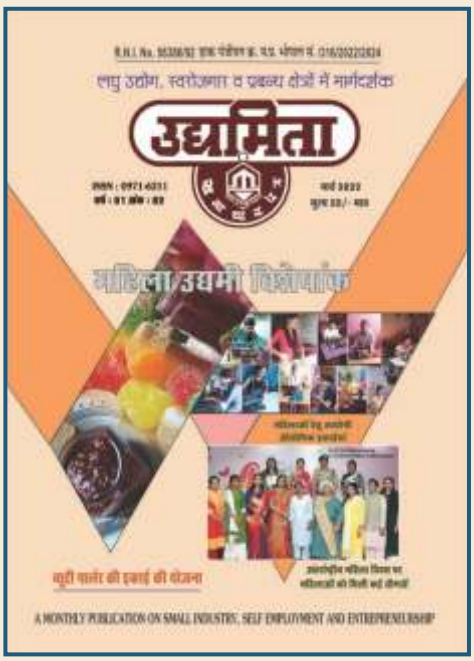

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करने वाले लेखों जानकारियों का सादर स्वागत है।

उद्यमिता समाचार पत्र में प्रचार

बढ़ाएगा आपका व्यापार

संपादकीय एवं व्यावसायिक संपर्क

उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अधीन)

16-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462 011 म.प्र.

फोन : 0755 - 4000914 **ई-मेल :** cedmapusp@rediffmail.com

वेबसाइट : www.cedmapindia.mp.gov.in

स्वामी उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप), भोपाल के लिए आर.के. सेक्यूप्रिंट प्रा.लि. पिपलानी, भोपाल मप्र द्वारा मुद्रित और **उमाशंकर दुबे, उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप), भोपाल** द्वारा प्रकाशित तथा आर.के. सेक्यूप्रिंट प्रा.लि. पिपलानी, भोपाल से मुद्रित और **उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप)**, 16-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 मध्यप्रदेश से प्रकाशित। संपादक : **उमाशंकर दुबे**